Job Satisfaction of Bank Employees towards Amenities in the Work Place

Dr. V. Darling Selvi
Assistant Professor, Research Department of Commerce, Rani Anna Government College for Women, Tirunelveli-8, Tamilnadu

Abstract :-The intensifying competitive environment in the banking sector forcing the public sector banks to become more and more customer focused and employer friendly in their operations. The quality and adequacy of the physical facilities at bank branches plays an important role in customer satisfaction and quality perceptions of both bank employees nd the customers. Recognizing this, many banks redesigned their branch structures to create better ambiance, comforts and facilities to the visiting customers. The banks however need to know to what extent the physical infrastructure provided at bank branches could create quality perceptions to customers and employees as well. The author has applied ANOVA test and Factor Analysis to interpret the results. This research paper is intended to reveal the satisfaction of sample bank employees towards the physical infrastructure of Nationalised banks in Kanyakumari District of Tamilnadu reveals that Uninterrupted power supply is the more significant variable which is followed by Appropriate office equipments, Suitable office furniture, Well designed filing cabinets, Well designed filing cabinets, Advanced computer and other equipment, State of the art network connection, Office spacious enough to move around, Ergonomically designed chairs and tables, Suitable ventilation, Properly enclosed cash counter, User friendly computer programmes and Proper arrangement of furniture and fittings and the variable Proper lighting has no significance. As per factor analysis it is observed that the entire variables are sub divided into four major factors which are Basic Amenities, Technological Amenities, Modern Amenities and Work Amenities. Hence it is strongly recommended that though the employees who are working in nationalised banks have satisfied with the basic and technological amenities available in the bank offices, they need more Modern Amenities and Work Amenities for the successful and smooth productive work.

Key Words:- Amenities, Bank Employees, Infrastructure, Nationalised Banks, Technology.

Introduction :-In India, banks have played an important role in economic growth and development. The Indian banking industry is going through turbulent times. With the lowering of entry barriers and blurring of product lines of banks and non-banks since the financial sector reforms, banks are functioning increasingly under competitive pressures. The intensifying competitive environment in the banking sector forcing the public sector banks to become more and more customer focused and employer friendly in their operations. The quality and adequacy of the physical facilities at bank branches plays an important role in customer satisfaction and quality perceptions of both bank employees and the customers. Recognizing this, many banks redesigned their branch structures to create better ambiance, comforts and facilities to the visiting customers. The banks however need to know to what extent the physical infrastructure provided at bank branches could create quality perceptions to customers and employees as well. The design of the services cape should facilitate comfortable and efficient participation of customers and employees in the service production and consumption process. The quality of the service will be influenced greatly in the way the process is facilitated. There are many dimensions, which can be exploited in the physical environment to create

quality perceptions to the customers. Competition considerations cannot be overlooked in the design of physical environment. Whatever efforts the service provider makes in shaping the physical environment, it should suit to the needs and desires of the target customers. Nowadays, the incredible growth of the globalization and especially liberalization of banking services, are changing the way banks conduct business with customers and employees who are increasingly expecting higher quality of services, becoming time saver and wanting more conveniences. In fact, banks should focus on exploring new ways of presenting a service outlet by encouraging customers' participation and employees' involvement in introducing refinements and modifications in the physical environment. A survey which has been conducted among employees of Nationalised banks in Kanyakumari District of Tamilnadu regarding the perception of infrastructure facilities results the following.

Infrastructure Facilities Provided in the Office :- Physical environment plays a vital role in influencing the behavior of customers as well as employees of any service organization including banking organization. The design of the service scape should facilitate comfortable and efficient participation of customers and employees in the service production and consumption process. The quality of the service will be influenced greatly in the way the process is facilitated. There are many dimensions, which can be exploited in the physical environment to create quality perceptions to the customers. Competition considerations cannot be overlooked in the design of physical environment. Whatever efforts the service provider makes in shaping the physical environment, it should suit to the needs and desires of the target customers whether it be employees or other beneficiaries. The following table gives the significance of different variables as per ANOVA test.

Table 1

ANOVA test for the Infrastructure Facilities Provided in the Bank Office

Statements		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Uninterrupted power supply	Between Groups	32.51	2	16.26	28.443	.000
	Within Groups	152.59	267	.57		
	Total	185.10	269			
Appropriate office equipments	Between Groups	17.38	2	8.69	20.894	.000
	Within Groups	111.05	267	.42		
	Total	128.43	269			
Suitable office furniture	Between Groups	16.28	2	8.14	20.553	.000
	Within Groups	105.72	267	.40		
	Total	122.00	269			
Well designed filing cabinets	Between Groups	20.42	2	10.21	17.941	.000
	Within Groups	151.96	267	.57		
	Total	172.39	269			
Advanced computer and other equipment	Between Groups	14.52	2	7.26	17.588	.000
	Within Groups	110.18	267	.41		
	Total	124.70	269			
State of the art network connection	Between Groups	18.27	2	9.14	16.949	.000
	Within Groups	143.90	267	.54		
	Total	162.17	269			
Office spacious enough to move	Between Groups	18.45	2	9.23	15.274	.000
	Within Groups	161.27	267	.60		

around	Total	179.72	269			
Ergonomically designed chairs and tables	Between Groups	7.58	2	3.79	11.000	.000
	Within Groups	91.96	267	.34		
	Total	99.54	269			
Suitable ventilation	Between Groups	5.01	2	2.50	5.201	.006
	Within Groups	128.48	267	.48		
	Total	133.49	269			
Properly enclosed cash counter	Between Groups	5.29	2	2.65	4.769	.009
	Within Groups	148.19	267	.56		
	Total	153.49	269			
User friendly computer programmes	Between Groups	2.49	2	1.24	3.903	.021
	Within Groups	85.09	267	.32		
	Total	87.57	269			
Proper arrangement of furniture and fittings	Between Groups	3.54	2	1.77	3.600	.029
	Within Groups	131.42	267	.49		
	Total	134.96	269			
Proper lighting	Between Groups	1.83	2	.92	1.756	.175
	Within Groups	139.26	267	.52		
	Total	141.10	269			

Source: Derived

The ANOVA test has been applied taking into consideration the levels of financial satisfaction of the sample employees and as per the test, it is noted that the statement Uninterrupted power supply is the more significant variable (28.44) which is followed by Appropriate office equipments (20.89), Suitable office furniture (20.55), Well designed filing cabinets (20.55), Well designed filing cabinets (17.94), Advanced computer and other equipment (17.58), State of the art network connection (16.95), Office spacious enough to move around (15.27), Ergonomically designed chairs and tables (11.0), Suitable ventilation (5.20), Properly enclosed cash counter (4.77), User friendly computer programmes (3.90) and Proper arrangement of furniture and fittings (3.60). The variable Proper lighting (1.76) has no significance when compared with the other variables as the value of p is more than 0.05.

Table 2
Facilities Provided in the Bank Office

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.782
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	858.025
	df	78
	Sig.	.000

Source: Derived

It is revealed from the KMO and Bartlett's Test that the throughKaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy is .782 which shows good accuracy and high significant as the p value is .000

in Bartlett's Test of Sphericity and has a high chi square value of 858.03.

Table 3

Rotated Factor Analysis for the Facilities Provided in the BankOffice

Rotated Component Matrix				
Statements	**Components**			
	1	**2**	**3**	**4**
Proper lighting	**.852**	-.035	.234	-.065
Appropriate office equipments	**.704**	.378	.066	-.034
Well designed filing cabinets	**.671**	.283	.198	.120
Proper arrangement of furniture and fittings	**.625**	.308	-.072	.318
State of the art network connection	.264	**.803**	.134	-.071
Uninterrupted power supply	.284	**.642**	.261	.111
Suitable office furniture	.131	**.588**	.021	.478
Suitable ventilation	.389	-.185	**.730**	.155
Office spacious enough to move around	.282	.250	**.713**	.177
Ergonomically designed chairs and tables	-.113	.493	**.638**	.006
Advanced computer and other equipment	.004	.311	**.635**	.449
User friendly computer programmes	-.145	.067	.266	**.840**
Properly enclosed cash counter	.448	-.050	.141	**.704**
Variance	**20.74**	**16.66**	**16.41**	**14.04**
Cumulative Variance	**20.74**	**37.40**	**53.81**	**67.84**
%	**30.57**	**24.55**	**24.19**	**20.69**
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.				

Source: Primary data

Basic Amenities:-Access to basic amenities such as drinking water, sanitation, electricity and drainage is imperative for a decent quality of life which is essential for the working place too. The need for these basic amenities has been universally recognised and has been a major plank in the formulation of several policies and programmes in India. Here the filtered variables are Proper lighting (.852), appropriate office equipments (**.704**), well designed filing cabinets (**.671**) and Proper arrangement of furniture and fittings (**.625**). This factor has a variance of **20.74** percent which forms 31 percent out of total.

Technological Amenities:- Banking environment has become highly competitive today. To be able to survive and grow in the changing market environment banks are going for the latest technologies, which is being perceived as an 'enabling resource' that can help in developing learner and more flexible structure that can respond quickly to the dynamics of a fast changing market scenario. State of the art network connection (**.803**), uninterrupted power supply (**.642**) and Suitable office furniture (**.588**) are the filtered variables in this factor which has a variance of **16.66 percent** which forms 25 percent out of total.

Modern Amenities:- Banks are considered as the backbone of modern banking business. Suitable ventilation (**.730**), Office spacious enough to move around (**.713**), ergonomically designed chairs and tables (**.638**) and advanced computer and other

equipment (**.635**) were given importance in this factor which has a variance of **16.41 percent** which forms 24 percent out of total.

Work Amenities:-User friendly computer programmes (**.840**) and properly enclosed cash counter (**.704**) are the user friendly appliances available for the employees to work easily and with full satisfaction. This factor has a variance of **14.04** percent which forms 21 percent out of total.

Table 4
Component Transformation Matrix

Components	Basic	Technological	Modern	Work
Basic	.588	.504	.509	.377
Technological	-.712	-.021	.435	.551
Modern	.383	-.830	.085	.397
Work	.030	.239	-.738	.630

Source: Derived

As per the Transformation Matrix, it is noted thatthe factor Basic has positive relationship with Technological (.504), Modern (.509) and Work (.377). Technological has positive relationship with Modern (.435) and Work (.551) and has negative relationship with Basic (-.021). The factor Modern has positive relationship with Basic (.383) and Work (.397) and has negative relationship with Technological (-.830) and the factor work has positive relationship with Basic (.030) and Basic (.239) and has negative relationship with Modern (-.738). Hence, it is ascertained that there is close relationship between technological with modern factor.

Conclusion :-The battle today in the banking industry is for control of the customer experience for the interface between the user and the product or service being delivered. Designing a workplace that provides opportunities for the broadest potential workforce makes good employment sense. Workplace amenities and facilities are things provided for the health, safety, welfare and personal hygiene needs of employees. They include toilets, shelter, seating, dining rooms, change rooms, drinking water, personal storage and washing facilities. They also include work environment facilities such as workspace, temperature and air quality, lighting and flooring. Employees undertaking different work within the one workplace may also have different requirements for amenities and facilities, depending on the tasks undertaken and the equipment used. In order to become customer friendly and competitive the banks have to improve its physical facilities to meet the growing needs of the customers and to meet the basic needs of the employees to ensure a safe and comfortable working environment. The survey reveals the fact that Uninterrupted power supply is the more significant variable which is followed by Appropriate office equipments, Suitable office furniture, Well designed filing cabinets, Well designed filing cabinets, Advanced computer and other equipment, State of the art network connection, Office spacious enough to move around, Ergonomically designed chairs and tables, Suitable ventilation, Properly enclosed cash counter, User friendly computer programmes and Proper arrangement of furniture and fittings and the variable Proper lighting has no significance. As per factor analysis it is observed that the entire variables are sub divided into four major factors which are Basic Amenities, Technological Amenities, Modern Amenities and Work Amenities. Hence it is strongly recommended that

though the employees who are working in nationalised banks have satisfied with the basic and technological amenities available in the bank offices, they need more Modern Amenities and Work Amenities for the successful and smooth productive work.

References :-

1. Diaz-Serrano, L. & Cabral Vieira J.A., Low Pay (2005), Higher Pay and Job Satisfaction within the European Union: Empirical Evidence from Fourteen Countries, Discussion Paper No. 1558, IZA.
2. Green, C., & Heywood, J. S. (2008), Does performance pay increase job satisfaction? Economica, 75, 710–728.
3. Hunjra, Ahmed Imran and Sher Aslam (2010), "Factor effecting job satisfaction of employees in Pakistani banking sector", African Journal of Business management, vol. 4(10), pp. 2157-2163.
4. Jeanna Bryner (2007), "Health Survey Reveals Most Satisfying Jobs", Live Science Staff Writer; Posted: 17 April 2007
5. Jha, B. K., Gupta, S. L., & Yadav, P. (2008), Use and effectiveness of new technologies in Indian banking: A study. The ICFAI Journal of Services Marketing, 6(1), 6– 22, 2008.
6. Keller (2008), "satisfaction from job facilities", Journal of IMS group (bi-annual journal of IMS, Ghaziabad; volume 5 no.1, Jan-June, ISSN no. 0973-824x)
7. Mosharraf Hossain Md. (2000), "Job Satisfaction of Commercial Bank Employees in Bangladesh: A Comparative Study of Private and Public Sector Banks". Indian Journal of Industrial Relations, Vol. 35(3) pp. 347-361.
8. Singh, D., & Kohli, G. (2006), Evaluation of Private Sector Banks in India: A SWOT analysis. Journal of Management Research, 6(2), 84–101, 2006.
9. Spector, P. E (1985), "Measurement of Human Service Staff Satisfaction: Development of Job Satisfaction Survey." American Journal of Community Psychology, Vol. X, No. 13, 1985, pp. 693-713.
10. Thakur, M. (2007), Job satisfaction in Banking: A study of private and public sector banks, The ICFAI Journal of Bank Management, 6(4), 60–68.

Role of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) in Financial Inclusion

Sumedha Pandey

Guest Faculty in Jagat Taran Girls' Degree College, Department of Economics, University of Allahabad

Abstract :-For developing nations the era is of inclusive growth and the key for inclusive growth is financial inclusion. Financial inclusion or inclusive financing is the delivery of financial services, at affordable costs, to sections of disadvantaged and low income segments of society. To promote the economic growth, Prime Minister Narendra Modi announced a new scheme in his Independence Day speech on 15th Aug 2014, and called it as the National Mission on Financial Inclusion (NMFI) for weaker section and low income groups. While launching the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana on 28th Aug 2014, the scheme managed to open a record 1.5 crores new bank accounts on the inaugural day itself. This effort will certainly go a long way in promoting economic growth and reducing poverty, while mitigating systematic risk and maintaining financial stability. The present paper endeavours to study the recent trends in financial inclusion in India with special reference to Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), highlighting its key areas. This paper focuses on the role of financial inclusion in strengthening the Indian economy.

Keywords :-Financial Inclusion, PMJDY, Economic Growth, Indian economy.

Introduction :-According to a report, only 48 per cent of Indian adults have bank accounts and nearly half of them lie latent. According to a nation-wide survey on financial behaviour, India has the highest account dormancy rate The survey conducted by the Financial Inclusion Insights program, operated by global strategic research consultancy Inter Media and supported by the Bill & Melinda Gates Foundation, argued that the majority of Indians borrow money from family and friends and not from financial institutions.

Financial inclusion is delivery of banking services at an affordable cost ('no frills' accounts,) to the vast sections of disadvantaged and low income group. Unrestrained access to public goods and services is the sine qua non of an open and efficient society5. As banking services are in the nature of public good, it is essential that availability of banking and payment services to the entire population without discrimination is the prime objective of the public policy." – Indian Institute of Banking and Finance Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) is National Mission for Financial Inclusion is based on "Sab ka sath sab ka vikas" i.e. inclusive growth to ensure access to financial services, namely, Banking/ Savings & Deposit Accounts, Remittance, Credit, Insurance, Pension in an affordable manner.

Review of Literature :- Hema and Divya found that financial inclusion is very useful tool for low income and no advantage group of study. Found that financial inclusion has shown good level of performance during last three decades, there is need to improve financial services and delivery of banking products delivery mechanism to provide strength to financial inclusion and banking or financial institutions need to put some efforts on their own basis to improve financial inclusion basis in the country**. Sharma,**

Kukerja described that in India only 35 percent people had bank accounts while it is 50 percent at global level and this ratio is 41percent in developing countries and financial inclusion is essential for economic growth yet financial inclusion has not achieved needed results yet there is road ahead to go on in this direction. **Sharma and Pais** found that level of human development and financial inclusion move

together; better human development will lead to better level of financial inclusion. **Shabna Mol TP** described that out of total 19.9 crores households only 6.82 crores households have access to banking industry and in case of rural areas out of 13.83 crores households only 4.16 crore households have bank accounts which shows very low level of access to banking facilities. **Aggarwal and Garg** Defined that although regulator and government, banks and others make efforts yet results are not according to the need or expectation. Banks need to leverage information communication and technology along with innovative products for poor and needed section.

Financial Inclusion: A Tool for Economic Growth :- "Financial inclusion is delivery of banking services at an affordable cost ('no frills' accounts,) to the vast sections of disadvantaged and low income group. Unrestrained access to public goods and services is the sine qua non of an open and efficient society. As banking services are in the nature of public good, it is essential that availability of banking and payment services to the entire population without discrimination is the prime objective of the public policy." This concept broadens the resource base of the financial system by developing a culture of savings among large segment of rural population and plays its own role in the process of economic development. Further, by bringing low income groups within the perimeter of formal banking sector; financial inclusion protects their financial wealth and other resources in exigent circumstances.

PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJANA (PMJDY) :- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is a National Mission for Financial Inclusion which is run by Department of Financial Services, Ministry of Finance, to ensure access to financial services, namely Banking Savings & Deposit Accounts, Remittance, Credit, Insurance, and Pension in an affordable manner. This inclusion campaign was launched by the Prime Minister of India Mr. Narendra Modi, on 28 August 2014. He had announced this scheme on his first Independence Day speech on 15 August 2014 This scheme is on the inauguration day, 1.5 Crore bank accounts were opened under this scheme. Guinness World Records Recognizes the Achievements made under PMJDY, Guinness World Records Certificate says "The most bank accounts opened in 1 week as a part of financial inclusion campaign is 18,096,130 and was achieved by Banks in India from 23 to 29 August 2014". By 05 August 2015, 17.45 crore accounts were opened, with around ₹22032.68 crore were deposited under the scheme.

PMJDY: Key Policy Insights :-

- To promote financial savings of poor households through innovative product design that matches their specific needs.
- Providing formal credit avenues.
- Empowering the poor and the small by offering them choice and opportunity
- To provide universal access to banking facilities.

Progress of PMJDY in Financial Inclusion :- The National Mission on Financial Inclusion or Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna was started by Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India, with a wide vision to provide access to banking facilities to those people who are not having any bank accounts or still unbanked from formal banking sector, so that they can also be involved in banking sector which is necessary for economic development and for the welfare of poor people. Under this scheme people will get basic bank accounts with insurance facility and an additional facility of overdraft. Thus they will avail benefit offered by banks and facilities provided by government and will be able to develop small savings habits among them, and it will enhance capital formation, which will in result increase economic development of country.

Since from its inauguration on august 28, 2014 the PMJDY scheme of financial inclusion is becoming very effective. Table below indicates that public sector banks are playing their role in making the scheme a success with approx. 9.22 crore accounts

in rural areas and 7.30 crore accounts in urban areas and involving more and more people with formal banking system. As purpose of financial inclusion is to provide low cost banking services and facilities to poor section and to those who are financially excluded that s why most of the accounts are opened with zero balance bank account table reveals that out of 21.00 crore accounts opened so far 28.88 percent accounts have been opened with zero balance accounts.

Table I. defines progress report of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna

TABLE I. Progress Report of PMJDY as on 24 Feb 2016

Banks	Rural Accounts (crores)	Urban Accounts (crores)	Total Accounts (crores)	No. of Debit Cards (crores)	Balance (Rs crore)	%age of Account with zero Balance
PSB	9.22	7.30	16.53	14.08	26094.05	29.41
RRB	3.19	0.53	3.72	2.67	5756.44	24.50
PRIVATE	0.45	0.30	0.75	0.71	1224.40	38.87
TOTAL	12.87	8.13	21.00	17.46	33074.89	28.88

Source: Ministry of Finance, Govt of India, www.mof.gov.in

RESERVE BANK OF INDIA REPORTS :-

- According to report of NSSO 59 round of survey results shows that in India 51.4 percent of farmer household do not have access to formal and informal sector of banks
- Out of total household of farmers only 27 percent household have access to formal credit
- Out of total farmers households of India 73 percent have informal access of credit which shows huge gap of access to banking facility.

Graph one present the details of access to formal and informal sources of finance. Below graph is showing that access to informal sector of credit in 1951 was 69.7 percent which is declining on continue basis and at its lowest level at 29.6 in 2002 means people are getting more involvement with formal sector. On the other hand look at formal sector of credit such as banks, financial institutions and other formal sources are increasing every time and they are attracting people in formal banking sector, in 1951 access was 3.9 percent which move to 52 percent in 2002 and moving further upward.

GRAPH 1:

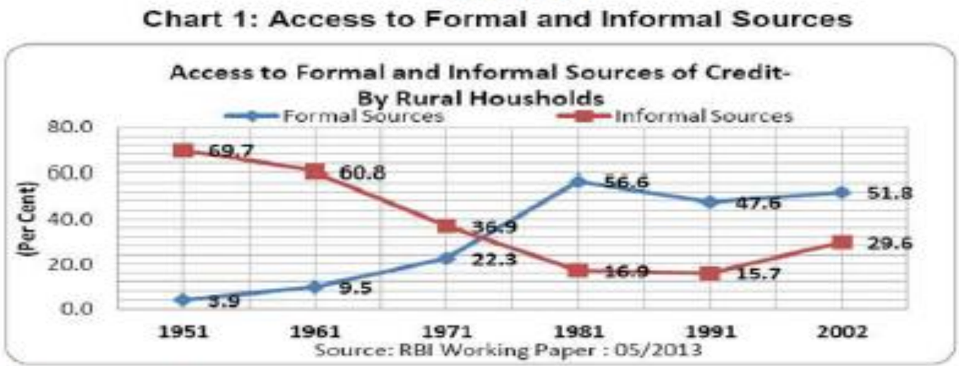

Source www.rbi.org.in

Graph 2 contains the details about access to banking services to rural and urban population

GRAPH 2:
Access to Banking Services

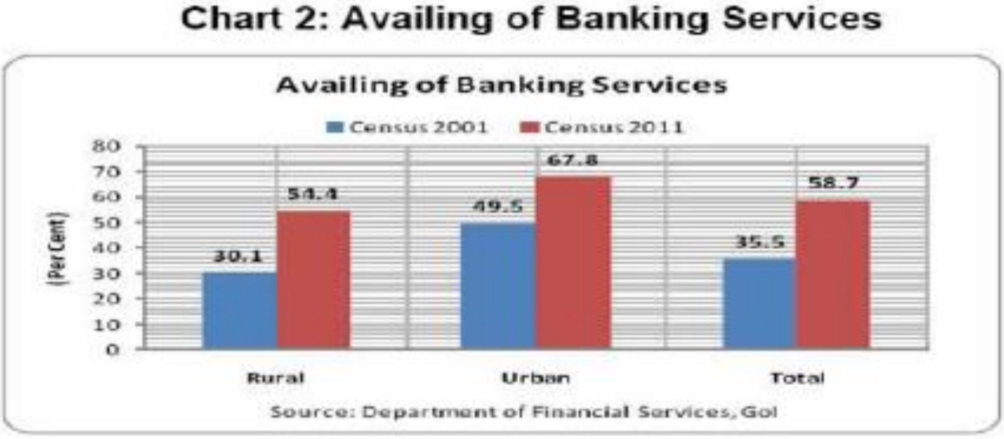

Source www.mof.goi.in

According to census report of 2011 results are as that out of total population only 58.7 percent population have access to banking services and remaining 42 percent do not have access to banking services, which shows that there is long road ahead to travel for financial inclusion.

INDEX OF FINANCIAL INCLUSION: CRISIL INDIA REPORT :- Index of financial inclusion prepared by credit rating agency CRISIL that measures the inclusiveness of financial services and products among population, this index is based on three dimensions, which are as

- Financial Accessibility
- Financial Availability
- Usage of Financial Services

These dimensions used to measure depth and access of financial services and financial products to people of that particular area. Value of index of financial inclusion is between zero to1, where zero stands for no access to financial services or very low level of financial inclusion. Value between 0 to 0.30 stands for medium value means average access to financial services and where value is one that shows high level of financial inclusion.

GRAPH 3:
Progresses Report of Inclusix an Index for Financial Inclusion

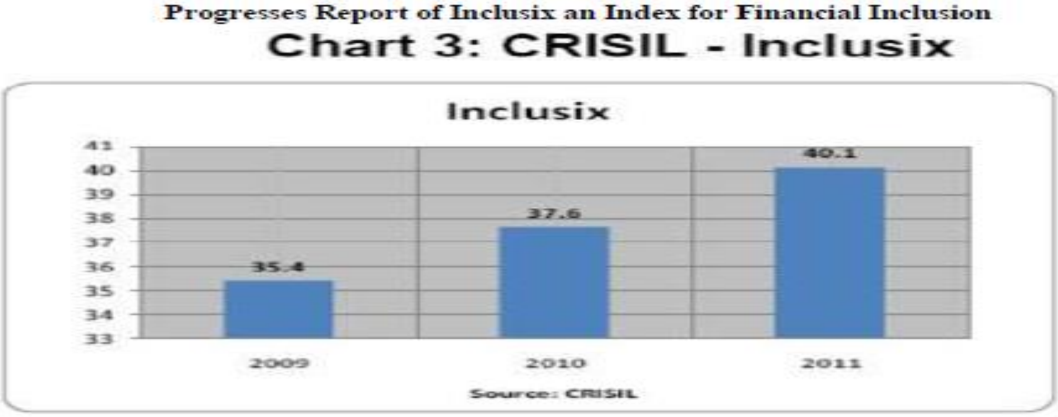

Source www.crisilindia.in

Above index is showing that overall position of financial inclusion in India is increasing in 2009 when inclusix was 35.4 percent, which went up to 37.6 percent in 2010, and 40.1 percent in 2011 showing a positive trend.

Conclusion :-Involvement of people in financial system and formal banking sector is necessary for the development of country. Although, efforts have been made in this direction to achieve objectives of financial inclusion, yet there are challenges in way of success. The PMJDY is playing its role in great manner by ensuring mass participation of people and providing them low cost financial services and banking facilities, still there is need to impart financial knowledge and awareness among people about benefits of banks and basic banking facilities. Banks have to open more branches that are in rural areas and banking outlets in remote areas along with ATM. Innovative and well designed products, which can cater the needs of poor and needed people, PMJDY have to make efforts to achieve its targets by opening new accounts and ensuring less and less financial exclusion on continue basis.

REFERENCES :-

- A.Mukherjee, and S. Chakraborty, “Financial Inclusion of the poor and Marginalised in Jharkhand: Analysis of the Existing Model”, International Journal on Research and Development-A Management Review (IJRDMR), 1(1), 2012.
- K. H. Divya, “A Study On Impact Of Financial Inclusion With Reference To Daily Wage Earners”, Journal Of Business Management & Social Sciences Research, 2(6), 2013, 85-92.
- A. Sharma and S. Kukreja, “An analytical study: Relevance of Financial Inclusion for developing nations”, International Journal of Engineering and Science, 2013, 15-20.
- M. Sarma and J. Pais, “Financial inclusion and development”, Journal of international development, 23(5), 2011, 613-628.

An Overview of Financial Inclusion in Rural India

Aditi Pandey
Guest Faculty in CMP, Degree College, Department of Economics, University of Allahabad

Abstract :- Inclusive growth is possible only through proper allocation and accessing of all the resources from top to bottom. Financial inclusion is an innovative concept which makes alternative techniques to promote the banking habits of the rural people because, India is The largest rural people consist in the world. The Eleventh Five year Plan (2007-12) envisaged inclusive growth as a key objective as well as a strategy for economic development. Financial inclusion is aimed at providing banking and financial services to all people in a fair, transparent and equitable Manner at affordable cost. The main objectives of this study is to know the rural development taken by the banks for financial inclusion, to examine the difficulties involved in the adoption of financial inclusion and also to enhance the extent of financial inclusion. The overall strategy for financial inclusion, especially amongst the poor and disadvantaged segments of the population should comprise ways and means to effect improvements within the existing formal credit delivery mechanism, as well as an evolution of new models for extending outreach, and a leverage on technology solutions to facilitate large scale inclusion. Only two to five percent of the 500 million poorest households in the world have access to institutional credit. Of which, women receive a disproportionately small share of credit from formal banking institutions. The Women's Self Help Group movement is bringing about a profound transformation in rural areas of India. Microfinance Institutions (MFIs) play a significant role in facilitating inclusion, as they are uniquely positioned in reaching out to the rural poor. This paper is an attempt to discuss the overview of financial inclusion and rural development in India.

Key Words :- Financial Inclusion, Reserve Bank, Inclusive Growth, Financial services, Microfinance Institutions.

With the progress of the Indian economy, especially when the focus is on the achievement of sustainable development, there must be an attempt to include maximum number of participation from all the sections of the society. But the lack of awareness and financial literacy among the rural population of the country is hindering the growth of the economy as majority of the population does not have access to formal credit. This is a serious issue for the economic progress of the country. Financial inclusion enables improved and better sustainable economic and social development of the country. It helps in the empowerment of the underprivileged, poor and women of the society with the mission of making them self-sufficient and well informed to take better financial decisions. Financial inclusion takes into account the participation of vulnerable groups such as weaker sections of the society and low income groups, based on the extent of their access to financial services such as savings and payment account, credit insurance, pensions etc. Also the objective of financial inclusion exercise is easy availability of financial services which allows maximum investment in business opportunities, education, save for retirement, insurance against risks, etc. by the rural individuals and firms. Since 2005, the Reserve Bank of India (RBI) and the Government of India (GOI) have been making efforts to increase financial inclusion. Measures such as SHG-bank linkage program, use of business facilitators and correspondents, easing of Know Your Customer (KYC) norms, electronic benefit transfer, separate plan for urban financial inclusion, use of mobile technology, bank branches

and ATMs, opening and encouraging 'no-frill-accounts' and emphasis on financial literacy have played a significant role for increasing the use of formal sources for availing loan/ credit. Measures initiated by the government include, opening customer service centers, credit counselling centers, Kisan Credit Card, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and Aadhar Scheme. These renewed efforts are more focused than the earlier measures which were more general in nature having a much wider scope. Though the measures were initiated earlier, their impact on the rural population needs to be analysed and reframed in order to understand the present scenario in the rural areas.

Literature Review :- Beck & De la Torre, (2006) financial inclusion can be used as a typical measuring tool for breadth of financial services, if it signifies the percentage of people in a given area having access to a bank account and other monetary services.

The Report Committee on Financial Inclusion headed by **Dr.C.Rangarajan (2008**) recommended that concepts like this must be taken up as a mission and suggested a National Mission on Financial Inclusion (NMFI).

World Bank (2008) financial inclusion is influenced by specific credit needs of various segment people arises for a number activities such as housing, micro enterprises, agriculture difficulties in accessing formal sources of credit

Mandira Sarma and Jesim Paise (2008) suggest that the issue of financial inclusion is a development policy priority in many countries. Using the index of financial inclusion developed in levels of human development and financial inclusion in a country move closely with each other, although a few exceptions exist.

Michael Chibba (2009) noted that Financial Inclusion is an inclusive development and Poverty Reduction strategy that manifests itself as part of the emerging FI-PR-MDG nexus. However, given the current global crises, the need to scale-up Financial Inclusion is now perhaps more important as a complementary and incremental approach to work towards meeting the MDGs than at any other time in recent history.

Joseph Massey (2010) said that, role of financial institutions in a developing country is vital in promoting financial inclusion. The efforts of the government to promote financial inclusion and deepening can be further enhanced by the pro-activeness on the part of capital market players including financial institutions.

Oya Pinar Ardic et al (2011) explained that using the financial access database by CGAP and the World Bank group, this paper counts the number of unbanked adults around the world, analyses the state of access to deposit and loan services as well as the extent of retail networks, and discusses the state of financial inclusion mandates around the world.

Methodology :-Secondary sources of data are used. Data published by various institutions such as Government of India, World Bank, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), Reserve Bank of India (RBI), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD, State Level Bankers‟ Committee (SLBC), etc are used for the purpose of the present paper.

Financial inclusion has become a central theme of India's developmental policy. The post-bank nationalization era (post-1969) has witnessed significant changes in the operational policies and practices of the formal financial agencies in the rural areas. A recently released National Sample Survey Organisation (NSSO)'s Situation Assessment Survey (SAS) of Agricultural Households revealed prevalence of high levels of dependence on non-institutional credit off-take in rural areas. Nearly 40 per cent of all loans came from informal sources with 26 per cent advanced by moneylenders. Marginal land holding households suffered the most with only 15 per cent of their credit being sourced from

institutional sources such as the government, cooperatives and banks. Post-independent India has stressed on progressive institutionalisation of rural and agricultural credit. India promoted an institutional structure for agricultural and rural credit were the cooperative sector ensured directed credit to farmers and State Bank of India and its associates were involved in financing these cooperative agencies. In 1969, the then government accepted that rural credit could not be met by co-operative societies alone and that the commercial banks need to play a leading role.

Trend in the Flow of Rural Credit :-As per the 2011 Census, around 60 per cent of the population in India depends on agriculture for a living and the agriculture sector provides employment to 55 per cent of the work force. The importance of productivity enhancement in the agriculture sector as a contributor to economic growth is well established (World Bank, 2007). To this end, access to formal finance is crucial for achieving higher agricultural productivity.Credit in the form of loans is used as working capital at the beginning of the growing season in order to purchase inputs, prepare land or invest in equipment as well for the harvest, processing, transport and to market the produce. Farmers also require savings. Since their income is tied to the harvest, savings can help them smooth consumption during the rest of the year. Furthermore, remittance and local and international money transfers are essential for farm workers and urban immigrants that left behind their rural families. Lastly, insurance can help farmers mitigate risk that stems from weather fluctuations, diseases and crop failure. However, the agriculture sector faces many constraints in becoming financially included. A recent Financial Inclusion Insights Survey, conducted by Intermedia, a global research consultancy, that interviewed over 45,000 respondents across 22 states in India, indicates that 43 per cent of those who work primarily in the agricultural sector do not have access to a bank account. The survey also reveals a large disparity between farmers and farm workers: 36 per cent of farmers vis-à-vis 55 per cent of farm workers do not have a registered bank account.

In terms of loan disbursement to agriculture, the Agricultural Statistics at a Glance 2014 report estimated that 52 per cent of all Indian agricultural households are indebted. When considering the state-wise distribution, large disparities can be detected The flow of direct institutional credit to agriculture and allied activities has witnessed rapid increase. Between 1971-72 and 2011-12, agricultural credit witnessed a jump of around 747 times from merely Rs. 883 crore to Rs 4,53,898 crore.

Chart 1: Acess to Formal & Informal Sources of Credit by Rural Households

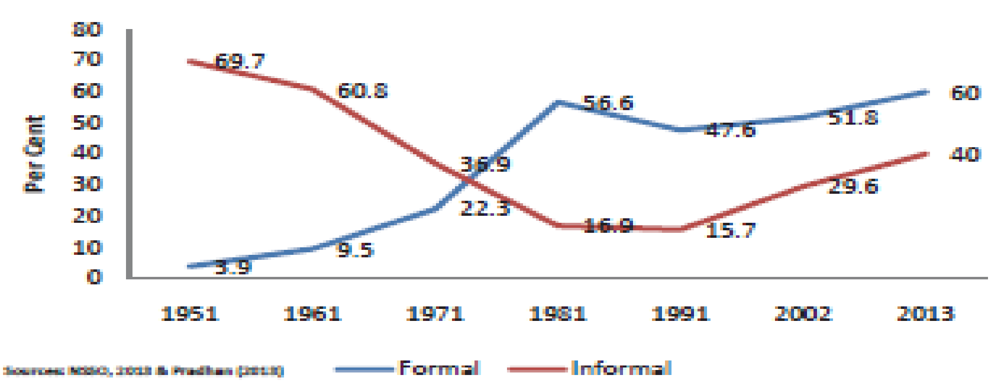

Chart 1 indicates that the share of institutional credit as a per cent of total debt has increased vis-à-vis that of the informal credit over time during the periods 1951 and 2013. The decline in the share of moneylenders may be well attributed to the central Government's efforts to register and regulate professional moneylenders and initiation of a plethora of measures strengthening institutional credit flow mechanisms in the agriculture and allied sector. However, the increasing dependency of informal sources of credit by rural households from 1991 onwards is a cause of concern. This increasing trend has posed a real challenge before the government to ensure rural financial inclusion.

Census	2001	2011
Households	**Percent of households availing banking services**	**Percent of households availing banking services**
Rural	30.1%	54.4%
Urban	49.5%	67.7%
Total	35.5%	58.7%

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was introduced by Prime Minister Shri Narendra Modi on August 15, 2014 to ensure 'access to various financial services to the excludedsections i.e. weaker sections and low income groups. The scheme envisions universal access to banking facilities with at least one basic banking account for every household. This will promote financial literacy, access to credit and insurance. The beneficiaries will receive a RuPay Debit Card having inbuilt accident insurance cover of Rs1 lakh. In addition, there is a life insurance cover of Rs. 30,000 to those who opened their bank accounts for the first time between 15 August 2014 and 26 January 2015. The scheme has entered the Guinness Book of World Records for opening the majority of bank accounts in the first week of the launch of the scheme.

The programme for financial inclusion under the PMJDY is based on **six pillars** :-

1) The country will be divided into a number of sub-service areas (SSA), each with 1,000-1,500 households. One banking outlet (branch or BC) will be established within a distance of five km from every SSA by August 2015.

2) One bank account will be ensured for every household by August 2015, along with a RuPay debit card and an accident cover worth Rs.1 lakh. If the credit history is satisfactory during the first six months, the account holder will become eligible for an overdraft worth Rs.5,000.

3) Financial literacy programmes will be expanded by August 2015 to spread awareness about financial services.

4)A Credit Guarantee Fund will be created before August 2018 to cover potential defaults in overdrafts.

5)All willing and eligible persons will be provided with micro-insurance by August 2018, and

6)Pension payments under the Swavalamban Yojana for workers in the unorganised sector will be paid through bank accounts by August 2018.

RBI's Policy on 'Financial Inclusion' :-

• No-Frills' Account : In the Mid Term Review of the Policy (2005-06), RBI exhorted the banks, with a view to achieving greater financial inclusion, to make available a basic banking 'no frills' account either with 'NIL' or very minimum balances as well as charges that would make such accounts accessible to vast sections of the population. The

nature and number of transactions in such accounts would be restricted and made known to customers in advance in a transparent manner.

- 'Simplification of 'Know Your Customer (KYC)' Norms : Banks are required to provide a choice of a 'no frills account' where the minimum balance is nil or very small but having restrictions on number of withdrawals, etc., to facilitate easy access to bank accounts.

- Ensuring reasonableness of bank charges : In order to ensure fair practices in banking services, the RBI has issued instructions to banks making it obligatory for them to display and continue to keep updated, in their offices/branches as also in their website, the details of various services charges in a format prescribed by it.

The scheme of **priority sector lending certificates** (PSLCs) was operationalised on April 7, 2016 to facilitate the achievement of priority sector lending targets by banks. It simultaneously incentivises surplus banks by making available a mechanism to sell their over-achievement, thereby enhancing lending to the categories under the priority sector. . Four types of PSLCs viz. General, Agriculture, Small and Marginal Farmers and Micro Enterprises can be bought/ sold by banks.

Benefits of PMJDY based financial inclusion to the rural population

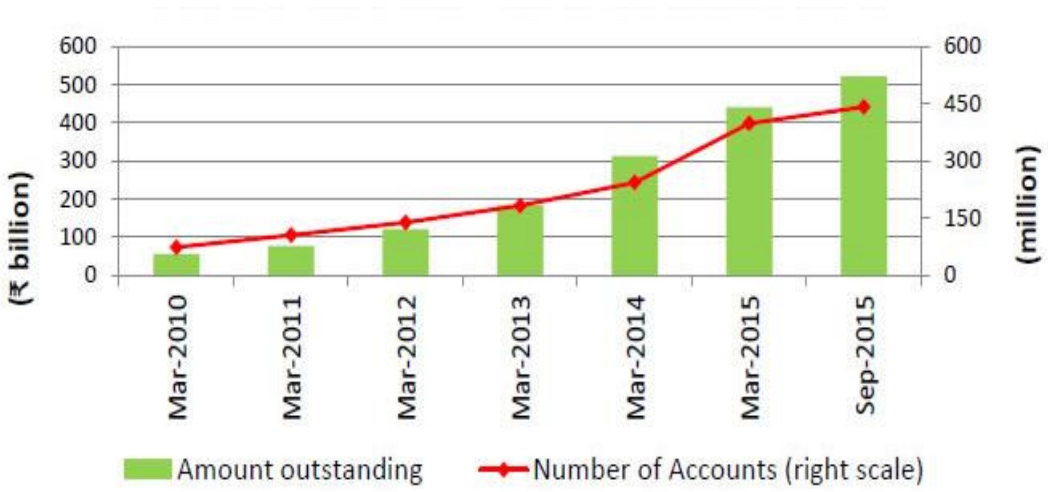

The big push towards financial inclusion in India has emanated from the Pradhan Mantri JanDhan Yojana (PMJDY) in August 2014 and the Jan Dhan Aadhaar Mobile (JAM) trinity articulated in the Government's Economic Survey 2014-15 as well as the special thrust on financial inclusion by the Financial Stability and Development Council (FSDC) that includes a Technical Group for dedicated attention to this issue. Thus,the inclusion drive has gone beyond the confines of various financial regulators and assumed the character of a broader national development policy goal.banks have shown interest in PMJDY drive with opening of about 60% accounts for the rural people and 88% of the account holders received debit cards Rupay. It is also heartening to observe that private sector banks have shown more zeal to open 61.5% of the accounts for rural people under PMJDY scheme. A total of 67% accounts under PMJDY have been opened with zero balance making even the poorest of the people financially included. Increasing productivity

in agriculture and related activities are necessary pre conditions which can be ensured by boosting investment in agriculture and agro based industries. Banks have enough opportunities to lend to the farmers for farm mechanisation, agriculture bio-technology and funding new age entrepreneurs for promoting agro based industries like milk, eggs, fruits, vegetables and pulses in rural areas.. Thus, the next phase of financial inclusion should emphasise on creation of productive assets and entrepreneurship development in farm sector which will surely add value to the GDP .

REFERENCES :-

1. AFI, (2010), The AFI Survey on Financial Inclusion Policy in Developing Countries, Preliminary Findings, April 2010, retrieved from: {HYPERLINK http://www.g24.org/Workshops/afisur.pdf };

2. Anilkumar, M., Beegam, S. Resia, (2009a) Financial Inclusion : Challenges & Opportunities in the Liberalised Era, Chapter 5 of the Book on 'Special Economic Zones in India - Financial Inclusion : Challenges & Opportunities', edited by P.K. Manoj, Serials Publication, New Delhi, pp 89-97;

3. Brij, Raj, (2010), Profitable Models for Financial Inclusion, retrieved from: {HYPERLINK http://iobbancon2011.com/uploads/CEDocuments / Compdm/Article16.pdf};

4. CGAP, (2012), Commentary on the Rangarajan Committee Report (2008) on the Blog of CAGP-MICROFINANCE-GATEWAY, retrieved from: {HYPERLINK http://www.microfinance gateway.org/p/site/m//template.rc/1.9.43095};

5. Chakrabarty, K.C., (2011), Dy. Governor RBI in his Forward to the Book 'Towards Financial Inclusion in India', by Karmakar, K.G., Banerjee, G.D., Mohapatra, N.P., Sage Publications, New Delhi, pp xv-xvi;

6. Chaia, Alberto, Schiff Robert and Silva Esteban (2010), 'A new idea in banking for the poor' McKinsey's Quarterly, (November 2010), retrieved from {HYPERLINK http://www.mckinseyquarterly.com/A_new_idea_in_ banking_for_the_poor_2703)};

7. Chattopadhyay, Sadhan Kumar, (2011), RBI Working Paper on Financial Inclusion in India-A case study of West Bengal July 2011 retrieved from: {HYPERLINK

8. ECB Bulletin, (2012), European Central Bank's Bulletin on Economic Monetary Developments for August 2012, retrieved from: {HYPERLINK http://www.ecb.int/pub/pdf/mobu/mb201208en.pdf};

मध्यप्रदेश में शैक्षिक कार्यक्रम का जनजातीय विकास में योगदान – एक मूल्यांकन

डॉ. सीमा सिंह
समाजशास्त्र विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

शिक्षा एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य बालक में मानसिक आध्यात्मिक, सामाजिक एवं भौतिक गुणों का विकास करना है जिससे वह सम्पूर्ण पर्यावरण के साथ सफल अनुकूलन कर सकें।

(गुप्ता एवं शर्मा) समाज शास्त्र पेज 847 साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।

शिक्षा सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करने वाली एक प्रक्रिया है यह जीवन को एक अर्थ पदान करती है शिक्षा प्रत्येक समाज में अलग–अलग रूपों में पाई जाती है।

इसी सन्दर्भ में शिक्षा ने शहरी समाज के साथ–साथ जनजातीय समाज को भी प्रभावित किया है। विशेषकर मध्यप्रदेश भारत का वह राज्य है जहाँ जनजातियाँ बहुतायत में पाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदश में जनजातियाँ करोड़ों हैं।

जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है। यह परम्परागत रूप में ऐसा संगठन है जिसमें शिक्षा और सस्कृति का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जनजातीय समाज में शिक्षा का तात्पर्य पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने से नहीं था वरन् समाज एवं संस्कृति से अनुकूलन स्थापित करने से था यहॉ परिवार, पड़ोस, नातेदारी समूह एवं अन्य अनौपचारिक साधनों द्वारा ही व्यक्ति को शिक्षा प्रदान की जाती थी। परंतु यह शिक्षा सार्वभौमिक न होकर केवल कुछ लोगों एवं वर्गो तक ही सीमित थी।

(गुप्ता/शर्मा समाजशास्त्र पेज नं. 847 साहित्य प्रकाशन)

परंतु आधुनिक शिक्षा ने इस मिथक को तोड़ा है मध्यप्रदेश में चलाए जा रहे विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों ने जनजातीयों मे न केवल जागरूकता लाने का कार्य किया है अपितु उनके सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जनजातीय समाज में भाषा ज्ञान व शब्दकोष का विकसित न होना जागरूकता की कमी विकासात्मक प्रक्रिया में उनकी न्यूनतम भागीदारी, न्यूनतम प्रशासनिक भागीदारी, जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज व शैक्षिक गतिविधियों का अभाव।

साक्षरता का प्रतिशत कम होना संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक न होना। इन सभी समस्याओं के चलते मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय बहुल क्षेत्रों और समूहों में विभिन्न शैक्षिक कायक्रम प्रारम्भ किए गए।

(आगे आयें लाभ उठायें – मध्यप्रदेश शासन की योजनाऐं जनसम्पर्क विभाग म.प्र.)

प्री मैट्रिक छात्रावास – कक्षा 6 से 12 तक के छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है।

आश्रम शालाऍं :– कक्षा 1 से 8 तक छात्र–छात्राओं के लिए पृथक–पृथक आश्रम शालाऍं संचालित हैं इसमें आवासीय सुविधा के अंतर्गत शैक्षणिक सुविधा व शिष्यकृति भी प्रदान की जाती है।

शिष्यवृति की दरों में वृद्धि :– म.प्र. के मूल निवासियों के लिए वर्ष 2012–13 में बालकों को 788 रूपये एवं बालिकाओं को 825 रूपये प्रतिमाह शिष्यवृति प्रदान की जाती है। विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को छात्रवृत्ति – सहरिया, भारिया, बैगा, जनजाति के कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृति प्रदान करना।

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन :– अनुसूचित जनजाति की कन्याओं को निरन्तर शिक्षा जारी रखने हेतु प्रात्साहित करना एवं उनकी आर्थिक सहायता

करना है। योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है।

प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल में एवं सैनिक स्कूल में प्रवेश योजना :— मध्यप्रदेश में स्थित सैनिक स्कूल व विभिन्न पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के होनहार विद्यार्थियों हेतु 10 सीट आनक्षित कराई गइ है।

विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृति योजना :— अनसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो राज्य शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए विदेशों में अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी की फीस शिक्षण शुल्क छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। सिविलि सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने क लिए प्रोत्साहन राशि दिया जाना। अनुसचित जनजाति के योग्यता प्राप्त शिक्षित अभ्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर पोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

क्रं.	परीक्षा का स्तर	संघ लोक सेवा आयोग में पात्रता राशि	म.प्र. लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पात्रता राशि
1.	प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण	40,000 / —	20,000 / —
2.	मुख्यपरीक्षा में उत्तीर्ण	60,000 / —	30,000 / —
3.	साक्षात्कार में उत्तीण	50,000 / —25,000 / —	

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र :— मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के स्कूल व स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पी.एम.टी., नीट, जे.ई.ई. के लिए प्रशिक्षित करना।

उपरोक्त सारे कार्यक्रम का प्रभाव मध्यप्रदेश की जनजातियों पर व्यापक दिखाई देता है। भारत सरकार के जनगणता विभाग द्वारा वर्ष 2001 व वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार म.प्र. के विभिन्न जिलों व तहसीलों में विशेषकर जनजाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रभाव उनकी साक्षरता

वर्ष	नरसिंहपुर	शाजापुर	भोपाल	उज्जैन	रायसेन	बालाघाट	अलीराजपुर	जबलपुर	सिवनी
2001	64.4	60.3	59.0	55.5	54.7	53.6	26.6	51.8	53.4
2011	63.8	64.0	64.7	61.8	58.9	66.7	32.4	64.3	62.7

तहसील स्तर पर जनजातियों के साक्षरता दर

उच्च			निम्न		
जिला	तहसील		जिला	तहसील	
भिंड	रान	96.4	बडवानी	पाटी	25.5
भिंड	लेहार	84.2	बड़वानी	बरला	29.4
छतरपुर	लोंडी	81.7	अलीराजपुर	अलीराजपुर	30.4
होशंगाबाद	होशंगाबाद	75.3	बुरहानपुर	नेपानगर	30.7

मुरैना	पोरसा	75.2	टीकमगढ़	ओरछा	30.8

(Analytical report on primary census Abstract, 2011)

म.प्र. में जनजातियों की कार्य भागीदारी दर (उच्च दर)

वर्ष 2001

डिंडोरी	अलीराजपुर	नीमच	मंडला	सिवनी	दतिया
59.6	56.9	56.6	56.0	53.6	53.6

वर्ष 2011

डिंडोरी	नीमच	मंडला	बैतूल	बालाघाट	मंदसौर
56.8	56.4	56	54.5	52.2	53.9

मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत वर्ष 2011 में 21.1 प्रतिशत रहा है। मध्यप्रदेश सरकार जनजातियों के समग्र विकास विशेषकर सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम चला रही है। जिसका व्यापक प्रभाव जनजातियों की साक्षरता दर और कार्यभागीदारी दर पर दिखाई दिया है।

मध्यप्रदेश में जनजातियों की साक्षरता दर वर्ष 2001 से वर्ष 2011 क मध्य तेजी से परिवर्तित हुई है। वर्ष 2011 में जनजाति साक्षरता दर 50.6 प्रतिशत रही है। हालॉकि मध्यप्रदेश के जनजाति बहुल जिलों में साक्षरता दर में परिवर्तन बेहद धीमा रहा है। विशेषकर अलीराजपुर में साक्षरता दर की गति धीमी रही है वर्ष 2001 में जहॉं अलीराजपुर में जनजाति साक्षरता दर 26.6 प्रतिशत रही है वहीं वर्ष 2011 जनगणना में जनजाति साक्षरता दर 32.4 प्रतिशत रही है। अर्थात 10 वर्षो में मात्र 6 प्रतिशत ही साक्षरता दर बढ़ पाई।

जबकि नरसिंहपुर जहॉं वर्ष 2001 जनगणना में जनजाति साक्षरता दर में उच्च रहा है वहीं वर्ष 2011 जनगणना में बालाघाट में जनजाति साक्षरता दर का प्रतिशत 66.7 प्रतिशत उच्च पाया गया है चूंकि यहॉं पर जनजाति जनसंख्या भी अधिक मात्रा में है।

शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभाव बालाघाट, शाजापुर, सिवनी जैसे जनजातीय बहुल जिलों में वर्ष 2011 में स्पष्ट दिखाइ दे रहा है। वहीं दूसरी ओर अन्य जनजातीय बहुल जिलों जैसे बड़वानी, अलीराजपुर, बुरहानपुर में साक्षरता का प्रतिशत निम्न रहा है।

कार्य भागीदारी की दृष्टि से जनजातीयों का स्पष्ट योगदान डिडोंरी, अलीराजपुर, मंडला, बालाघाट के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है वर्ष 2011 जनगणना में डिंडोरी में जनजातियों की कार्य भागीदारी लगभग 56.8 प्रतिशत रही है जो कही न कही उनमें शैक्षिक कार्यक्रम के प्रभाव को दिखलाता है जिससे सामाजिक विकास की अवधारणा मजबूत हुई है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जनजातियों के लिए चलाए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रमों से विशेष पिछड़ी जनजातियों जैसे बैगा, सहरिया, भारिया आदि के सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ा है। अनुसूचित जनजातियों के छात्र–छात्राऐं न केवल राज्य स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, अनुसंधान वैज्ञानिक आदि में ऊचाइयां को छू रहे हैं बल्कि विदेशों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अग्रसर हो रहें है। राम अहुजा भारतीय समाज – शैक्षिक व्यवस्था पेज नं 229

हॉलाकि मध्यप्रदेश में शैक्षिक कार्यक्रमों को एक सार्वभौमिक नीति जनजातीय बच्चों को भाषा समझने में कठिनाई होना सांस्कृतिक व सामाजिक अवरोध होना, अपर्याप्त सुविधाएँ जिसके चलते

जनजातियों के सामाजिक विकास की दर तुलनात्मक रूप से धीमी रही है।

विशेषकर मध्यप्रदेश के वे जिले जो जनजातीय बहुल हैं वहाँ पर उनके सामाजिक विकास पर शिक्षा का असर कम हुआ है, वहीं जो विकसित और प्रगतिशील जिल हैं वहां जनजातियों में शिक्षा का स्तर ऊँचा पाया गया है।

निष्कर्षत :– जनजातीय बहुल जिलों को विकास की समग्र धारा से जोड़ना होगा।

भारतीय स्टेट बैंक का आर्थिक विकास में योगदान

सविता सोहाने
शोधार्थी, रा.दु.वि.वि. जबलपुर

भारत के आर्थिक विकास में भारतीय स्टेट बैंक का महत्वपूर्ण योगदान रहा हैं सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक ने अपने प्रगतिशील कार्यो के फलस्वरूप प्रमुखता हासिल की है यह बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग एंव वाणिज्यिक क्षेत्रों को साख सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा बैंक विभिन्न क्षेत्रों में शाखाएं खोलकर बैंकिंग में योगदान दे रहा है। साथ ही यह बैंक शहरी एंव ग्रमीण क्षेत्रों की बचतों को प्रोत्साहित कर गतिशीलता प्रदान कर रहा है । भारत के आर्थिक विकास में भारतीय स्टेट बैंक के योगदान को निम्न बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है।

भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना एक शक्तिशाली व्यापारिक बैक के रूप में की गयी है। स्टेट बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत् है, इसकी स्थापना कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर की गयी है। इस सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार एवं ग्रामीण साख की व्यवस्था, लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता, निर्यात तथा लघु व्यवसाय के लिए वित्तीय व्यवस्था आदि कुछ प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किये गये है।

बैंकिग सुविधाओं का विस्तार :–स्टेट बैंक के स्थापना के समय से ही ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग सुविधाओं के विस्तार का दायित्व उसे सौंपा गया था जिसे भारतीय स्टेट बैंक ने सफलता पूर्वक लक्ष्य प्राप्त कर लिया। शाखा विस्तार कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक निरंतर सफलता प्राप्त कर रहा है। वर्तमान में (31.03.2013) भारत में भारतीय स्टेट बैंक कि कुल शाखांए 14816 है जो कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

तालिका क्रमांक 1
भारतीय स्टेट बैंक की 31.3.2013 वर्ष तक की शाखाओं का विवरण

शाखाएं	ग्रामीण	अर्धशहरी	शहरी	महानगरीय	योग
31.3.2013	5382	4165	2624	2341	14816

आरेख क्रमांक 1

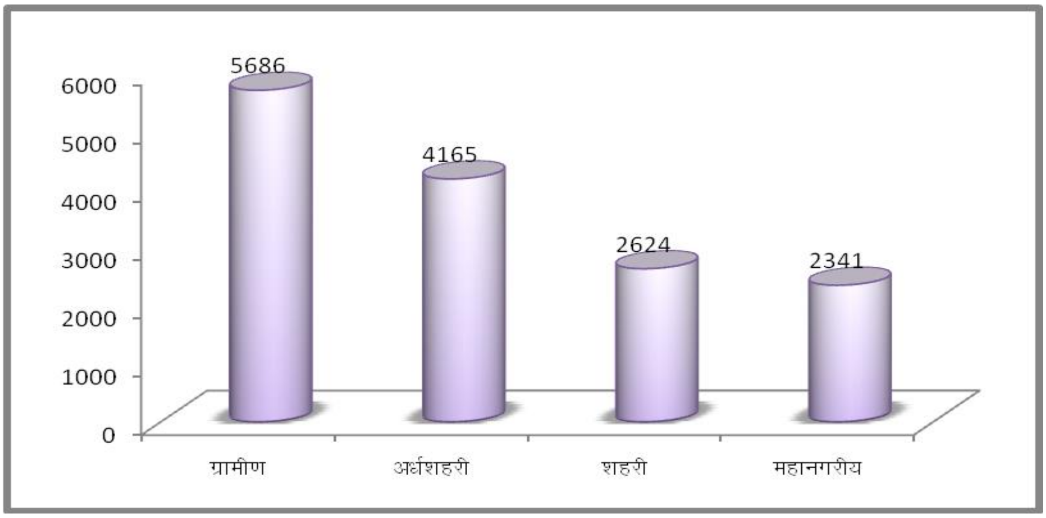

जमाएंः–भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में एक सुदृढ एंव शक्तिशाली व्यापारिक बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना कर रहा है। व्यापारिक बैंकों की प्रथम आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में जमाओं का संग्रह करना होता है दिनांक 31/03/2012 तक एकल जमाराशियां 1043647.37 करोड़ रूपये थी तथा समेकित 1202739.57 करोड़ रूपये जमा राशिया थी। अतः स्पष्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक लोगों की बचतों को प्रोत्साहित कर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

ऋण अग्रिम एवं विनियोग :–नियोजित विकास के संदर्भ में स्टेट बैंक ने देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान की है। स्टेट बैंक ऋण अग्रिम एंव विनियोग आदि विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान कर आर्थिक विकास में योगदान दे रहा है।

कृषि क्षेत्र को वित्तीय सहायता :–भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं हेतु पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2011–12 में 53214 करोड़ 2012–13 में 63936 करोड़ एवं 2013–14 में 74970 करोड़ के ऋण प्रदान किए गए।

भारतीय स्टेट बैंक ने अपना गाँव योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 121 गाँव के समग्र विकास के लिये अपना गाँव योजना के अंतर्गत अग्रणी कार्य। इन्हें मिलाकर अब कुल गाँव की संख्या 1383 हो गयी है।

किसान समुदाय के साथ निरंतर सुदृढ़ संबंध स्थापित करने के निमित्त 145 नए किसान क्लब बनाये इन्हें मिलाकर 31.03.2014 को किसान क्लबों की संख्या 10670 हो गई है।

कृषि वित्त के क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक के योगदान को दो भागों में विभाजित किया गया है।

सामान्य सहायताः–राज्य सहकारी बैंकों को सप्ताह में तीन बार निःशुल्क धन प्रेषण की सुविधा प्रदान की जाती है। प्रेषण सुविधा के अतिरिक्त बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंक का सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर सामान्य ब्याज दर से आधा प्रतिशत कम ब्याज दर पर वित्तीय सुविधा प्रदान करता है। धन–प्रेषण की निशुल्क सुविधा सप्ताह में एक बार केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भी उपलब्ध हैं। स्टेट बैंक सहकारी साख संस्थाओं को माल की धरोहर पर आधा प्रतिशत कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। क्रय–विक्रय एंव विधायन कार्य करने

वाली सहकारी समितियां जो केन्द्रीय सहकारी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर पाती है उन्हें स्टेट बैंक माल की जमानत पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कृषि वित्त के क्षेत्र में कृषि मालगोदामों का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि मालगोदामों के विकास के संबंध में स्टेट बैंक ने निम्न कार्य किये है। – बैंक ने केन्द्रीय माल गोदाम निगम के द्वारा निर्गमित एक करोड़ रूपये के अंश खरीदें।, राज्य मालगोदामों निगमों के सफल कार्य संचालन के उद्देश्य से बैंक न अपने प्रशिक्षित अधिकारी प्रति–नियुक्ति पर भेजे है।माल गोदामों की अधिकृत रसीदों की जमानत पर सामान्य ब्याज दर से कम पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

दीर्घ कालीन वित्त :–दीर्घकालीन वित्त के संबंध में स्टेट बैंक भूमि विकास बैंकों द्वारा निर्गमित ऋण–पत्रों को खरीदता है तथा उनकी जमानत पर ऋण प्रदान करता है।

कृषि को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायताः–स्टेट बैंक द्वारा कृषि को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता कार्यक्रम सन् 1968 से प्रांरभ किया गया। प्रारंभ में अनुभवहीनता के फलस्वरूप बैंक का योगदान अधिक प्रभावी सिद्व नहीं हुआ। वास्तविक रूप मे सन् 1970 में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के संबंध में सुदृढ कार्यक्रम एंव नीतियां निर्धारण की गयी। सर्वप्रथम क्षेत्रीय पहुंच विधि अपनायी गयी। इस विधि के अंतर्गत एक निश्चित क्षेत्र जिसमें कुछ गांव सम्मिलित होते है, चुन लिया जाता है उस क्षेत्र की कृषि वित्त विनियोग ऋण संबधी योजनाएं बना कर तद्नुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं। कृषि क्रियाओं के अतिरिक्त कृषि की सहायक क्रियाओं जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, दुग्ध व्यवसाय आदि के लिए छोटे तथा सीमान्त कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके।

इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ने किसी एक विशिष्ट गांव की समग्र कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य हेतु गांव को गोद लेने की योजना भी प्रारंभ की। जिस प्रकार संतान विहिन दम्पत्ति किसी बालक को गोद लेकर उसका लालन पालन करते हैं। ठोक उसी प्रकार इस योजना के अंतर्गत स्टेट बैंक किसी एक गांव को अपनाकर उसकी समस्त कृषि संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। स्टेट बैंक ने गहन कृषि विकास केन्द्रों में कृषि विकास शाखाओं की स्थापना की है।

लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता :–देश की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग के महत्व को देखते हुए उन्हे वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बैंक ने सन् 1956 में एक निर्देशक योजना प्रारंभ की थी। इस योजना का क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में हुआ। प्रथम चरण में बैंक की शाखा द्वारा इस योजना के अंतर्गत ऋण देना प्रारंभ किया गया। सन् 1957 एंव 1958 में क्रमशः 36 एंव 33 में शाखाओं को इस योजना में सम्मलित किया गया। योजना की प्रगति संतोषप्रद रही। 1959 में बैंको की समस्त शाखाएं इस योजना में सम्मलित कर ली गई। इस योजना के अंतर्गत लद्यु उद्योगों को अल्प एंव मध्यमकालीन अवधि के ऋण प्रदान किये गये।

सन् 1956 में एक उदार ऋण योजना प्रारंभ कि गई। इस योजना के अंतर्गत कच्चे माल निर्मित माल आदि की जमानत पर चालू पूंजी के लिए उदर शर्तो पर ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई। ग्रामीण उद्योग परियोजना के अतंर्गत लद्यु उद्योगों के विकास एव कारीगरों की आर्थिक दशा में सुधार के लिए ऋण बिना जमानत के प्रदान किये जाते है। सी.जी.टी.एम.एस.ए. गारण्टी के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को एक करोड़ तक की राशि के संपाश्विक मुक्त ऋण दे रहा है।

विदेशी व्यापार की वित्तीय सहायता :–विदेशी विनिमयों में व्यवसाय करने के अतिरिक्त स्टेट बैंक देश के विदेशी व्यापार को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बैंक पूंजीगत वस्तुओं के आयात सौदों के सम्बन्ध में स्थगित भुगतान

प्रणाली के आधार पर वित्तीय सहायता देते है। निर्यात संवर्द्धन भुगतान प्रणाली के आधार पर वित्तीय सहायता देता है। अपितु निर्यात विपणन का कार्य भी करता है। विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक ने विश्व के प्रमुख आर्थिक केन्द्रों में अपनी शाखायें स्थापित की है।

मर्चेन्ट बैंकिंग विभाग :–सन् 1972 में बैंक ने बम्बई स्थित अपने केन्द्रीय कार्यालय में एक मर्चेन्ट बैंकिंग विभाग की स्थापना की है। इस विभाग का प्रमुख कार्य उद्योगों को सलाह प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त यह विभाग तकनीकी परियोजनाओं के तैयार करने अभिगोपन तथा निर्गमन गृह के रूप में भी कार्य करता है। बैंक की अहमदाबाद कलकत्ता मदास एंव नई दिल्ली शाखाओं में भी इस विभाग की स्थापना की गई है। वर्तमान में यह विभाग लगभग चालीस परियोजनाओं को परामर्श प्रदान कर रहा है। यह विभाग राज्य औद्योगिक विकास निगमों को विभिन्न उद्योगों के विकास हेतु भी सहायता प्रदान करता है।

एस.बी.आई. ग्रीन कार्ड योजनाः–कृषि से संबंधित सहायक सामग्री प्राप्त करने हेतु कृषकों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने की दृष्टि से मार्च 1990 में यह योजना कुछ चयनित कृषि विकास शाखाओं में और कृषि बैंकिग प्रभाग वाली शाखाओं में प्रारम्भ की गई। यह योजना लोकप्रिय होने से इसका विस्तार किया जा रहा है। इस प्रकार ग्रीन कार्ड कृषि साख कार्ड है जो तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहता है।

सदर्भ :–

1. शोध प्रबंध 'भारतीय स्टेट बैक के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण आशीष कुमार जैन 2005
2. शोध प्रबंध, ''राष्ट्रीयकृत एवं निजी क्षेत्र के बैंको के ग्राहकों की संतुष्टि स्तर का तुलनात्मक अध्ययन'' कु. मालती रजक 2010
3. शशि किरण नायक, ''भारत में बैंकिंग उद्योग के विकास का महत्व'', राष्ट्रीय सेमीनार, डी. एन. जैन महाविद्यालय, जबलपुर, 2009
4. आर. एस. सोहाने, भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका, राष्ट्रीय सेमीनार, शोध पत्र 2002

प्रधानमंत्री रोजगार योजना का विकास—एक परिचय

डॉ. संजय तिवारी
विभागाध्यक्ष (वाणिज्य), नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
श्रीमती शिल्पा भारद्वाज (मिश्रा)
शोध—छात्रा, रा.दु.वि.वि.,जबलपुर (म.प्र.)

भारत में बेरोजगारी की समस्या का प्रभावी समाधान 'स्वरोजगार' के द्वारा ही निकाला जा सकता है इसके लिए सर्वप्रथम शिक्षित व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना आवश्यक है ताकि वे स्वयं अपना कारोबार स्थापित कर सकें और सरकारी नौकरियों के लिए ललायित न हों।

शिक्षित व्यक्तियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से अधिक वित्तीय सहायता, अनुदान, व्यवसायोन्मुखी प्रशिक्षण आदि प्रदान किया जाना चाहिए। स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों एवं संस्थाओं की स्थापना की जाय तभी देश में बेरोजगारी को नियंत्रित सीमा तक कम किया जा सकता है। इस दिशा में 'प्रधानमंत्री रोजगार योजना' एक सार्थक पहल है।

2 अक्टूबर 1993 से यह अति महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण भारत में शिक्षित बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से लागू की गई, जिसे 1 अप्रैल 1994 से सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लघु उद्यमों की स्थापना द्वारा दीर्घकालिक रोजगार प्रदान करना है। इन उद्यमों में निर्माण सेवा एवं व्यापारिक संस्थानों का भी समावेश है। इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को बैंक की सहायता से ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार (लघु उद्योग, व्यवसाय अथवा सेवा इकाई) स्थापित करने में सहायता देने का प्रावधान है। इसके अलावा इकाई के सुचारू संचालन एवं प्रबंधन के लिए उन्हें मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण भी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के हित में अभी तक संचालित की गई समस्त योजनाओं में से संभवतः यह सबसे व्यापक एवं बहुउपयोगी योजना है जिसका सही क्रियान्वयन न केवल लाखों शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार का मार्ग प्रशस्त करेगा बल्कि इससे देश के औद्योगीकरण विशेष रूप से अत्यंत लघु क्षेत्र को भी नई दिशा मिल सकेगी।

इस योजना के सफल संचालन का उत्तरदायित्व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य उद्योग मंत्रालयों पर है जो प्रभावी ढंग से योजना के संचालन हेतु तत्पर है।

प्रधानमंत्री कार्यालय योजना की प्रगति एवं क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का सतत् मूल्यांकन करता रहा है। इसके अलावा विकास आयुक्त (लघु उद्योग), उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार कार्यालय भी विभिन्न स्त्रोतों से योजना की समीक्षा करता है। प्रदेश का उद्योग विभाग भी योजना को और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए राज्य स्तर पर प्रयत्नशील है।

इस संबंध में विभिन्न गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप जिला उद्योग केन्द्र एवं बैंक अधिकारियों को इनके माध्यम से अपनी बात कहने तथा दूसरों के विचार सुनने का अवसर मिला है।

प्र.रो.यो. के प्रावधानों में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को अपेक्षाकृत ज्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मंशा है, क्योंकि शिक्षित महिलाओं में पुरूषों की अपेक्षा बेरोजगारी अधिक है। इस संदर्भ में इस योजना में प्रस्तावित किया गया है कि सेवा कार्य का क्षेत्र महिलाओं के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा उपयुक्त रहेगा। जैसे – इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल उपकरणों का निर्माण एवं मरम्मत, घड़ियों की असेम्बलिंग, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, बेबी क्रेश इत्यादि के लिए इन्हें प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखा गया है।

आठवीं योजना काल में इस योजना के माध्यम से उद्योग व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में 70

लाख लघुत्तर उद्यम स्थापित करके 10 लाख से अधिक 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार स्थापना में सहयोग देने का प्रावधान किया गया है। 1993–94 तक इस योजना का का विस्तार केवल शहरी क्षेत्रों तक ही था।

1 अप्रैल 1994 से इस योजना में संशोधन करते हुए इसे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया तथा 'शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की योजना' (Selfemployment to the educated unemployment youth-SEEUY) जो वर्ष 1983–84 से शहरी बेरोजगार युवकों (कम से कम मैट्रिक पास एवं 18 से 35 आयु वर्ग) को 25 प्रतिशत सब्सिडी के साथ रोजगार हेतु वित्तीय सहायता देने की योजना प्रारंभ की गई थी, का विलय इस प्रधानमंत्री रोजगार योजना में कर दिया गया।

शासन द्वारा प्रारम्भ किये गये अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जो लोगों को स्व–रोजगार गतिविधियों में संलग्न होने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वृहद स्तर पर स्व–रोजगार का प्रचार–प्रसार करने वाली प्रमुख योजनायें हैं – ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों को राजगार देने की योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक गरीबी–उन्मूलन कार्यक्रम है, जिसका प्रारम्भ 1999 में आई.आर.डी.पी. ट्रायसेम एवं ड्वाकरा जैसी अनेक योजनाओं का समामेलन कर एक समग्र कार्यक्रम के रूप में किया गया था। इस योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीबों को सूक्षम उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण प्रदान किये जाते हैं। ये ऋण मुख्यतः स्व–सहायता समूहों को वितरित किये जाते हैं, यद्यपि इसमें स्वरोजगार का भी समावेश है। यह योजना सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित है तथा मूलभूत स्तर पर सामाजिक संघटन पर बल देती है। अन्य दो प्रमुख स्वरोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमों के समान प्रधानमंत्री रोजगार योजना में भी स्वरोजगार उपक्रम, प्रशिक्षण एवं बैंक ऋण को शामिल कर यही तत्व सम्मिलित किये गये हैं। यह योजना सूक्ष्म–वित्त कार्यक्रम के समान ही प्रतीत होतो है, परंतु मूल अंतर यह है कि स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना एवं शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना की तुलना में ऋण लघु स्तर पर दिये जाते हैं। एक और अंतर यह है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना न्यूनतम शक्षणिक योग्यता वाले बेरोजगार लोगों को लक्षित करती है जबकि सूक्ष्म वित्त के लिये ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती, क्योंकि इसमें प्रमुख मानदंड गरीबी है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में ऋण प्रमुखतः स्व–सहायता समूहों को दिये जाते हैं जबकि प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण सामान्यतः व्यक्तियों अथवा साझेदारों को दिये जाते हैं।

योजना के दूसरे वर्ष अर्थात् 1994–95 में 2.20 लाख लघुत्तर उद्यम (Tiny Units) स्थापित करके 4.40 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया किंतु वास्तव में 1.96 लाख लघुत्तर उद्यम इकाईयां खोली जा सकी और 2.71 लाख का रोजगार सृजन किया जा सका।

वर्ष 1995–96 में नवम्बर 95 तक 1.01 लाख लघुत्तर इकाईयां खोली गई तथा 0.67 लाख का अतिरिक्त रोजगार सृजन किया गया।

1997–98 के दौरान प्रयोगों में 2.20 लाख लाभार्थियों को ऋण देने का लक्ष्य था। दिसम्बर 1997 के अंत तक कुल 1.02 लाख युवाओं को ऋण स्वीकृत किए गए।24 दिसम्बर 1998 को केन्द्रीय मंत्री परिषद् ने प्र.रो.यो. (PMRY) के दायरे को विस्तृत करते हुए नियमों में संशोधन पारित किया है। प.रो.यो. में अब औद्योगिक एवं सीमित व्यापारिक गतिविधियों के अतिरिक्त बागवानी, मछली पालन एवं पोल्ट्री व्यवसाय सहित कृषि एवं सभी आर्थिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। इस स्वर्णिम चतुर्भज परियोजना (Golden Quadrilateral Project) में अन्य संशोधन यह है कि अब आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिसमें एक लाख रूपये तक के ऋण हेतु किसी जमानत की आवश्यकता नहीं होगी तथा अधिकतम दो लाख 15 : या 15000/– जो अधिक हो, की जमानत पर ऋण उपलब्ध किया जाएगा।

वर्ष 1993 से 2007 तक की अवधि में प्रधान मंत्री रोजगार योजनांतर्गत लक्ष्य एवं प्रकरण संख्या में वृद्धि परिलक्षित हुई है। यह वृद्धि दो वर्षों पश्चात् ही अर्थात् 1995–96 से ही दृष्टिगोचर हो रही है जहाँ प्रकरणों की संख्या लक्ष्य से अधिक हो गई। वही भुगतान के परिप्रेक्ष्य में भी समंक संतोषजनक हैं क्योंकि जहाँ लक्ष्य के 93 प्रतिशत का भुगतान हितग्राहियों का किया गया, वहीं अनुमोदित राशि का भी 78 प्रतिशत भाग हितग्राहियों को प्रदान किया गया जो सफल तो नहीं अपितु देश में बेरोजगारी की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए संतोषजनक अवश्य कहा जा सकता है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजनांतर्गत रोजगार उपार्जन (संदर्भ वर्ष 2007)

वर्ष	अनुमानित रोजगार	संख्या (सावधिक)
1993-94	34553	
1994-95	238295	272848
1995-96	362765	635613
1996-97	342743	978356
9वीं योजना		
1997-98	313655	
1998-99	287027	600682
1999-2000	305181	905863
2000-2001	277335	1183198
2001-2002	284790	1467988
8वीं एवं 9वीं योजना का योग		**2446344**
10 वीं योजना		
2002-2003	285782	
2003-2004	329166	614948
2004-2005	372396	987344
2005-2006	400922	1388266
2006-2007	327828	1716094

स्रोत :– रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के समंक

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक निर्देशन

डॉ. विनीता पाण्डेय
रीडर लक्ष्मी बाई साहू जी कॉलेज जबलपुर

शोध सार :– वर्तमान में उत्तम व्यवसाय का चुनाव एक समस्या है। आमतौर पर लोग अपने पारम्परिक व्यवसाय को ही अपनी जीविका का साधन बनाते हैं। यह बात पुराने समय में तो ठीक थी, कारण, समाज सरल था, व्यवसाय कम थे, आवश्यकतायें सीमित थीं, परन्तु आज विज्ञान तथा तकनीकी अविष्कारों ने जीवन को जटिल बना दिया है, रोजगार के विविध प्रकार विकसित किये हैं और सादा जीवन बिताने के बजाय वैभवशाली सुविधा सम्पन्न जीवन व्यतीत करने की आकांक्षाओं में वृद्धि होने लगी है। इसलिये अनेक व्यवसायों में से कौन–सा व्यवसाय चुना जाये, व्यक्ति के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हुई है। प्रस्तुत आलेख में वर्तमान में उपस्थित विभिन्न व्यवसायों के चुनाव में आने वाली समस्याओं की निदान हेतु व्यवसायिक निर्देशन के महत्व एवं कार्य प्रणाली को प्रदर्शित किया गया है। जो विद्यार्थियों के व्यवसायिक चुनाव में सहायक सिद्ध होगी।

प्रस्तावना :–आमतौर पर लोग अपने पारम्परिक व्यवसाय को ही अपनी जीविका का साधन बनाते हैं। यह बात पुराने समय में तो ठीक थी, कारण, समाज सरल था, व्यवसाय कम थे, आवश्यकतायें सीमित थीं, परन्तु आज विज्ञान तथा तकनीकी अविष्कारों ने जीवन को जटिल बना दिया है, रोजगार के विविध प्रकार विकसित किये हैं और सादा जीवन बिताने के बजाय वैभवशाली सुविधा सम्पन्न जीवन व्यतीत करने की आकांक्षाओं में वृद्धि होने लगी है। इसलिये अनेक व्यवसायों में से कौन–सा व्यवसाय चुना जाये, व्यक्ति के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हुई है।

निर्देशन का प्रारम्भ व्यावसायिक निर्देशन से हुआ। निर्देशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले विद्वान् फ्रैंक पारसन्स ने सर्वप्रथम व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने ही इसके विषय–क्षेत्र एवं कार्य पर प्रकाश डाला। बोस्टन व्यावसायिक ब्यूरो के निर्देशक के रूप में उन्होंने इस क्षेत्र में काफी उपयोगी योगदान दिया। उसके बाद निर्देशन क्षेत्र में कार्य करने वाले अनेक विद्वानों ने व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा की एवं इसकी प्रकृति तथा प्रयोजन को स्पष्ट किया।

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक निर्देशन :–

1. प्राथमिक स्तर पर :– प्राथमिक स्तर पर यह स्पष्ट है कि व्यावसायिक निर्देशन बिना विद्यालय के सहयोग के अपने उद्देश्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसा अनुभव किया जाता है कि कार्य के प्रति बालकों को उन्मुख करने का प्रयत्न प्राथमिक शिक्षा से किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की योजना इस ढंग से बनाई जानी चाहिए कि व्यावसायिक निर्देशन के कार्यकम को सफल बनान में कैरियर मास्टर सहायक सिद्ध हो सके।

प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन नींव तैयार करता है। पाठ्यकम एवं पाठ्यचर्या के माध्यम से आधारभूत कौशल तथा दृष्टिकोणों का विकास किया जाय जो काय में सफलता के लिए आवश्यक होते हैं। एक कुशल कारीगर या व्यावसायिक कुशलता के लिए सामान्य गुणों की आवश्यकता है– जैसे कार्य को सफाई से व्यवस्थित ढंग से करना, दूसरे सहयोगियों के साथ मिल–जुलकर कार्य करने की आदतें, कार्य के प्रति निष्ठा एवं उचित दृष्टिकोणों का विकास। इन सभी गुणों का विकास इसी स्तर से किया जाना चाहिए।

प्राथमिक स्तर पर आठवीं कक्षा व्यावसायिक निर्देशन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। इसे 'डेल्टा कक्षा' भी कहते हैं। इस कक्षा में छात्र माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्याओं में से अपने लिए उपयुक्त पाठ्यचर्या का चयन करते हैं। अनेक छात्र इसी स्तर से विद्यालय छोड़ देते हैं। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन की उचित व्यवस्था वांछनीय है। व्यावसायिक पाठ्यकमों, प्रशिक्षण अवसरों तथा माध्यमिक शिक्षा की तैयारी इत्यादि समस्याओं में

छात्रां को इस स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन के लिए कैरियर मास्टर की पर्याप्त आवश्यकता है।

2. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर :–माध्यमिक विद्यालय बालक–बालिकाओं की रूचियों एव व्यावसायिक आवश्यकताओं पर अच्छी तरह ध्यान दे सकता है। सामान्यतः व्यावसायिक निर्देशन की दृष्टि से माध्यमिक विद्यालय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। माध्यमिक स्तर पर निर्देशन कार्यक्रम इस ढंग से आयोजित किया जाता है कि वह विद्यार्थियों को व्यवसायों का सही चुनाव करने में सहायक हो। इस दृष्टि से माध्यमिक विद्यालय निम्नलिखित कार्य कर सकता है–

1. विद्यार्थियों को अपनी क्षमता एवं सीमाओं की उचित जॉच करने में सहायता देना–व्यक्तित्व की विशेषताओं के अनुसार छात्रों की व्यावसायिक प्रवृत्यिों का पता लगाने एवं उन्हें अपने विषय में एक समुचित धारणा बनाने में व्यावसायिक निर्देशन एवं स्कूल मनोवैज्ञानिक माध्यमिक स्तर के छात्रों की सहायता कर सकता है।

2. छात्रों को विभिन्न व्यवसायों एवं उनके लिए वांछनीय योग्यताओं के विषय में कैरियर मास्टर द्वारा परिचित कराना– देश में रोजगार की क्या स्थिति है? किन–किन व्यवसायों में रोजगार के कौन–कौन से साधन उपलब्ध हैं? विशिष्ट कार्य के लिए कितनी योग्यता आवश्यक है? आदि बातों की जानकारी व्यावसायिक निर्देशन के अन्तर्गत विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। माध्यमिक विद्यालयों को रोजगार विनिमय केन्द्रों, समाचार पत्र के विज्ञापनों एवं फैक्टरियों के विषय में यथासम्भव नवीन जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है। इसी को कैरियर (जीवनवृत्ति या पेशा) सम्बन्धी निर्देशन कहा जाता हैं आजकल 'कैरियर' की चर्चा जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा के सन्दर्भ में किया जता है। अतः जो कुछ व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में आता है, वे सभी करियर या जीविकोपार्जन के लिए निर्देशन में प्रयुक्त होते हैं।

3. छात्रों को सही विकल्प चुनने में मदद देना –उचित परामर्श एवं व्यक्तिगत निर्देशन द्वारा अपने जीवन के लिए उपयुक्त व्यवसाय के निश्चय में व्यावसायिक निर्देशन द्वारा अपने जीवन के लिए उपयुक्त व्यवसाय के निश्चय में व्यावसायिक निर्देशन में कैरियर मास्टर सहायक हो सकता है। माध्यमिक स्तर पर छात्र अपने भविष्य के विशय में सोचना प्रारम्भ कर देते हैं अतः उन्हें व्यवसाय के सही चुनाव में सहायता देना व्यावसायिक निर्देशन का कर्त्तव्य है।

4. अपने चुने हुए व्यवसाय में प्रवेश की तैयारी करने मं सहायक होना–आज के विशेषिकरण के युग में अनेक कार्यों एवं व्यवसायों में प्रवेश से पहले कुछ समय प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। माध्यमिक स्तर पर छात्रों को प्रशिक्षण संस्थाओं एवं सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।

5.छात्रों को यह निश्चय करने में सहायता देना कि वह कॉलेज शिक्षा की ओर उन्मुख हों अथवा व्यवसाय विशेष को अपनायें– माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन द्वारा विद्यालय छोड़ने के उपरान्त उनकी भावी योजना के निर्धारण में सहायता प्रदान की जाती है। अधिकांश छात्रों को जिनकी मानसिक योग्यता उच्च स्तर की नहीं होती, कॉलेज शिक्षा की ओर उन्मुख न करके व्यवसायों में प्रवेश का कार्य व्यावसायिक निर्देशन कर सकता है। इस प्रकार जहॉ समय, धन और श्रम की बरबादी को रोका जा सकता है वहॉ दूसरी ओर कॉलेजों में शिक्षा के स्तर एवं प्रवेश सम्बन्धी कठिनाइयॉ भी दूर की जा सकती है।

कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन :– कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के बारे में शिक्षाशस्त्रियों का विचार है कि केवल प्रतिभासम्पन्न छात्रों को ही यह शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्रतिभा का समुचित विकास और उपयोग तभी सम्भव है जब कॉलेज एवं विश्वविद्यालय–शिक्षा व्यावसायिक दृष्टि से नियोजित एवं संगठित हो। केवल ज्ञान के लिए ज्ञान–प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर अध्ययन में प्रवृत्त होने वाले भी कुछ हो सकते हैं पर वे संख्या में थोड़े होते हैं। अधिकांश छात्रों को उपलबध अवसरों एवं कार्य–क्षेत्र के विषय में व्यापक जानकारी उपलब्ध कराने में व्यावसायिक निर्देशन सहायक होता है। इसके अतिरिक्त उच्च पदों के लिए प्रशिक्षण एवं राष्ट्रोय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं क विषय में उन्हें नवीनतम

संम्भावित जानकारी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियॉ, अनुदानों एवं 'फेलोशिप' आदि की विस्तृत जानकारी उच्च शिक्षा के स्तरों पर उपलब्ध होनी चाहिए। कला और विज्ञान के विविध क्षेत्रों में प्रवेश, शोध एवं कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने पर जिन पुरस्कारों की व्यवस्था है उनके विषय में जानकारी कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों को होनी चाहिए।

शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण एवं व्यावसायिक निर्देशन :–जहॉ विद्यालय व्यावसायिक निर्देशन के कार्य में महत्वपर्ण योग देते हैं, वहॉ शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण, जैसे–रेडियो, टेलीविजन, पत्र–पत्रिकाएॅ एवं गोष्ठियॉ भी व्यावसायिक निर्देशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अखबारों में प्रतिदिन विज्ञापन निकलते हैं जिनके द्वारा रोजगार के खाली स्थानों का पता चलता ह। नये उद्योगों के विकास की गतिविधियॉ भी समाचार–पत्रों द्वारा ज्ञात होती हैं। कुछ पत्रिकाएॅ भी 'सलाह काम धन्धे की' शीर्शक से व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करती हैं और देश में उपलब्ध विभिन्न रोजगार सुविधाओं, उनके लिए वांछित योग्यताओं एवं प्रशिक्षण आदि के विषय में अपने पाठकों को परिचित कराती हैं। रेडियो और टेलीविजन वर्तमान युग में जनसम्पर्क के सबसे सशक्त माध्यम हैं जिनके द्वारा व्यावसायिक निर्देशन का कार्य विभिन्न देशों में सम्पन्न किया जाता है। आकाशवाणी भी इस क्षेत्र में कुछ कार्य करती है पर यह कार्य पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा गोष्ठियों में दिये गये भाषणों द्वारा, व्यावसायिक निर्देशनों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी, युवक क्लब एवं युवा संघो द्वारा व्यावसायिक निर्देशन के कार्यों में काफी सहायता मिलती है।

निष्कर्ष :– व्यावसायिक निदेशन का क्षेत्र व्यापक है, उसकी प्रकृति जटिल है। व्यक्ति और समाज दोनों के विकास की दृष्टि से उपयुक्त व्यावसायिक निर्देशन सुलभ होना चाहिए। मानवीय शक्ति का समुचित उपयोग, व्यक्तियों की मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक विशेषताएॅ आदि अनेक बातों को ध्यान मे रखते हुए उपलब्ध रोजगार के अवसरों के साथ उनकी संगति बिठाने में व्यावसायिक निर्देशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। व्यवसाय के चुनाव से लेकर व्यावसायिक प्रगति एवं सफलता तक की अनेकानेक समस्याओं को संगठित एवं नियोजित व्यावसायिक निर्देश नही सुलझाने में सहायक हो सकता हैं।

संदर्भ :–

ओबेराय एस. के. (2007) कैरियर निर्देशन एवं कैरियर सूचना, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस मेरठ, पृं. सं.– 35.48

त्रिपाठी एम.एस. (2007) शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श. ओमेगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पृ.सं. 33–41

पाण्डेय वी. (2017) कैरियर निर्णय क्षमता एवं व्यावसायिक आकांक्षाएॅ एस आर एफ पब्लिकेशन्स, जबलपुर पृ.सं. 14–18

रानी दुर्गावती की गौरव गाथा बयॉ करता हैं – मध्यप्रदेश के बुंदेलखण्ड अंचल का सिंगोरगढ़ दुर्ग

राजरत्न उके, कटनी मध्यप्रदेश

सिंगोरगढ़, मध्यप्रदेश के बुंदेलखण्ड अंचल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं। दमोह–जबलपुर मार्ग पर, दमोह के दक्षिण पूर्व में 54 किलोमीटर की दूरी पर सिंग्रामपुर नामक गांव स्थित हैं। यहॉ से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊॅची पहाड़ी पर सिंगोरगढ़ का दुर्ग अवस्थित हं। सिंगोरगढ़ भौगोलिक दृष्टि से $23^{0}30'$ उत्तरी अंक्षाश और $79^{0}45'$ पूर्वी देशांश के मध्य तक विस्तृत हैं।

सिंग्रामपुर एवं सिंगोरगढ़ का विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व हैं। यहॉ 1564 ई0 में अकबर के सेनापति ऑसफ खॉ और रानी दुर्गावती के मध्य युद्ध हुआ था ।[1] गढ़ा मण्डला राज्य की गोंड शासिका रानी दुर्गावती के समय (1548–1564 ई0) सिंगोरगढ़ उनके राज्य की राजधानी हुआ करता था।

वर्तमान में सिंगोरगढ़ एक ऊॅची पहाड़ी पर निर्मित एक विशाल किन्तु ध्वस्त दुर्ग के लिए प्रसिद्ध हैं। इस दुर्ग का निर्माण पूर्व मध्यकाल से मध्यकाल के मध्य हुऑ प्रतीत होता हैं। सिंगोरगढ़ दुर्ग के संबंध में कई तरह की कथाएं एवं किवदंतियॉ प्रचलित हैं। एक प्रचलित पौराणिक आख्यान में राजा बेन बसोर को इस दुर्ग का निर्माणकर्ता कहा गया हैं।[2] एक अन्य मत के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण महोबा के चंदेलवंशी राजा बेलो ने करवाया था।[3] एलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873–1885 ई0 क मध्य सिंगोरगढ़ की यात्रा की थी। यात्रा के दौरान उन्हें वहां एक वर्गाकार प्रस्तर स्तम्भ पर उत्कीर्ण आठ पक्तियों का एक लेख प्राप्त हुऑ था। कनिंघम के विवरणानुसार उक्त लेख में 'गजसिंह दुर्ग' अंकित हैं। तथा उसमें उक्त लेख की स्थापना 1307 ई0 में विजयादशमी के दिन किये जाने का उल्लेख भी हुऑ हैं। कनिंघम उक्त अभिलेख में उल्लेखित 'गजसिंह' को ही सिंगोरगढ दुर्ग का निर्माणकर्ता मानते हैं।[4] संम्भवतः वह प्रतिहार या परिहार राजपूत था। यहॉ यह तथ्य उल्लेखनीय हैं कि पूर्व मध्यकाल में दमोह क्षेत्र पर प्रतिहार या परिहार वंशी शासको ने कुछ समय तक शासन किया था। प्रतिहार, कल्चुरियों के सामन्त हुऑ करते थे।

कल्चुरियों के पश्चात् सिंगोरगढ़ गढ़ा–मण्डला के शासकां के शासनाधीन हो गया। गोंड शासक संग्रामशाह (1480–1581 ई0) के 52 गढ़ो में सिंगोरगढ़ का उल्लेख एक महत्वपूर्ण गढ़ के रूप में मिलता हैं।[5] संग्रामशाह गोंड वंश का पराक्रमी शासक था उसकी राजधानी जबलपुर के निकट गढ़ा में थी। उसके निधन के पश्चात् उसका पुत्र दलपतशाह शासक हुआ। दलपत शाह का विवाह महोबा के चंदेल शासक शालीवाहन की पुत्री दुर्गावती से हुआ था।[6] इनके विवाह की तिथि 1540–1542 ई0 के मध्य मानी जाती है।[7] दलपतशाह 1541 ई0 में गद्दी पर बैठा। दलपतशाह ने गढ़ा (मदनमहल, जबलपुर) के स्थान पर सिंगोरगढ़ को गढ़ा–मण्डला राज्य की नई राजधानी घोषित किया। तत्पश्चात् सिंगोरगढ़ दुर्ग में कई नये निर्माण कार्य करायें गये।[8] 1545 ई0 में दलपतशाह और दुर्गावती के पुत्र वीरनारायण का जन्म हुऑ। 1548 ई0 में दलपतशाह का असमय निधन हो गया। ऐसी विषम परिस्थिति में रानी दुर्गावती ने वीरनारायण को गद्दी पर बैठाया और अपने दीवान आधार सिंह के सहयोग से वीरनारायण की संरक्षिका के रूप में गढ़ा–मण्डला के गोंड राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली।[9] समकालीन साहित्यिक स्त्रोतों से दुर्गावती के बारे में कई रोचक सूचनाएॅ प्राप्त होती हैं। एक विवरण में उल्लेख है कि रानी दुर्गावती रूप और सौन्दर्य में रति के समान है फिर भी वह दुर्गा है।[10]

गढ़ा–मण्डला की शासिका के रूप में रानी दुर्गावती ने सिंगोरगढ़ दुर्ग से अगले 16 वर्षो तक शासन का संचालन बड़ी कुशलता से किया तथा नागरिक प्रशासन और सैन्य, दोनो ही क्षेत्रों में अत्यन्त कार्यकुशलता का परिचय दिया। दुर्गावती के शौर्य की प्रशंसा करते हुए अबुल फजल ने लिखा हैं – ''दुर्गावती बन्दूक और तीर से अचूक निशाना साधती थी, उनका नियम था कि यदि शेर के दिखाई देने की खबर उनके कान

तक पहुॅचे तो जब तक वे उसे गोली का निशाना न बना ले तो वे पानी भी नही पीती थी।[11]

रानी दुर्गावती के राज्य की समृद्धि से आकर्षित होकर माण्डू (मालवा) के नवाब बाज बहादुर ने सिंगोरगढ़ पर आक्रमण कर दिया। प्रत्युत्तर में रानी दुर्गावती ने उसे कड़ी टक्कर दी इस युद्ध में बाज बहादुर न केवल पराजित हुआॅ, वरन उसकी सम्पूर्ण सेना भी हताहत हो गयी, उसे किसी तरह भागकर अपने प्राणों की रक्षा करनी पड़ी।[12] दुर्गावती की सैनिक शक्ति के बारे में आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव लिखते है – ''उसके अधिकार में 20000 घोड़ो एवं 1000 हजार हाथियों तथा बहुत से पैदल सिपाहियों की सेना थी।[13]

1564 ई0 (विक्रम संवत 1610 में अकबर के सेनापति ऑसफ खॉ ने गढ़ा–मण्डला राज्य पर आक्रमण कर दिया।[14] रानी दुर्गावती को इस असमय आक्रमण की कोई आशंका नही थी। रानी के अधिकांश सैनिक उस समय अवकाश पर थे। कुछ आन्तरिक व्यवस्था में संलग्न थें। उस समय रानी के पास कुल 500 सैनिक थे।[16] रानी के दीवान आधार सिंह ने रानी को कुछ समय रूकने का परामर्श दिया उसका मत था कि पीछे हटकर कुछ समय शक्ति संग्रह किया जाये, फिर बाद में मोर्चा संभाला जाये। किन्तु रानी को किसी भी कीमत पर पीछे हटना मंजूर नही था। उसने किसी तरह 2000 सैनिको को इकट्ठा कर सिंगोरगढ़ दुर्ग के बाहर स्थित खुले मैदान में मुगलों की सेना को चुनौती दी। दुर्गावती ने स्वंय हाथी पर सवार होकर सेना का नेतृत्व किया। किन्तु ऑसफ खॉ की विशाल फौज के समक्ष मुट्ठी भर गौंड सैनिक ठहर नही सके। अतः रानी को पीछे हटना पड़ा । पीछे हटकर गढ़ा से 10 किलोमीटर द्र नरही ग्राम के समीप उपयुक्त स्थान पर रानी ने मोर्चा संभाला। यह स्थान सकरा और घाटीनुमा था। ऑसफ खॉ पीछा करते हुए तेजी से नरही की ओर बढ़ा, तीव्रगति से बढ़ने के कारण तोपखाना उसके साथ नही पहुॅच सका। रानी दुर्गावती सैन्य रणनीति में अत्यंत कुशल थी। उसकी योजना मुगल सेना के घाटी में प्रवेश करने पर चारो और से उस पर आक्रमण करने की थी, रानी ने जैसा सोचा वैसा हुआ । मुगल सेना अन्ततः उसके जाल में फंस गयी एक घमासान युद्ध में मुगलों के 300 से अधिक सैनिक मारे गये।[17] ऑसफ खॉ के पास दुर्गावती के 01 सैनिक के मुकाबले 10 सैनिक थे, किन्तु रानी के सैन्य चक्रव्यूह में फंसकर वह स्वंय को असहाय महसूस करने लगा। अन्ततः उसे पीछे हटना पड़ा। कुछ पीछे हटकर वह तोपखाना पहुॅचने की प्रतिक्षा करने लगा।

ऐसी स्थिति में दुर्गावती ने त्वरित निर्णय लेते हुए रात को ही मुगल सेना पर आक्रमण करने का निश्चय किया। रानी का विचार था कि दूसरे दिन मुगलों का तोपखाना पहुॅच जायेगा, तब उसके विरूद्ध गौंड सेना का टिकना असंभव ही होगा। दुर्गावती का यह विचार निःसंदेह तर्क संगत था किन्तु रानी के सहयोगियों ने उसके इस बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्श को ठुकरा दिया।[18]

दूसरे दिन मुगलो का तोपखाना पहुॅचने पर पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। वीरता पूर्वक लड़ते हुए रानी दुर्गावती घायल हो गयी। तब रानी ने दुश्मन के हाथो में पड़ने से बेहतर समझकर एक खंजर से स्वयं अपना हृदय बींध लिया।[19] इस तरह रानी का अंत भी उतना ही महान और उत्सर्गपूर्ण रहा जितना की जीवन अर्थपूर्ण रहा।

सम्प्रति जिस स्थान पर रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई थी, वह स्थान जबलपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, उसे वर्तमान में बारहा गॉव के नाम से जाना जाता हैं। इस स्थान पर रानी दुर्गावती की समाधि निर्मित की गयी हैं।

सिंगोरगढ़ का दुर्ग :– सिंगोरगढ़ का दुर्ग विंध्याचल की उपत्यकाओं के मध्य स्थित हैं, इस दुर्ग के संबंध में यह उल्लेख मिलता हैं कि गौंड शासनकाल में संग्रामशाह द्वारा सिंगोरगढ़ दुर्ग की मरम्मत करवायी गयी थी।[20] तथा उसके पुत्र दलपति शाह ने पुनः इस दुर्ग का विस्तार किया तथा उसे मजबूती प्रदान की।[21] इस दुर्ग की प्राचीरे दूर–दूर तक स्थित पहाड़ियों पर फैली हुयी थी जिनके ध्वंशावशेष आज भी दृष्टिगत होते हैं। यह दुर्ग मुख्य मार्ग से दूर सघन वनों के मध्य अवस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अतीत में दुर्ग तक पहूॅचने के लिए एक मार्ग रहा होगा। प्रवेश द्वार के बगल से पहाड़ी के ऊपर पहूॅचने के लिए सीढ़ियॉ निर्मित की गयी हैं। सीढ़ियॉ कुछ दूरी तक ही हैं। आगे का मार्ग चट्टानों द्वारा स्वनिर्मित हैं। यह मार्ग सुरक्षा प्राचीर की आन्तरिक दीवाल के साथ–साथ चलता हैं। प्राचीर की संरचना कंगूरेदार हैं। यह प्राचीर एक ऊॅची

पहाड़ी की ढलान पर ईटों और पत्थरों द्वारा निर्मित की गयी थी, कई स्थानों पर पहाड़ी की प्राकृतिक ढालन ही सुरक्षा प्राचीर के सदृश्य प्रतीत होती हैं।

सिंगोरगढ़ दुर्ग के प्रमुख स्थापत्यों में किले के भीतर निर्मित विशाल ताल, रानी महल, एवं किले के नीचे स्थित विजय सागर झील प्रमुख हैं।

डब्ल्यू एच. स्लीमेन ने 1835–36 ई0 के मध्य सिंग्रामपुर–जबेरा की यात्रा की थी। स्लीमेन लिखते है कि – ''अतीत में यह झील अत्यंत विशाल थी किन्तु अब उस स्थल पर 24 गॉव बस गये हैं।[22] झील के समीप यत्र–तत्र बिखरी हुई प्राचीन मूर्तिया दृष्टिगत होती हैं। पहाड़ी पर स्थित किले पर खड़े होकर समीपस्थ पहाड़ियो पर निर्मित सुरक्षा प्राचीरों के दूर–दूर तक फैले ध्वंसावशेषों को देखा जा सकता हैं। कुछ पहाड़ियों पर विशालकाय बुर्जो के अवशेष भी दृष्टिगत होते हैं।

सम्प्रति रानी दुर्गावती का सिंगोरगढ़ दुर्ग वर्तमान में सुरक्षा एवं देख–रेख के अभाव में नष्ट प्रायः हैं। शासन द्वारा इसके संरक्षण की आवश्यकता हैं।

संदर्भग्रंथ :–

1. गुरू, शम्भूदयाल '' मध्यप्रदेश में विदेशी यात्री'' मध्यप्रदेश हिन्दी गंथ अकादमी भोपाल, 1999, पृष्ठ 75।
2. गुरू, स्वप्ना ''सागर संभाग के प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग'' मध्यप्रदेश संदेश, भोपाल, वर्ष 85, अंक 7, 10 अप्रैल 1989 पृष्ठ 21।
3. दमोह जिला गजेटियर, भोपाल, प्रथम संस्करण 1980 पृष्ठ 467।
4. वही, पृष्ठ 467।
5. पटैरया, शिवअनुराग, बुन्देलखण्ड, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, प्रथम संस्करण भोपाल 2005 पृष्ठ 174।
6. शुक्ला, सुनीता, दमोह जिले की प्रशासनिक एवं भूराजस्व व्यवस्था, 1860–1947 ई0, अप्रकाशित शोध प्रबंध, इतिहास विभाग डॉ0 हरिसिंह गौर वि0वि0 सागर, 2000, पृष्ठ 11।
7. गुरू, शम्भूदयाल, ''गौरव और शौर्य की प्रतीक वीरागंना दुर्गावती'' मध्यप्रदेश संदेश भोपाल, वर्ष 105, अंक 6, जून 2009।
8 माथुर, विजयेन्द्र कुमार, ऐतिहासिक स्थानावली, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, द्वितीय संस्करण, 1990, पृष्ठ 957।
9. गुरू, शम्भूदयाल, ''गौरव और शौर्य की प्रतीक वीरागंना दुर्गावती'', पूर्वोक्त, पृष्ठ 34–35।
10. ढगट, प्रसन्न शंकर ''नर्मदा के तट के घाट'' मध्यप्रदेश संदेश, भोपाल, वर्ष 87 अंक 3 फरवरी 1999 पृष्ठ 87।
11. गुरू, शम्भूदयाल, ''गौरव और शौर्य की प्रतीक वीरागंना दुर्गावती'', पूर्वोक्त पृष्ठ 34।
12. श्रीवास्तव, आर्शीवादी लाल, मुगल कालीन भारत (1526 से 1803), शिवलाल अग्रवाल एण्ड कंपनी, आगरा–3, 1968 पृष्ठ 141।
13. वही, पृष्ठ 141।
14. तिवारी, गोरेलाल, बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, संवत 1990, पृष्ठ 102।
15. ठाकुर, हीरासिंह, बुन्देली माटी के सपूत, बुन्देलखण्ड प्रकाशन, दमोह, प्रथम संस्करण, 1993, पृष्ठ 3।
16. गुरू, शम्भूदयाल, ''गौरव और शौर्य की प्रतीक वीरागंना दुर्गावती'', पूर्वोक्त, पृष्ठ 35।
17. गुरू, शम्भूदयाल, ''गौरव और शौर्य की प्रतीक वीरागना दुर्गावती'', पूर्वोक्त, पृष्ठ 36 : तिवारी, गोरेलाल, बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, पूर्वोक्त, पृष्ठ 103।
18. गुरू, शम्भूदयाल, ''गौरव और शौर्य की प्रतीक वीरागंना दुर्गावती'', पूर्वोक्त, पृष्ठ 36–37।
19. रसेल, आर0बी0, संपादित, सेन्ट्रल प्राविन्सेज गजेटियर्स, दमोह डिस्ट्रिक्ट, वाल्यूम 'ए', इलाहाबाद, 1906, पृष्ठ 18।
20. ठाकुर, हीरासिंह, पूर्वोक्त, पृष्ठ 01।
21. तिवारी, गोरेलाल, पूर्वोक्त, पृष्ठ 101।
22. गुरू, शम्भूदयाल '' मध्यप्रदेश में विदेशी यात्री'' पूर्वोक्त, पृष्ठ 74।

ISSN : 2454 - 4655, Dec. 2017

भारतीय महिलाओं के वर्तमान आर प्राचीन विविध रूपों का एक सामाजिक अध्ययन

प्रभुदयाल यादव
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, (म0प्र0)

डॉ. रंजना श्रीवास्तव
शोध निर्देशिका, प्राध्यापक (समाजशात्र), शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर, (स्वशासी) महाविद्यालय भोपाल (म.प्र.)

शोध–पत्र सारांश (Research Paper Abstract) :– भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड है जिसमें पुरूष की 62.37 करोड और महिलाओं की कुल 58.64 करोड है, भारती की भूमि में महिलाओं का बहुत बडा योगदान रहा है जिसे शीयद भगवान से भी परे है तो इंसान की तो कोई बात ही नही अपितु नारी को सहनशीलता और शाक्तिशाली, पवित्रता और त्यागवादी इत्यादि में महानता प्राप्त है अगर वह चाहे तो असम्भव को भी सम्भव कर दिखाने में पर्याप्त सिद्ध कर सकने में क्षमता रखती है, नारी ने अपनी जीवन में चाहे वह वर्तमान हो या प्राचीन समय उन सभी मानवताओं के लिये और राष्ट्र और समाज और परिवार के लिये बालीदान दिया है ओर देती चली आ रही है। चुंकि नारी को इसीलिये लिये ईश्वर ने वो सारी खुबिया प्रदान करी है। आज नारी को व्यावसायिक हो यह न्याय संबंधित एवम् राजनैतिक क्षेत्रों में भी अपनी पकड रखी हुई है चाहे वह विपत्तियों से परे क्यों ना हो वह सभी कार्य अपनी क्षमतापूर्वक और सहज भव से अनुप्राणित, दष्टिकोण को विस्तृत कराती है और आधुनिकता ओर समन्वित प्रयासरत कि और अग्रसर है।

इस शोध में की बोर्ड भारतीय महिलाओं के वर्तमान के सन्दर्भ में अध्ययन।

प्रस्तावना (Introduction) :- नारी को प्राचीन और वर्तमान में अनेक स्थान प्राप्त है, हमारे पौराणिक ग्रंथों में नारी को विशिष्ट सम्मान व पूज्यनीय दृष्टि से एवं देवीतुल्य माना गया है जैसे सीता, सावित्री, अनसूइया, गायत्री, राधा, मीरा, वेदों में नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण, गरिमामय, उच्च स्थान प्राप्त है, नारी की शिक्षा–शिक्ष, शिल, गुण, कर्तव्य, अधिकार ओर सामाजिक भूमिका का जो सुन्दर वर्णन पाया जाता है, वह संसार के अनेक किसी धर्मग्रंथ में नही है वेद उन्हे घर की समाज्ञी कहते है और देश की शासक स्त्री यज्ञीय है एवं यज्ञ समान पूजनीय बेदों में नारी को ज्ञान देने वाली, सुख–समृद्धि लोन वाली विशेष तेज वाली देवी विदुषी, सरस्वती,इन्द्राणी,उषा जो सबको जगाती है इसके आदर सूचक नाम दिए गए है: नारी रणक्षेत्र मे भी जाती थी जैसे कैकयी महाराज दशरथ के साथ युद्ध में भी गई, इत्यादि की अहम भूमिका रही है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में झॉसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर कस्तूरबा गॉधी, सरोजनी नायडू, कमला नेहरू आदि के पुरूष के साथ कन्धा मिलाकर काम किया और बहुत सारी मुसीबत को भो साहा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के साथ बन्दुक धारण करने वाली आजाद हिन्द सेना में नारी सैनिको का दायित्य को भी भुलाया नही जा सकता, भारत की आजादी के संघर्ष में महिलाओं ने एक महत्वपूण भूमिका निभायी, भिकाजी कामा, डॉ0 एनी सेबेंट, प्रीतिलता वाडेकर,विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, अरूना आसफ अली, सुचेता कृपलनी और कस्तूरबा गॉधी स्वतंत्रता सेनानियों थी और मुथुलक्ष्मी रेड्डी, दुर्गाबाई देखमुख आदि सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की झॉसी की रानी रेजीमेंट कैप्टेन लक्ष्मी सहगल सहित महिलाओं की सेना थी ओर एक कवियित्री ओर सवतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला और भारत के किसी राजय की पहली महिला राजयपाल थी, राजनीति के क्षेत्र में इंदिरा गॉधी जिन्होंने कुल मिलाकर पंद्रह वर्षो तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की जो पूरी दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला प्रधानमंत्री रही। नारी का स्थान बडा पैचीन्दा रहा स्वतंत्र भारत में और वर्तमान समाज मे भी नारी को पुलिस विभाग में नौकरी करना अच्छा नही माना जाता था, परन्तु इसके बावजूद भी सुश्री डॉ0 किरण बेदी पुलिस महानिरीक्षक के पद चयन होकर उन्होने नारी समाज की क्षमताओं ओर

साहस को मील का पत्थर साबित हुई, खेल में भी पुरसला वेंकट सिंधु जो भारतीय महिला बैडमिंटर खिलाडी के रूप में भारत की ओर से ओलम्पिक में एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली वे पहली खिलाडी है जिससे सिद्व होता है कि तत्कालीन विशिष्ट कार्य के संपादन में उपस्थिति महत्वपूर्ण समझी जाती है, प्राचीन काल से ही परिवार, समाज, अथवा राष्ट्र को सच्चे अर्थो में प्रगाति की ओर अग्रसर करने वाली एक मात्र नारी ही है, 1992–93 के ऑकडों के मुताबिक भारत में केवल 9.2 प्रतिशत घरों में ही महिलाऐ मुखिया की भूमिका में है जैसे कि श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड महिला सहकारी संगठन है जो सबसे प्रसिद्ध महिला व्यापारिक सफलता का द्योतक है, 2006 में भारत की पहली बायोटेक कंपनियों में से एक बायोकॉन की स्थापना करने वाली किरण मजूमदार–शॉ को भारत की सबसे अमीर महिला का दर्जा प्राप्त है, साथ ही ललिता गुप्ते और कल्पना मोरपारिया दोनों भारत की केवल एक मात्र ऐसी महिला व्यवासियों में शामिल हैं जिन्होने फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में अपनी जगह बनायी है जो भारत के दूसरे सबसे बडें बैंक आई. सी.आई.सी.आई बैंक का संचालित करती है।

प्रविधि **(Research Mathodology)** :– प्रस्तुत शोध पत्र में प्राचीन और वर्तमान नारी के रूपों के चयन निदर्शन विधि द्वारा किया गया है तथा अध्ययन हेतु साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन विधि का प्रयोग किया गया है। भारत की नारियों का बोध किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र में किये गये कार्य की एक संक्षिप्त विवेचना :–

1. केरल और मिजोरम राज्यों में सार्वभौमिक महिला साक्षरता की दर को हासिल किया है। ज्यादातर विद्वानों ने केरल में महिलाओं की बेहतर सामाजिक और आर्थिक स्थिति के सुधारने के पीछे प्रमुख कारक महिलाओं की साक्षरता का सामान्यवर।
2. भारत में नारीवादी सकियता ने 1970 के दशक के उतरार्द्व के दौरान नारी के जीवन को फिर एक आत्मशक्ति प्रदान की जिससे वह अपने मानवीय और विकास के साथ–साथ विकसित महिलाओं में वैज्ञानिक और औद्योगिकी, कार्मशियल, मीडिया, जनसंचार इत्यादि के माध्यमों में भूमिका का परिपक्त किया ।
3. वर्तमान में महिलाऐ सॉफ्टवेयर उद्योग में 30 प्रतिशत कर्मचारी है और पुरूषो के बराबरी से पारिश्रमिक करती है, नारी के उत्तेजना से उनमें अधिक ज्ञान का प्रावजन हुआ जिससे वह अनेक गतिविधियों में श्रेष्ट स्थान प्राप्त ज्ञानवर्धक वृत्तियों इत्यादि का कार्य किया।

आज का युग इलेक्ट्रिोनिक्स मीडिया का युग है भारतीय नारी समाज में बहुत अहम भूमिका का संचार करता है जिसे वह रोजगार में साधन प्राप्त हुऐं साथ ही उनका जीवन को एक कार्यशैली बना दिया, जिससे वह पूूरे भारत ही नही पूर विश्व में अपना भागादारी स्तरीय उद्यमो का प्रभुत्व बना दिया और आर्थिक और समाजिक राजनैतिक, संस्कृतिक में प्रतिनिधित्व दिया।

उनकी स्थिति में लगातार परिवर्तन को देश में महिलाओं द्वारा हासिल उपलब्धियों से उजागर किया जा सकता है :–

1. 1883 चंद्रमुखी बसु और कादम्बिनी गांगुली ब्रिटिश साम्राज्य और भारत में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिलाओं बनी।
2. 1886 कादम्बिनी गांगुली ओर आनंदी गोपाल जोशी पश्चिम दवाओं में प्रशिक्षित होने वाली भारत की पहली महिलायें बनी।
3. 1905 कार चालाने वाली पहली भारतीय महिला सुजान आरडी टाटा थी।
4. 1916 में पहला महिला विश्वविद्यालय, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना समाज सुधारक धोंडो केशव कर्वे द्वारा केवल पांच छात्रों के साथ 2 जून 1916 को की गई।
5. 1917 पंडिता रामाबाई, अपनी प्रतिष्ठिता समाज सेवा के कारण ब्रिटिश राज द्वारा कैसर –ए–हिन्द सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी।
6. 1917 एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला बनी।
7. 1925 सरोजिनी नायडू भारतीय मूल की पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी।
8. 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई।
9. 1944 आसिमा चटर्जी ऐसी पहली भारतीय महिला थी जिन्हें किसी भारतीय विश्वविद्यालय

द्वारा विज्ञान मे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।

10. 1947 : 15 अगस्त 1947 को स्ववंत्रता के बाद, सरोजिनी नायडू संयुक्त प्रदेशों की राज्यपाल बनीं और इस तरह वे भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी।
11. 1951 डेक्कन एयरवेज की प्रेम माथूर प्रथम भारतीय महिला व्यावसायिक पायलट बनी।
12. 1953 : विजय लक्ष्मी पंडित युनाइटेड नेशंस जनरल एसेम्बली की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी।
13. 1963 : कैप्टेन दुर्गा बनर्जी सरकारी एयरलाइन्स, भारतीय एयरलाइसं की पहली भारतीय महिला पायलट बनी।
14. 1963 : सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, किसी भी भारतीय राज्य में यह पद संभालने वाली वे पहली महिला थी।
15. 1959 : अन्ना चान्डी, किसी उच्च न्यायालय (केरल उच्च न्यायालय) की पहली भारतीय महिला जज बनी।
16. 1966 : कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने समुदाय नेतृत्व के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त किया ।
17. 1966 : इंदिरा गॉधी भारती की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी ।
18. 1970 : कमलजीत संधू एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पहली भारतीय महिला थी।
19. 1972 : किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा इंडियन पुलिस सर्विस में भर्ती होने वाली पहली महिला थी।
20. 1979 : मदर टेरेसा ने नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त किया ओर यह सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला नागरिक बनी।
21. 1984 : 23 मई को, बचेन्द्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
22. 1989 : न्यायमूर्ति एम, फाातिमा बीवी भारती के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला बनी।
23. 1997 : कल्पना चावला, भारत मे जन्मो ऐसी प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में गयी।
24. 1992 : प्रिया झिंगन भारतीय थलसेना में भर्ती होने वाली पहली महिला कैडेट थी 6 मार्च 1993 को उन्हें कमीशन किया गया
25. 1994 : हिता कौर देओल भारतीय वायु सेना में अकेले जहाज उडाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनो।
26. 2000 : कर्णम मल्लेश्वरी ओलिंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी सिडनी में 2000 में समर ओलिंपिक में कांस्य पदक ।
27. 2002 : लक्ष्मी सहगल भारतीय राष्ट्रीय पद के लिए खडी होने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी।
28. 2004 : पुनीता अरोडा, भारतीय थलसेना मे लेफ्टिनेंट जनरल के सर्वोच्च पर तक पहुॅचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी।
29. 2007 : प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी।
30. 2009 : मीरा कुमार भारतीय संसद के निचले सदन, लोक सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी।

अध्ययन के उद्देश्य :–

1. प्राचीन से लेकर वर्तमान में महिलाओं की स्थिति प्रवृत्ति का अध्ययन।
2. नारियों के संवैधानिक अधिकारों एवम् राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय समानताओं का अध्ययन।
3. उचित ओर अनुचित, न्याय और अन्याय, विवेकपूर्ण ओर अविवेकपूर्ण, स्वाधीनता और उच्चश्रंखला, दायित्वों का अध्ययन।
4. वैदिक युग की नारी ओर इक्कीसवीं सदी की नारी का कार्य का अध्ययन।
5. समाज के नैतिक मूल्यों, सरकारों, मान्यताओं, मानसिकताओं ओर व्यवसायों में परिवर्तन स्त्री के आसपास घुमती है।

शोध कार्य में नारियों के अनेक रूपों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया गया है जो कि तालिका कमांक–2 में स्पष्ट किया गया है।

परिणाम / निष्कर्ष(Conclusion) :– महिलाओं के विविध रूपों के कार्यकारणी के वरणो से पुरूषों को उनके आगे यह स्पष्ट कर दिया कि नारी प्राचीन काल ओर वर्तमान काल में भी अबला नही थी और आगे भी नही रहेगी नारी के विभिन्न रूपों एवं प्रकार से प्रदर्शनीय मनोवृत्तियों में परिवर्तन तथा सामाजिक, आर्थिक एवं रोजगार के उपायों में स्वतंत्र भारत में महिलाओं को समाज में कुशल स्थिति प्राप्त हुई है, शिक्षित जनसमूह तक ही नही अपितु अनपढ महिलाय भी अपने सशक्त बलो से भारत ही नही पूरे विश्व में अपनी क्षमता को उजागर कर कर सकती है, नारी की

जीवन गतिविधि ओर उनसे जुडी प्रत्येक किया–कलापों पर ज्ञानवादी और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रबल करना चाहिये।

इन शोध निम्नलिखित सुझाव सम्मिलित कर सकते है।

1. महिलाओं जो चार दीवारी में गंदे पर्दे, बुर्के की ओर में छिपी हुई परात्रिता, परावलम्बी, अशिक्षित, अंधविश्वास ग्रस्त संकीर्ण स्वभाव नारी को वर्तमान दुर्दशा से उभारे इस समानता, स्वतंत्रता की मानबोचित सुविधा प्रदान करें ?
2. महिलाओं के प्रति पराम्परावादी, अंधविश्वासो ओर रूढीवादी व्यक्तियों को आकंलन कर गलत सोच को दूर किया जाये?
3. महिलाओ को 2005 के घरेलू हिंसा के कानून का सरंक्षण के बारे में बताया जावे?
4. महिलाओं में विकास का प्रवाहित करने शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध एवम् अधिकारों के प्रति सजग, आर्थिक सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता एवं स्ववलम्बन की ओर अग्रसादित करना ?
5. नारी के लिए संविधान तथा अन्य विधियों के अधीन उपबांधित संरक्षणों से संबंधित समस्त मामलों को अन्वेषण तथा संपरीक्षण करना ?

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. राजकुमार डॉ. नारी के बदले आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 2005।
2. मिश्र कृष्ण बिहारी, हिन्दी पत्रकारिता, प्रकाशक भारतीय, नई दिल्ली।
3. कुमार भवेश चंद्र, रिपोटिंग से एकटिंग, प्रकाशक।
4. ज्ञानविज्ञान एजूकेशन नई दिल्ली।
5. गुप्ता कमलेश कुमार, महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेव, जयपुर।
6. व्यास, जय प्रकाश, नारी शोषण, ज्ञानदा प्रकाशन 2003।
7. वर्णवाल रमेश कुमार, समाचार का भाषा विज्ञान, प्रकाशक नई दिल्ली।
8. मित्र, जयशंकर 2006 प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, विहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना।

रेडीमेड वस्त्र उद्योग के समक्ष समस्यायें (जबलपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. योगिता अरजरिया

प्रस्तावना : जबलपुर जिला रेडीमेड वस्त्र उद्योग की दृष्टि से बहुत तेजी से विकास कर रहा है। जिले में छोटी–बड़ी लगभग 500 इकाईयां रेडीमेड गारमेन्ट्स उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। जिस तेजी के साथ जिले में रेडीमेड गारमेन्ट्स इकाईयां स्थापित करने वाले उद्यमियों में वृद्धि हुई है उस तेजी के साथ आवश्यक संसाधनों, सुख सुविधाओं तथा आधारभूत संसाधनों में वृद्धि नहीं हुइ है। वर्तमान समय में रेडीमेड वस्त्र निर्माण करने वाली इकाईयां लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत ही स्थापित की जा रही है। शासन औद्योगिक विकास के लिये कृतसंकल्पित है किन्तु अनेक प्रयासों के बावजूद भी रेडीमेड वस्त्र उद्योग के विकास के मार्ग में अनेक प्रकार की समस्यायें एवं बाधायें बनी रही हैं जिससे रेडीमेड वस्त्र उद्योग किसी न किसी रूप में प्रभावित होता रहा है। शासन की उदारीकरण व विश्वव्यापीकरण की नीतियों के परिणामस्वरूप लघु उद्योग क समक्ष अस्तित्व का संकट आ गया है। अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने छोटे से छोटे उत्पादन तक को हथिया लिया है जिसके कारण इन छोटे रेडीमेड उत्पाद के निर्माताओं के समक्ष अपने व्यवसाय को बनाये रखना बहुत कठिन हो रहा है। इसके अलावा विश्वव्यापीकरण की नीति को अपनाये जाने से लघु रेडीमेड गारमेन्ट्स उद्यमियों की अनेक इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में अनजाने में ही जुड़ गई और उनके उत्पाद गुणात्मक आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यांकित किये जाने लगे । इसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर जहां रेडीमेड परिधान निर्माण उद्योग स्वयं ही अपनी समस्याओं से ग्रसित था वह उदारीकरण के कारण और अधिक संकट में आ गया और बहुत सी इकाईयों में रूग्णता की स्थिति बन गई। बहुत सी रूग्ण इकाईयों में समस्यायें इतनी अधिक हो गई हैं कि उन इकाईयां को चलाना मुश्किल हो गया है।

रेडीमेड परिधान निर्माण उद्योग जो एक सीमित पंूजी वाला तथा सीमित संसाधनों वाला क्षेत्र जाना जाता है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र की समस्याओं पर विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि इस क्षेत्र में पूंजी का अभाव, उत्पादन की अविकसित प्रणाली, कच्चे माल की समस्या, उपभोक्ताओं की रूचि, संगठित बाजार का अभाव, बड़ी कंपनियों से तीव्र प्रतिस्पर्धा, कुशल श्रमिकों का अभाव, विक्रय परिधानों के भुगतान प्राप्त होने में विलम्ब होना इत्यादि ऐसी समस्यायें हैं जो रेडीमेड परिधानेां का निर्माण करने वाले उद्यमियो को हमेशा हतोत्साहित करती है। इन समस्याओं से प्रभावित होकर रेडीमेड परिधान निर्माण उद्योग रूग्णता की श्रेणी में पहुंच रहा है।

रेडीमेड परिधान निर्माण उद्योग के समक्ष प्रायः दो प्रकार की समस्यायें हैं। प्रथम इस उद्योग के बाधक तत्व जैसे कच्चे माल की समस्या, कुशल श्रमिकों का अभाव, ऋण लेने पर कठिनाई, पूंजी की कमी, ऊँची ब्याज दरें, मल्टीनेशनल कम्पनियों से प्रतिस्र्धा, विक्रय मूल्य का भुगतान देरी से प्राप्त होना इत्यादि । द्वितीय आंतरिक तत्व के रूप में प्रबंधकीय क्षमता का अभाव, कमजोर प्रबंधन, क्षमता का समुचित उपयेाग न कर पाना, कमजोर संरचना, दोषपूर्ण पूंजी नियोजन, संगठित बाजार का अभाव इत्यादि प्रमुख हैं।

जिले में स्थापित रेडीमेड परिधान निर्माण उद्योग की जिन 120 इकाईयों का सर्वेक्षण किया गया है, उस सर्वेक्षण के अध्ययन से रेडीमेड परिधान निर्माण उद्योग की इकाईयों में अनेक प्रकार की समस्यायें एवं बाधायें पाई गई हैं इनका विवरण निम्न तालिका द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

तालिका क्रमांक 1

रेडीमेड वस्त्र निर्माण उद्योग की समस्यायें एवं बाधायें

क्र.	समस्या / बाधा का नाम	उद्यमियों की संख्या	उद्यमियों का प्रतिशत
1	पूंजी की समस्या	72	60%
2	कच्चे माल की समस्या	46	38.33%

3	कुशल श्रमिकों की समस्या	53	44.17%
4	प्रबंधकीय समस्या	26	21.67%
5	तकनीकी समस्या	22	18.33%
6	उत्पाद विपणन की समस्या	41	34.17%
7	करों की ऊँची दरें	39	32.5%
8	ऋण पर ब्याज की ऊँची दरें	45	37.5%
9	साझेदारी में विवाद	8	6.67%
10	शक्ति के साधनों की समस्या (विद्युत)	25	20.83%
11	कार्यशील पूंजी की कमी	56	46.67%
12	प्रतिस्पर्धा का सामना करने में कठिनाई	36	30%
13	भुगतान समय पर प्राप्त न होना	48	40%
14	उपभोक्ताओं की अरूचि	29	24.17%

जिले के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र के रेडीमेड उद्यमियों की समस्यायें अलग तरह की हैं। इनकी समस्यायें शहरी क्षेत्र के उद्यमियों से जटिल हैं जैसे आधारभूत ढांचे का अभाव, कच्चे माल की कमी, पूंजी की कमी, विपणन की समस्या, बिजली की कमी, कुशल कारीगरों की कमी, यातायात के साधनों की कमी, नवीनतम तकनीकी एवं फैशन की जानकारी का अभाव इत्यादि ऐसी समस्यायें हैं जो पिछड़े क्षेत्रों मे प्रायः देखने को मिल जाती हैं।

जिले की 120 इकाईयों का सर्वेक्षण करने के दौरान यह पाया गया कि जिले का रेडीमड वस्त्र उद्योग अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। इन समस्याओं का विस्तृत विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है –

पूंजी की समस्या – किसी भी उद्योग के विकास के लिये पूंजी एक अत्यन्त आवश्यक तत्व है । यह सर्वविदित है कि वित्त को व्यवसाय का जीवन रक्त कहा जाता है यह उद्योग की आत्मा होती है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का रक्त उसके शरीर से निकल जाये तो वह निष्क्रिय हो जाता है उसके हाथ पैर, मस्तिष्क, आख, कान, नाक आदि काम करना बंद कर देते हैं और वह बेजान पड़ा रहता है। ठीक उसी तरह यदि उद्योग में वित्त न हो तो उसकी सारी क्रियायें ठप्प पड़ जाती हैं न वह माल क्रय कर सकता है, न मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कर सकता है और न ही किसी भी प्रकार क भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। इसे व्यवसाय की आत्मा भी कहा जाता है। आत्मा जब तक किसी भी शरीर में रहती है तो वह व्यक्ति जीवित रहता है किन्तु यदि आत्मा शरीर से निकल जाय तो व्यक्ति निर्जीव हो जाता है। ठीक उसी तरह से यदि व्यवसाय से वित्त निकल जाये तो उसकी समस्त क्रियायें शिथिल पड़ जाती है और वह निर्जीव सा हो जाता है ।

पर्याप्त पूंजी के अभाव में उद्योग एवं व्यवसाय की क्रियाओं का संचालन संभव नहीं है। औद्योगिक इकाई में पूंजो दो रूपों में आवश्यक होती है। (अ) दीर्घकालीन पूंजी (ब) अल्पकालीन या कार्यशील पूंजी ।

दीर्घकालीन प्ंजी की आवश्यकता उद्योग के लिये स्थायी सम्पत्तियों के क्रय के लिये आवश्यक होती है । स्थायी सम्पत्तियों से आशय उन सम्पत्तियों से है जो परिधानों के निर्माण के लिए आवश्यक है जैसे भूमि, भवन, मशीन, संयंत्र इत्यादि। इनके बिना उत्पादन करना संभव नहीं होता।

समुचित गारंटी एवं जानकारी का अभाव :

अधिकांश रेडीमेड परिधान निर्माता सीमित संसाधनों वाले उद्यमी होते हैं। इन्हें सामान्यतः ऋण लेने के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं होती न ही इनके पास बैंकों में प्रतिभूति के तौर पर रखने हेतु इतनी सम्पत्ति होती है कि वे अपन ऋण के प्रतिभूति के तौर पर उन्हें बैंकों में बंधक रख सके । विभिन्न उद्यमियों से प्राप्त जानकारी से स्पष्ट होता है कि ऐसे उद्यमी कभी कार्यशील पूंजीकी समस्या से जूझते हैं तो कभी अनुभव की कमी से । इनके द्वारा उत्पादित माल की लागतभी बहुत अधिक होती है जिससे इन्हें उत्पादित माल

को विक्रय करने में कठिनाई होती है। सर्वेक्षण के दौरान यह भी अनुभव किया गया कि अनेक रेडीमेड परिधान निर्माण करनेवाले उद्यमी अप्रशिक्षित थे उन्हाने न तो किसी संस्थान से रेडीमेड परिधान निर्माणकरने का प्रशिक्षण लिया है न ही अनुभव प्राप्त किया है। ऐसे उद्यमी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। जिसके फलस्वरूप उन्हें हानि का सामना करना पड़ रहा है और वे अपने उद्योग को लाभ की स्थिति में संचालित करने में असमर्थ हैं।

ऋण पर ब्याज की ऊँची दरें :

रेडीमेड परिधान निर्माण उद्योग में यदि उद्यमी द्वारा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से ऋण लिया जाता है तो उसे ऊँची ब्याज की दरों से ऋण का भुगतान करना पड़ता है । यह देखा गया है कि औद्योगिक वित्त निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने वाले उद्यमियों को 12 से 18 पतिशत ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ा। नव उद्यमी जिसने अपनी औद्योगिक इकाई अभी स्थापित की है और अपने परिधानों की निर्माण की समस्या और उनके विक्रय तथा वितरण की समस्या से जूझ रहा है ऐसे में ऊँची दर पर लिये गये ऋण का भुगतान करना उसके लिये संभव नहीं होता है। यदि वह ऋण का भुगतान ऊँची ब्याज दर से करे तो उस औद्योगिक इकाई का अस्तित्व संकट की कगार पर पहुँच सकता है । अतः अपने उद्योग के अस्तित्व के बनाए रखने के लिए वह ऋण का भुगतान तुरन्त नही करता बल्कि व्यवसाय एवं उद्योग के लिये आवश्यक कार्यशील पूंजी बनाए रखने में ध्यान देता है । ऐसी स्थिति में उद्यमी पर ऋण का बोझ बढ़ता जाता है और कर्ज के बोझ के तले दबे उद्योग का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर पहुँच जाता है ।

कार्यशील पूंजी हेतु साहूकारों से ऋण :

अधिकतर परिधान निर्माण करने वाले उद्यमियों के पास कार्यशील पूंजी की कमी होती है जिससे वे उद्योग को सुचारू रूप से संचालित कर पाने में असमर्थ होते है। । इसके अलावा बैंकों के पास जमानत के तौर पर रखने वाली प्रतिभूतियों के अभाव में वे सस्ती दरों से ऋण प्राप्त नहीं कर पाते । मजबूरी में उन्हें अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हेतु देशी साहूकार, महाजन अथवा दलाल के माध्यम से ऊँची दरों पर ऋण लेना पड़ता है। इनके द्वारा 3 से 5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ऋण पर ब्याज चुकाना पड़ता है । जिससे इनका आर्थिक शोषण होता ह और इनका लाभ का एक बड़ा हिस्सा देशी साहूकारों एवं महाजनों से लिये गये ऋण पर ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है और ये बेचारे उद्यमी निर्धन के निर्धन बने रहते हैं।

वित्त प्रबंधन का अभाव :

एक रेडीमेड परिधान उद्योग की स्थापना करने हेतु वित्तीय संसाधनों का प्रबंध कर लेना कई बार आसान होता है और उद्योग प्रारम्भ कर लिया जाता है। कई बार यह अनुभव किया गया है कि कई उद्यमी अपने उद्योग में पर्याप्त मात्रा में वित्त होने के बावजूद भी कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनमें वित्तीय प्रबंध करने की क्षमता नहीं होती और न ही उन्होंने वित्तीय प्रबंधन करने का प्रशिक्षण लिया होता है । वित्तीय प्रबंधन की जानकारी के अभाव में उद्योग को अनेक वित्तीय और पूंजोगत समस्याओं से जूझना पड़ता है। कुशल वितीय प्रबंधन न कर पाने के कारण इनका उद्योग वित्त की समस्या से ग्रस्त हो जाता है और उद्योग को असफलता की ओर ले जाता है।

लेखाकर्म के ज्ञान का अभाव :

सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि रेडीमेड परिधान निर्माण करनेवाले अनेक कम पूंजी वाले उद्यमी स्वतः लेखांकन का कार्य करते हैं किन्तु जब उनसे लेखांकन के नियमों के पालन के संबंध में जानकारी मांगी गई तो वे नियमों को बता नहीं सके । ऐसी स्थिति में लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि करना और खाते तैयार करना इनके लिए संभव नहीं है अतः इन्हें लेखांकन कार्य का प्रशिक्षण लेना चाहिए । यदि ये उद्यमी लेखांकन कार्य करने के लिये प्रशिक्षण नहीं लेते हैं तो इन्हें अपने उद्योग के लेखांकन का कार्य कुशल एवं परिपक्व लेखांकक से करवाना चाहिए जिससे लेखा पुस्तकों में सही प्रविष्टि हो सके और खातों का सही हिसाब किताब बनाया जा सके।

ऋण न चुकाने की प्रवृत्ति :

सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि पधानमंत्री रोजगार योजना और मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अनेक उद्यमियों ने रेडीमेड परिधान निर्माण करने हेतु ऋण लिया हुआ है इस

ऋण पर ब्याज का भुगतान बहुत से उद्यमियों ने तब तक नहीं किया था जब उनका उद्योग का सर्वेक्षण किया जा रहा था । उनकी ऐसी धारणा है कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला ऋण एकमुश्त उपहार है और उसे चुकाने की आवश्यकता नहीं है । यह एक आम धारणा बन गई है । अनेक उद्यमियों ने रेडीमेड परिधान निर्माण करने हेतु शासन से ऋण लिया हुआ है किन्तु इसका पुर्नभुगतान करने की आवश्यकता नहीं समझी ऐसे ऋण पर ब्याज की राशि बढ़ती चली जाती है और जब सरकार द्वारा ऋण वसूली की कार्यवाही की जाती है तो रेडीमेड परिधान उद्योग बंद होने की स्थिति में आ जाते हैं । इसका एक दुष्परिणाम यह देखने में आ रहा है कि शासन की योजनाओ के अंतर्गत ऋण लेने वाले उद्यमियों के प्रति बैंकों का विश्वास कम हो रहा है । अतः बैंक बहुत छानबीन करने के बाद ही इस प्रकार उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को ऋण प्रदान कर रहा है । जिसका प्रभाव नये रेडीमेड परिधान निर्माण उद्योग लगाने वाले उद्यमियों पर पड़ रहा है और उनके मन में इस उद्योग के प्रति आकर्षण कम देखा जा रहा है ।

आधुनिक तकनीक की समस्या :

रेडीमेड परिधान निर्माण करने वाले उद्योगों में सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि इन उद्योगों में स्थापित परिधान निर्माण करने वाली मशीनें अत्यन्त प्राचीन हैं तथा यहाँ काम करने वाले कारीगर प्राचीन एवं परम्परागत विधियों के अनुसार कार्य कर रहे हैं जिसके कारण इनकी परिधान निर्माण करने की क्षमता बहुत कम है और इनकी उत्पादन लागत बहुत अधिक है । वर्तमान समय में परिधानों का निर्माण करने की अत्याधुनिक मशीनें आ गई हं जिससे वस्त्रें की गुणवत्ता उच्च स्तर की बनी रहती है इसके अतिरिक्त उत्पादन में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत कम आती है । किन्तु यह देखा गया है कि ऐसी आधुनिक मशीनें केवल कुछ बड़े उद्यमियों तक ही सीमित हैं ।

कच्चे माल की समस्यायें :

रेडीमेड वस्त्र उद्योग की दूसरी सबसे बड़ी समस्या कच्चे माल की उपलब्धता समय पर न हो पाना है । कच्चे माल की आपूर्ति रेडीमेड परिधान निर्माताओं को स्थानीय स्तर, प्रदेश एवं देश के विभिन्न महानगरों की मंडियों से की जाती है । बड़े रेडीमेड वस्त्र निर्माता अपने पास लगभग एक माह की कच्ची सामगो की आपूर्ति सुरक्षित रखते हैं किन्तु छोटे–छोटे उद्यमी तीन चार दिन या अधिकतम एक सप्ताह तक का कच्चा माल ही अपने पास संग्रहित कर सकते हैं। शासन की योजनाओं के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को लघु उद्योग निगम तथा लघु उद्योग विकास बैंक के माध्यम स कच्चा माल प्राप्त करने की व्यवस्था है लेकिन यहां से पर्याप्त मात्रा में उद्यमियों को कच्चा माल प्राप्त न हो पाने से रेडीमेड परिधान निर्माण करने वाले उद्यमियों के समक्ष अक्सर कच्चे माल की आपूर्ति समय पर न होने से संकट उत्पन्न हो जाता है। इन संस्थाओं से उद्यमियों को नगद भुगतान करने पर ही कच्चा माल प्रदान किया जाता है। बहुत से रेडीमेड वस्त्र निर्माता अपना पंजीयन इसी व्यवस्था के चलते नहीं करवाते हैं।

उत्पाद के विक्रय की समस्या :

रेडीमेड परिधान निर्माण करने वाले अधिकांश उद्यमी परिधानों का निमाण आदेश मिलने पर ही करते हैं। उन्हें रेडीमेड वस्त्र विक्रेताओं द्वारा आदेश के साथ डिजायन तथा अग्रिम की राशि प्राप्त होती है। इसके बाद ही उनके द्वारा परिधानों का निर्माण किया जाता है किन्तु रेडीमेड परिधान निर्माण करने वाले बड़े उद्यमियों द्वारा परिधानों का निर्माण करके उन्हें बिक्री के लिये अपने एजेन्टों, थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। वर्तमान समय में विश्वव्यापीकरण की अवधारणा के अंतर्गत विश्व से सभी देशों का माल बिना रोक टोक के देश के किसी भी हिस्से में खरीदा एवं बेचा जा सकता है। इस नीति से उपभोक्ताओं को फायदा पहुँचता है इसके कारण उन्हें विश्व के देशों का सस्ता माल उपलब्ध हो रहा है ।

विज्ञापन न कर सकने की समस्या :

वर्तमान समय में बड़ी–बड़ी परिधान निर्माण करने वाली कम्पनियां विज्ञापन पर भारी भरकम राशि खर्च करती हैं। इन कंपनियों द्वारा घटिया किस्म का निम्न स्तर का माल भी बड़ी आसानी से उपभोक्ताओं को केवल विज्ञापन की मदद से ही विक्रय कर दिया जाता है। छोटे–छोटे रेडीमेड परिधान निर्माण करने वाले उद्यमियों में बड़े बड़ें विज्ञापन का व्यय भार वहन करने की

क्षमता नही होती जिसके परिणामस्वरूप वे अपने उत्पाद के प्रचार प्रसार में पीछे रह जाते है। तथा अपने उत्पादों के विक्रय के लिये बाजार खोजने में भी पीछे रह जाते हैं। यदि ये विज्ञापन पर राशि खर्च करें तो इनकी आर्थिक स्थिति ही बिगड़ जायेगी और ये विज्ञापन के बोझ तले दब के रह जायेंगे।

प्रबंधकीय समस्यायें :

किसी भी औद्योगिक इकाई की सफलता का आधार उसकी कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था होती है। एक इकाई के प्रबंधक को अपने उद्योग के प्रबंध में पूर्ण रूप से दक्ष होना चाहिये । यदि वह अपनी औद्योगिक इकाई का प्रबंध सही ढंग से कुशलता के साथ नहीं कर सकता तो निश्चित रूप स उसकी औद्योगिक इकाई रूग्णता की कगार पर पहुंच जायेगी। यदि उद्योग का प्रबंध उद्यमी द्वारा स्वयं ही किया जाता है तो यह आवश्यक है कि उसे पर्याप्त रूप से प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। यदि उद्योग का संचालन बगैर प्रबंधकीय प्रशिक्षण लिये हुये किया जाता है तो उस उद्योग की सफलता क पीछे हमेशा संदेह बना रहता है। सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया है कि बहुत से शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों द्वारा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेकर रेडीमेड परिधान निर्माण करने हेतु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की गई है।

परियोजना लागत संबंधी समस्यायें :

रेडीमेड परिधान निर्माण उद्योग की इकाई लगाने के पूर्व उसकी लागत का अनुमान लगाना आवश्यक है। इसी के अनुरूप उसकी स्थापना हेतु लगने वाली लागतों का प्रबंध किया जाता है। इसके अंतर्गत परियोजनाओं के समस्त व्ययों एवं कार्यो के लिये उपाय किये जाते हैं। इन व्ययों में अवधारणा, प्रारंभिक अन्वेषण तथ्यों एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण, वर्गीकरण एवं सारणीयन, वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति, पूंजी ढांचे का निर्माण तथा सभी प्रकार की चल एवं अचल सम्पत्तियेां को व्यवस्था करना इत्यादि शामिल है। इसके लिये आवश्यक है कि परियोजना लागत की गणना सही सही की जावे। अक्सर देखा गया है कि उद्यमी परियोजना लागत का मूल्यांकन किये बगैर परियोजना प्रारम्भ कर देंते हैं फलतः परियोजना लागत की सही गणना न होने से लागत के गलत अनुमान होने से लागत संबंधी कठिनाइयों में फस जाते हैं। इसके लिये आवश्यक है कि उद्यमी कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार की स्थिति, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, तकनीक की आवश्यकता, प्रबंधन आदि के संदर्भ में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना चाहिये ताकि परियोजना का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके।

प्रतिस्पर्धा का सामना करने में कठिनाई :—

रेडीमेड परिधान निर्माण करने वाले अधिकतर उद्यमी अल्पपूंजी वाले हैं। सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि जिले के सर्वेक्षित 120 उद्यमियों में से 90 उद्यमी 10 लाख रूपये से कम पूंजी विनियोजन वाले उद्यमी थे। 10 लाख से अधिक तथा 20 लाख रूपये तक पूंजी विनियोजित करने वाले उद्यमियों की संख्या 15 थी। 20 लाख से 30 लाख रूपये तक पूंजी विनियोजित करन वाले उद्यमियों की संख्या 10 थी। 30 लाख रूपये से अधिक पूंजी विनियोजित करने वाले उद्यमी मात्र 5 थे। इन समस्त उद्यमियों को वैश्वीकरण के दौर में विश्व की बड़ी—बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी द्वारा ब्राण्डेड कंपनियों के परिधानों की मांग की जाती है। इन मल्टी नेशनल कंपनियों के उत्पाद बड़ी मात्रा में बनाये जाते हैं जिससे इन्हें अनेक प्रकार की बचतें प्राप्त होती हैं।

परिधान निर्माण संबंधी सलाहकार सेवाओं की कमी :

नव उद्यमियों को रेडीमेड परिधान उद्योग की स्थापना तथा संचालन के संबंध में स्थानीय एवं प्रादेशिक स्तर पर सलाह मार्गदर्शन देने वाली न तो कोई संस्था ही है और न ही इन्हें इस प्रकार की सलाह देने वाली विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। इस संबंध में कोई ग्रंथालय की भी स्थापना नहीं की गई है जहां पर परिधान निर्माण करने वाले उद्यमियों को विभिन्न प्रकार के परिधानों के निर्माण इत्यादि के सबंध में कोई जानकारी मिल सके।

शासन ने प्रत्येक जिला उद्योग कन्द्र में उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करने हेतु सूचना केन्द्र स्थापित किये हैं जहां पर परियोजनाओं की स्थापना तथा अन्य सूचनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इन अधिकारियों से सलाह एवं मार्गदर्शन तो दूर उल्ट वहां लोगों को

भटकाने का तथा अनावश्यक रूप से परेशान करने का कार्य किया जाता है।

जिले के रेडीमेड वस्त्र उद्योग के विकास हेतु सुझाव :

जबलपुर जिले के रेडीमेड वस्त्र उद्योग पर शोध कार्य करने का मुख्य उद्देश्य रेडीमेड परिधान निर्माण उद्योगकी स्थिति, कार्यप्रणाली तथा समस्याओं आदि का अध्ययन किया जाये। अध्ययन के पश्चात् उपजी समस्याओं का अध्ययन किया जाये तथा उन समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत किये जायें जिससे रेडीमेड परिधान उद्योग की समस्याओं को दूर कर इस उद्योग के विकास में तेजी लाई जा सके । इसके अलावा उन कमियों एवं कारणों का भी अध्ययन करना है जिसका दुष्प्रभाव जिले के औद्योगिक विकास पर पड़ रहा है ।

प्रदेश सरकार ने जबलपुरजिले को आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की दृष्टि से पूर्ण विकसित मानकर 'अ' श्रेणी के जिलों में शामिल कर लिया है लेकिन यह जिला केवल कागजों में ही विकसित जिला है वास्तव में नहीं। यहाँ आज भी आधारभूत संसाधनों का अभाव है, उद्योग–धंधे व्यापार, वाणिज्य इत्यादि की स्थिति यहां काफी पिछड़ी है। विकसित क्षेत्रों को शासन द्वारा रियायतेंएवं सुविधायें कम या न के बराबर प्राप्त होती हैं। अतः बड़े–बड़े उद्यमी इस जिले में उद्योगों की स्थापना से कतराते हैं। वे केवल उन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं जहाँ आर्थिक विकास के आधारभूत संसाधन तो उपलब्ध हो ही उद्योगों की स्थापना पर शासन द्वारा रियायतें तथा सुविधायं भी प्रदान की जाये।

जिल में रेडीमेड परिधान उद्योग काफी फल–फूल रहा है। यहाँ के रेडीमेड गारमेन्ट्स व्यवसाय की स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि कुछ समस्यायें भी हैं किन्तु उनका समाधान एवं निराकरण किया जा सकता है। यदि इन समस्याओं के समाधान के लिये दिये गये सुझावों पर विचार किया जाता है तो जिले में रेडीमेड गारमेन्ट्स उद्योग को नई ऊंचाईयों तक पहुँचाया जा सकेगा। मेरे इस शोध कार्य के दौरान अनुभव की गई समस्याओं के समाधान हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत कर रही हूँ :–

1. पूंजी की कमी जिले के रेडीमेड परिधान उद्योग की सबसे बड़ी समस्या है। इसक समाधान के लिये आवश्यक है कि दीर्घकालीन एवं कार्यशील पूंजी दोनों प्रकार की पूंजी उद्यमियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। दीर्घकालीन पूंजी की उपलब्धता कम ब्याज दर पर होनी चाहिए। इसके लिये बैंकगारंटी एवं जमानत के तौर परजमा की जाने वाली प्रतिभूतियों की मात्रा एवं साख संबंधी नियमों को उदार बनाने की आवश्यकता है। अल्पकालीन पूंजी की व्यवस्था हेतु बैंकों को बिना गारंटी एवं जमानत के अल्प समय के लिये कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करन हेतु साख उपलब्ध करानी चाहिये। बैंकों को इसके लिये कुछ आवश्यक सूचनाओं के उपलब्ध होने पर एक निश्चित समय के लिये एक निश्चित राशि की क्रेडिट लिमिट तय की जानी चाहिए। इस सुविधा के लिये बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड प्रदान किये जा सकते है। जिनकी राशि एक सीमा तक निश्चित समय के लिये उपलब्ध करायी जाती है।

2. सरकार द्वारा उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करने हेतु उद्यमियोंएवं सामान्य लोगों को उद्यम की स्थापना हेतु जानकारी प्रदान करने हेतु जिला उद्योग केन्द्र में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है जिनका उद्देश्य लोगों को उद्योग से संबंधित जानकारी प्रदान करना है।

3. प्रबंधकीय प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता शोध कार्य के दौरान महसूस की गई थी। प्रशिक्षण देने से ये उद्यमी अपनी कमजोरियों को सुधार सकते हैं । इनमें प्रबंधकीय क्षमता का विकास होगा जिससे ये अपने उद्योगका भली भांति संचालित कर सकेंगे। इनके स्वयं प्रबंधकीय प्रशिक्षण लेने से पेशवर व्यक्ति को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और इनके निर्णय लने की क्षमता में वृद्धि हो सकेगी।

4. जिला उद्योग केन्द्र परिधान निर्माण उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है अतः इसे और अधिक

सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है जिससे जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी व अन्य विभागों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इस हेतु प्रबंधकों के अधिकारों को विस्तृत किया जाना चाहिये जिससे योजनाओं के संचालन एवं क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों एवं बाधाओं का हरसंभव निदान हो सके। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिये उद्यमी को अनाश्यक रूप से भटकना न पड़े।

5. जबलपुर जिले के ज्यादातर परिधान निर्माता असंगठित क्षेत्र में हैं। अतः उनके द्वारा निर्मित परिधाना का बाजार सुनिश्चित किये जाने की विशेष आवश्यकता है इस हेतु उन्हें बाजार से जोड़े जाने की दिशा में विशेष प्रयास प्रशासन तथा विपणन केन्द्रों को करना चाहिये।

6. जिले में रेडीमेड परिधान उद्योग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सिडबी की एक शाखा खोले जाने की आवश्यकता है जिससे इन औद्योगिक इकाइयों को आसानी से वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके।

7. शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेकर रेडीमेड गारमेन्ट्स उद्योग की स्थापना करने वाले उद्यमियों की इकाईयों का भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक है जिससे इनके द्वारा लिये गये ऋण एवं अनुदान का दुरूपयोग न हो सके। यदि ऐसे किसी पकरण में दुरूपयोगकिये जाने की संभावना लगती है तो इनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे बैंकों को ऋण वसूल करने में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

8. जिले में रेडीमेड वस्त्र उद्योग में महिला परिधान उद्योग की स्थिति अच्छी है लेकिन पुरूष परिधान की दृष्टि से देखा जाये तो रेडीमेड वस्त्र उद्योग काफी सीमित है। यहां केवल कुछ प्रमुख पुरूष परिधानों जैसे– शर्ट, पेंट, लोवर का निर्माण ज्यादा किया जाता है जबकि टी–शर्ट, जीन्स, जैकेट, शेरवानी, ट्राउजर, ग्लेजर आदि पुरूष परिधान बनाने वाले निर्माताओं की संख्या अत्यन्त सीमित ह। अतः यदि जिले में इन समस्त पुरूष परिधानों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर प्रारम्भ कर दिया जाये तो जिला पुरूष परिधान उद्योग की दृष्टि से भी विकसित हो सकता है । साथ ही जिले में अनेक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे जो जिले के आर्थिक विकास में सहायक होंगे।

9. शासन द्वारा जिले के रेडीमेड वस्त्र निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास किये जाने चाहिये ताकि जिले में निर्मित वस्त्रों को निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके।

उपसंहार :

जबलपुर जिले में रेडीमेड वस्त्र उद्योग की लगभग 500 इकाईयां वर्तमान में कार्य कर रही हैं। अधिकांश इकाईयां व्यवसायिक एवं अर्द्ध–व्यवसायिक स्थलों में स्थापित हैं जहां स्थान की समस्या देखने को मिली है। अधिकांश इकाईयां सरकार की स्वरेाजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता लेकर स्थापित की गई हैं। इनमें पूंजी विनियोजन 10 लाख रूपये तक किया गया है। इन इकाईयों का विस्तार करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र में स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिये जहां इन्हें सभी प्रकार की सहायता एवं सुविधायें प्राप्त हो सकें।

जिले का रेडीमेड वस्त्र निर्माण उद्योग लगभग 20 वर्ष से भी अधिक पुराना है। विगत पांच से दस वर्षो से इस उद्योग में तेजी देखने को मिली है। बेरोजगारी की समस्या इस उद्योग को तेजी से बढ़ाने का एक मुख्य कारण है। जिले की अधिकांश इकाईयां निजी स्थायित्व वाली लघु इकाईयों के रूप में हैं। इनके द्वारा तैयार किये गये परिधानों को स्थानीय एवं प्रदेश स्तर पर तो विक्रय किया ही जाता है देश एवं विदेश स्तर पर भी इन परिधानों का बाजार क्षेत्र है।

वर्तमान में इस उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से लगभग 50000 लोगों को रोजगार मिला है।

अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत बड़ी संख्या में लोगोंको आजीविका अर्जन के अवसर उपलब्ध हो रहे है। प्रत्यक्ष रूप से कटिंग, सिलाई, कढ़ाई, काज–बटन, इस्तरी इत्यादि कार्यों में तथा अप्रत्यक्ष रूप से कपास की कृषि, कपड़े हेतुधागा तैयार करना, वस्त्रों के विक्रय, वस्त्रों में लगने वाले चैन, हुक, बटन, लेस, बकरम, वस्त्रों की पैकिंग, विज्ञापन, वितरण एवं विक्रय, ट्रान्सपोर्टेशन इत्यादि क्रियाओं मे लोगों को रोजगार उपलब्ध है। जिले में रेडीमेड गारमेण्ट्स क्लस्टर के बन जाने से परिधान निर्माण करने वाली कंपनियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो जायेगी। यहां न केवल देशी कंपनियाँ अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करेंगो वरन् वहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी यहां अपना करखाना प्रारभ करेंगी। इनकी स्थापना होने से परिधान निर्माण उद्योग में रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि होगी। एक अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में रोजगार के लगभग एक लाख अवसर उपलब्ध होंगे।

परिधान निर्माण उ़द्योग में अनेक समस्यायें देखने को मिली जिनमें पूंजी की कमी, कच्चे माल की उपलब्धता में कठिनाई, कुशल कारीगरों का अभाव, कारखानों का कम क्षेत्रफल वाले भवनों में संचालित होना इत्यादि प्रमुख हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने हेतु प्रस्तुत शोध में सुझाव दिये गये हैं जिनसे रेडीमेड परिधान निर्माण उद्योग की दशा में सुधार होगा और जबलपुर जिले के रेडीमेड परिधान निर्माण उद्योग को एक नई दिशा देने में सहायक होगा।

भारतीय दल व्यवस्था में क्षेत्रवाद की भूमिका

डॉ. गुलराना परवीन
एम.ए., एम फिल, पी–एच.डी (राजनीति विज्ञान)
नचिकेता इंस्ट्टीयूट इन्फारमेशन एंड मैनेजमेंट एंड टेक्नॉलाजी, जबलपुर

प्रस्तावना : क्षेत्रवाद प्रवृत्ति एक प्राकृतिक भावना की उपज है। जिसके कारण व्यक्ति अपने समाज और भौगोलिक परिवेश के अलावा क्षेत्रीयजन समूह से मोहब्बत करता है। वह अपनी संस्कृति, धार्मिक रस्मों, रिवाजों से बड़ी गहराई से जुड़ा होता है। वह अपनी व्यक्तिगत प्रगति के साथ–साथ अपने समाज को भी उन्नति करते हुए देखना चाहता है, परन्तु विडम्बना यह है कि समाज उसी समय तरक्की कर सकता है, जब समाज के सभी लोग, आर्थिक और बौद्धिक स्तर पर समान रूप से आगे बढने में सक्षम हों। किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के जीवन परिवर्तन से इस उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। कुछ लोग यह समझते हैं कि अन्य राज्यों से आये हुए बाहरी लोगों क कारण उनकी प्रगति बाधित होती है। उनकी सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचता है, उनकी आस्थाएं खंडित होती हैं, परन्तु यह सत्य नहीं है।

भारत एक मिली–जुली संस्कृति का देश है। हिन्दू धर्म में महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर को भी वही सम्मान दिया जाता है, जो अन्य हिन्दू देवी–देवताओं को प्राप्त है। भारत में जब इस्लाम आया तो उसने एक ईश्वरवाद को महत्व दिया, जिससे हिन्दुओं की आस्थाएं मजबूत हुई। सहिष्णुता हिन्दू धर्म की विशेषता है। सूफीवाद को जितना आश्रय ईरान में नहीं दिया, उससे कहीं अधिक भारत में दिया जाता है। नानक, तुलसी, कबीर, रहीम और जायसी इसका ज्वलंत प्रमाण कहे जा सकते हैं। आज भी सूफियों की दरगाहों पर धर्म और जाति से परे लोग हाजिर होते हैं, राजनीति एक भौतिकवादी दृष्टिकोण है। जिसके कारण लोग अपने क्षेत्र और अपनी सामाजिक समस्याओं को अधिक महत्व देते हैं। इसी कारण व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थ को भी आसरा मिलता है। लोग अपना सामर्थ नहीं देखते, दूसरे की प्रगति को अपना अधिकार समझते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन काल के बीस वर्ष लिखने–पढने में लगा दिये और एक अच्छा इंजीनियर और डॉक्टर बनकर रुपया आर नाम कमाता है। उसके सामने अनपढ़ व्यक्ति का महत्व कदापि नहीं हो सकता। कबीलाई व्यवस्था और पहाड़ी जातियों से संबंध रखने वाला समाज आर्थिक प्रगति में निश्चय ही पिछड़ा समझा जायेगा।

हमारे यहां क्षेत्रीयता और जातीयता को आमजन बहुत महत्व देते हैं। कोई पंजाबी ह, कोई गुजराती और मराठी, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आम इंसान भारतीयता के गौरव और सम्मान से आज भी अंजान है। समस्याएं तो कभी समाप्त नहीं हो सकती। आज एक समस्या हल होती तो दूसरी खड़ी हो जाती है। राजीतिक दल और क्षेत्रीय दल सरकार के साधन और समर्थ को नहीं देखते, उनकी नजर केवल अपने उद्देश्य पर होती है। हालांकि सब जानते हैं भारत एक विशाल देश है, जिसमें विभिन्न जातियां और संप्रदाय वास करते हैं। जनसंख्या भी एक सौ इक्कीस करोड़ से ज्यादा हो गई है। इतनी बड़ी आबादी का भरण–पोषण और आवश्यकताओं की पूर्ति कोई आसान बात नहीं है। जी–8 देशों की कुल जनसंख्या के बराबर आबादी वाला देश, यदि प्रगतिशील देशों की संख्या में अग्रणी है, तो निश्चय ही हम अपने देश की अर्थव्यवस्था पर गर्व कर सकते हैं।

क्षेत्रीयता के तीन कारण हो सकते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता, भाषागत विभिन्नता एवं आर्थिक असंतुलन जिसे दूर करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाएं शूरू की हैं। जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराई जाती हैं। बच्चों को मुफ्त शिक्षा और दोपहर का भोजन भी दिया जाता है। इसके अलावा बेकार नौजवानों को स्वयं का कारोबार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज, उच्च शिक्षा के लिए लोन, फीस माफी और छात्रवृत्ति का प्रावधान भी सरकार की ओर से किया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि, क्या जीवन संघर्ष की शक्ति लोगों में कम हो

गई है? वह अपने आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए खुद कोई कोशिश क्यों नहीं करते? अभी कुछ माह पूर्व जापान में सुनामी के कारण देश को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। एटमी रिएक्टर के फेल होने से बहुत खतरा पैदा हा गया था। पानी और खाने की वस्तुओं तक के लिए लोग असहाय हो गये थे। परन्तु उन्होंने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। लोग केवल एक दिन की जरूरत से ज्यादा पानी और खाद्य सामग्री का कय नहीं करते थे, ताकि अन्य लोग भूखे, प्यासे न रह जायें। परन्तु हमारे देश में यह नियम–संयम लोगों में कम नजर आता है। राजनीतिक दल स्थानीय लोगो की आतुरता का फायदा उठाकर अपना जनाधार मजबूत बनाने के लिए स्थानीय समस्याओं के समाधान में कोई रचनात्मक सहयोग नहीं देते।

राजनीति से राष्ट्र के भाग्य का निर्धारण होता है और इसके निर्धारक हमारे नेता होते हैं। इसलिए नेता के चरित्र और ज्ञान की छाप राष्ट्र की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक संस्थाओं पर पड़ती है और उनके त्याग, संघर्ष, संवेदना और साहस आदि का परिवर्तन भी इन संस्थाओं से होता है।

डॉ. रजनी कोठारी के अनुसार– आज भारतोय राजनीति में कोई ऐसा नेता और राजनीतिक दल नहीं है, जो क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म आदि संकीर्णताओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय नेतृत्व कर सके। नेतृत्व जो समाज को दिशा प्रदान करते है, वह अपने कर्त्तव्यों से विमुख हो रहा है।[1]

क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को रोकना ठीक नहीं होगा, कारण यह कि जब तक समस्याएं सामने न हों तो उनका निदान कैसे हो सकता है, परन्तु समस्याओं के हल के लिए राजनीतिक दल जब देश की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं तो उनका वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो जाता है। खासतौर पर जब स्थानीय समस्याओं के लिए राज्यों को पृथक करने का सुझाव दिया जाता है तो ऐसे प्रस्ताव से सत्तालोलुपता की भावना प्रकट होती है।

[1] डॉ. (श्रीमती) रजनी जैन डालचंद, भारतीय राजनीति के नये आयाम, पृष्ठ 81, 82

क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव

क्षेत्रीय दलों का विकास स्थानीय समस्याओं को लेकर किया गया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय समस्याओं से सरकार को अवगत कराना था, परन्तु समय के साथ–साथ विचारधारा में परिवर्तन आया और स्थानीय समस्याओं पर राजनीति हावी हो गई, जिसके फलस्वरूप तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़घम, उत्तर प्रदेश में भारतीय कांतिदल, बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा, पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिव सेना जैसे हो दलों का उदाहरण है। क्षेत्रीय दल स्थानीय समस्याओं को राज्य सरकार के सामने बेहतर ढंग से और उनकी वास्तविकता के आधार पर स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु उपरोक्त सभी दल स्थानीय समस्याओं को आधार बनाकर सत्ता प्राप्त करने में कामयाब हो गये।

प्रो. नंदलाल के अनुसार– क्षेत्रवाद एक सार्वभौमिक प्रकिया है, परन्तु भारत के संबंध में विशिष्ट बात यह है कि यहां एक क्षेत्र की राजनीतिक सीमा उस क्षेत्र की सांस्कृतिक और भाषाई सीमा के समानान्तर है। परिणामतः सांस्कृतिक स्थिति विशेष में असंतुष्टि, राजनीतिक क्षेत्र में प्रकटीकृत होती है। ये आकांक्षाएं मुख्य रूप से बेहतर आर्थिक परिस्थिति, राजनीतिक शक्ति, उपेक्षाकृत आर्थिक सहभागिता, अधिक क्षेत्रीय स्वयत्ता तथा कभी–कभी पृथक राज्य की मांग के रूप में मुखरित होती रही है। असंतुलित आर्थिक और राजनीतिक विकास जो विकास प्रकिया के प्रारंभिक चरण में स्वाभाविक ही है, ने क्षेत्रीय असंतुलन को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप उप–राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को बल मिला है। निःसंदेह यदि इन क्षेत्रीय प्रवृत्तियों को राष्ट्र की मुख्य आकांक्षा धारा में समायोजित नहीं किया जाता तो यह राष्ट्रीय एकता के समक्ष गंभीर चुनौती बन जाती है।[2]

द्रविड़ मुनेत्र कड़घम एक क्षेत्रीय दल होने के बावजूद तमिलनाडु राज्य का सबसे प्रमुख राजनीतिक दल है। इसके अलावा अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडघम और अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक भी स्थानीय राजनीाति में अपनी पैठ बनाये हुए हैं। द्रविड़ मुनेत्र कडघम का राजभाषा विरोध जगजाहिर है। जिसने उसे तमिलनाडु में लोकप्रिय

[2] नंदलाल राजनीत विज्ञान पृष्ठ 535

बना दिया। अपनी आर्थिक नीति का आधार उसने भारत सरकार की लाइसेंस प्रणाली को बनाया। उसे विश्वास है कि यदि कंपनियों का लाइसेंस देने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया जाये तो राज्य की अर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। तमिलनाडु में औद्योगिकीकरण के विकास उत्तर भारतीयों के खिलाफ भी 1965 में डीएमके ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था, परन्तु पार्टी विभाजन के कारण इसकी तीव्रता में कमी आ गई। वर्तमान में अन्नाद्रमुक को राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जयललिता के हाथ में पार्टी की कमान है।

महाराष्ट्र में शिवसेना महाराष्ट्रियों का नारे पर आधारित इस क्षेत्रीय दल की विशेषता यह है कि इसके नेता भी उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयान जारी कर राज्य में उत्तेजना फैलाते हैं। विगत कुछ वर्षो से इस दल ने उत्तर भारतीयों, बिहारवासियों के विरोध में टीका टिप्पणी कर राजनीतिक वातावरण को गरम कर दिया था। हिन्दू फासीवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करना भी इस दल की प्रमुख विशेषता है। कई बार दंगों मं इसका नाम आया है, परन्तु इसके नेताओं के खिलाफ कोई कानून कार्रवाई नहीं की गई है। वर्तमान में इसके संसद सदस्य एनडीए गठबंधन में शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के पुत्र चन्द्रा बाबू नायडू तेलगु देशम पार्टी (नायडू) के अध्यक्ष हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी बहुमत प्राप्त करने में असफल रही, अतः वर्तमान में वह प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है। असम गण परिषद् की स्थापना में विदेशी लोगों को असम से बाहर निकाले जाने का मुद्दा प्रमुख है। इस संबंध में असम गण परिषद् ने आठवीं दहाई में भारतीय जनता का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सफलता प्राप्त की थी। अकाली दल का संबंध पंजाब की उपजाऊ धरती से है। इस दल ने पंजाब राज्य की स्थापना के लिए आंदोलन चलाकर केन्द्रीय सरकार को पंजाब विभाजन के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार पंजाब और हरियाणा अस्तित्व में आए, परन्तु चंडीगढ़ किसी के हिस्से में नहीं आया, उसे केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। मिजो नेशनल फ्रंट तथा नागा नेशनल फ्रंट का संबंध मिजोरम और नागालैंड से है। यह दोनों पार्टियां अकसर राज्य में दंगा फसाद फैलाकर समस्या को सांप्रदायिक शक्ल दे देती हैं और यह समझना मुश्किल हो जाता है कि दंगा किस समस्या का समाधान है?

डॉ. वीरकेश्वर प्रसाद सिंह के मतानुसार– भाषा की भांति क्षेत्रीयता की भावना भारत की राजनीतिक एकता को तोडने का प्रयास करते हैं। खास कर दक्षिण में मद्रास तथा उत्तर पूर्व भारत के पहाड़ी इलाकों में इस संदर्भ में हुए आंदोलन सरकार के लिए सिरदर्द बन रहे हैं। शुरू में तो इन क्षेत्रों में भारत से पृथक होने के लिए हो आंदोलन जारी किये थे। समय–समय पर इस आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। धीरे–धीरे दोनों पक्षों को झुकना पड़ा। भारत सरकार को प्रशासनिक कुशलता पर ध्यान दिये बिना पहाड़ी इलाकों में कई छोटे–छोटे राज्यों की स्थापना करवाना पड़ी। नागा विद्रोहियों से भी अंत में समझौता हुआ। इन क्षेत्रों की जनता को संतुष्ट करने के दृष्टिकोण से इनके विकास पर काफी ध्यान दिया जा रहा है और बड़ी धन राशि खर्च की जा रही है। सच पूछा जाये तो इन भावनाओं के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात गलत है। यह देश की एकता के लिए घातक है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अकुशल। राष्ट्रहित और राजनीतिक स्थिरता के दृष्टिकोण से इसे हतोत्साहित करना ही होगा।[3]

क्षेत्रीय दल चूंकि स्थानीय तौर पर कार्य करते हैं और क्षेत्रीय समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत सुझावों में व्यापकता की कमी होती है। इस कारण क्षेत्रीय जनता देश और समाज की मूलभूत समस्याओं से अनभिज्ञ होती है। जनता का निर्णय भी प्रभुत्व प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय राजनीतिक दल केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को भी अपनी उपलब्धि बताकर प्रस्तुत करते हैं।

क्षेत्रीय दलों की कार्यप्रणाली किसी व्यवस्था और ठोस आधार पर निर्भर नहीं होती, वह समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक दबाव बनाकर आंदोलन करते हैं तथा हिंसक प्रवृत्ति को आसरा देकर जनता और सरकार के सामने चुनौतियां प्रस्तुत करत रहे हैं। उनका उद्देश्य सत्ता में भागीदारी के सिवा कुछ और नहीं होता।

---

[3] डॉ. वीरकेश्वर प्रसाद सिंह भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाए पृष्ठ 299.300

दलीय व्यवस्था में क्षेत्रवाद के कारण समस्याएं

दलीय व्यवस्था लोकतंत्र का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती, परन्तु राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में अपराधिक पृष्ठभूमि रखने वाले राजनेताओं के आन से राजनीति का नैतिक स्वरूप बदल गया है। भ्रष्टाचार और स्वार्थ की राजनीति एक आम बात हो गई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आम जनता सब कुछ जानते हुए भी दागी (अपराधी) छवि वाले बाहुबली व्यक्तियों को वोट देकर कामयाब बनाती हैं। राजनीतिक दल अपनी जीत को ध्यान मं रखकर ही पार्टी उम्मीदवार का चयन करते हैं। वह यह समझते हैं कि कार्यकर्ता की जीत से उनके सारे दायित्व समाप्त हो जाते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि राजनेता गलतियां करते हैं, परन्तु उन्हें स्वीकार करने का नैतिक साहस उनमें नहीं होता, बल्कि अपने गुनाह पर पर्दा डालन के लिए षड्यंत्र करते हैं और कानून का सहारा ढूढ़ते हैं, ताकि जनता की नजर में स्वयं को चरित्रवान दिखा सकें। अन्य राजनीतिक दल भी उनके कृत्य में उनका साथ देते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर कार्यरत राजनीतिक दलों की यह प्रवृत्ति क्षेत्रीय स्तर पर पर भी आमतौर पर दिखाइ देती कि राजनेता अधिकारियों पर दबाव डालकर उन्हें अनैतिक कार्यों के लिए मजबूर करते हैं।

डॉ. अमरेश अवस्थी ने मध्य प्रदेश राजनीतिक विज्ञान परिषद् में अपने व्याख्यान में भारतीय संसदीय लोकतंत्र की पांच चुनौतियों की तरफ विशेष रूप से सदन का ध्यान आकर्षित कराया था।

(1) संसदीय प्रजातंत्र के स्थान पर लोक लुभावनाकारी जनतंत्र की ओर प्रवृत्त भारतीय राज व्यवस्था (2) राजनीति में बढ़ती हुई हिंसा (3) देश में धीरे–धीरे चल रहे राजनीतिक और संविधानिक संस्थाओं जैसे न्यायपालिका, संसद आदि के विघटन की प्रकिया (4) नैतिक मूल्यां का तीव्र हास और (5) राजनीति का अपराधीकरण[4]

राजनीतिक समस्याओं का हल भी राजनीतिक स्तर पर तलाश किया जाना संभव है। परन्तु स्थानीय क्षेत्रीय दल, हड़ताल और हिंसक आंदोलनो के द्वारा देश और समाज में अराजकता फैलाकर समझते हैं कि इस प्रकार समस्याओं का निदान हो जायेगा। देश और जनता की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाकर भी उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उन्होंने देश और समाज को कितना नुकसान पहुंचाया है। आजकल रेल रोको आंदोलन एक फैशन बन गया है। सडक़ जाम करने की प्रवृत्ति आम हो गई है। एक जरा सी बात पर सडक़ जाम कर दी जाती है। कोई यह सोचने को तैयार नहीं कि आम जन को इससे कितना कष्ट होता है।

इसमें संदेह नहीं कि हर राज्य की अपनी–अपनी समस्याएं होती हैं, परन्तु क्षेत्रीय दल इस बात पर विचार नहीं करते कि वह शांतिपूर्ण ढंग से भी समस्या को हल कर सकते हैं। शायद वह समझते हैं कि दल का अस्तित्व कायम रखने और जनता के बीच लोकप्रियता प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम हिंसक आंदोलन ही है।

भारत देश के प्रत्येक नागरिक को नौकरी और व्यापार का अधिकार कानूनी तौर पर प्राप्त है। वह भारत के किसी भी राज्य में नौकरी और व्यवसाय कर सकते हैं। ऐसो स्वतंत्रता का आदर करना चाहिए, जिसने एक साधारण व्यक्ति को इतना महत्व दिया। आज देश का शायद ही कोई शहर हो, जहां बंगाली, मद्रासी, मराठी रोजी–रोटी की तलाश में न जाते हों। परन्तु द्रविड़ मुनेत्र कड़घम और शिवसेना जैसे क्षेत्रीय दल इस सच्चाई को स्वीकार करने मे असमर्थ हैं. असम गण परिषद्, मिजो नेशनल फ्रंट, बोडो लैंड आदि क्षेत्रीय दलों ने अपनी मांगों के समर्थन में आज भी सकिय हैं. कुछ माह पूर्व असम में बोडो आंदोलनकारियों ने खून बहाकर यह सिद्ध कर दिया कि क्षेत्रीय समस्या को किस प्रकार हिंसात्मक रूप दिया जा सकता है।

राजनीतिक दल समस्या के समाधान से ज्यादा उसे उलझाने पर विश्वास रखते हैं। इस प्रकार उनकी राजनीति वर्षों तक एक ही मुद्दे पर चलती रहती है। हरियाणा और पंजाब की सीमाओं का मामला हो, या फिर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे की समस्या हो या तेलंगाना राज्य बनाये जाने की मांग हो या फिर गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा जल बंटवारे की समस्या, सारे विवाद धैर्य और समझदारी के साथ हल करने की जरूरत है।

[4] डॉ. रजनी तिवारी, भारत में दलीय व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र, पृष्ठ 91

नेतागण अपनी क्रोधित वाणी और हठधर्मी से विवाद को निरन्तर बढ़ावा देते रहते हैं। इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में ना समझ विद्वान सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कर्तव्यों से विमुख होकर बयान देकर रातों रात हीरो बन जाते हैं। दौलत और ख्याति की जरूरत ने इंसान को नैतिकता से दूर कर दिया है।

देश की सामाजिक और नैतिक गिरावट के लिए केवल क्षेत्रीय दल ही जिम्मदार नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रमुख तौर पर केन्द्रीय दल भी जिम्मेदार ठहराये जायेंगे। जो अपनी राजनीति को चमकाने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते। वर्ष 2011 का मानसून सत्र, संसद सदस्यों की हठधर्मी और हंगामे की भेंट चढ़ गया। कोई एक दिन भी संसद में काम नहीं हुआ। कर्मचारी यदि काम न करें तो उनका वेतन काट लिया जाता है, परन्तु हंगामा करने वाले संसद सदस्यों के भत्तों में कोई कटौती नहीं की जाती। आश्चर्य तो यह है कि देश की एकता और भाईचारा कायम रखने का आहवान करने वाले सांसद एक छत के नीचे रहकर भी आपस में ही लड़ते रहते हैं। उनको यह एहसास नहीं होता कि इसका देश की आम जनता पर क्या असर होगा। क्षेत्रीय दल भी केन्द्रीय दलों का अनुसरण करते हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

प्रश्न यह नहीं कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व होना चाहिए या नहीं? प्रश्न यह है कि राजनीतिक घृणा और हिंसा की राजनीति त्याग कर, नैतिकता के उच्च आदर्शों का पालन क्यों नहीं किया जाता? दंगा फसाद फैलाने और अमन व शांति की फिजा को खराब करने वाले राजनेताओं को कब तक राजनीतिक दलों का आश्रय मिलता रहेगा? एक आम आदमी के विरुद्ध कानून तुरंत गतिशील हो जाता है। क्या राजनेताओं का व्यक्तित्व कानून से ऊपर है?

क्षेत्रीय दल अपनी मांगों के लिए केन्द्रीय दलों से सहयोग लेते रहते हैं। इसी प्रकार केन्द्रीय दल भी सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन प्राप्त करते हैं। बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल, तेलगुदेशम, डीएमके, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस किसी न किसी स्तर पर केन्द्रीय राजनीति से जुड़ी हुई हैं। अतः क्षेत्रीय दल होते हुए भी यह पार्टियां केन्द्रीय विषयों में हस्तक्षेप करती रहती हैं। तृणमूल कांग्रेस का उदाहरण सामने है, जिसने रसोई गैस, डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर सरकार से अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस के सामने स्थायित्व का प्रश्न पैदा कर दिया था, परन्तु जनता दल के साथ बहुजन समाज पार्टी ने बाहर से समर्थन देकर सरकार को गिराने से बचा लिया।

देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए कानून का वर्चस्व जरूरी है। आम नागरिकों को कानून की महत्ता का ज्ञान होना भी जरूरी है। राजनेताओं को ज्ञान होना चाहिए कि राजनीतिक ताकत के द्वारा वह अपने गलत कार्यों को सही साबित नहीं कर सकते। वर्तमान समय में मीडिया सांप्रदायिकता और मनगढ़त कहानियों के माध्यम से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करता रहा है। राजनीतिक व्यक्ति मीडिया की आजादी के नाम पर अपनी संकीर्ण मानसिकता को समाज में फैलाने का कार्य भी करते हैं। इस पर रोक लगाना भी अति आवश्यक है। जब तक समाज को नैतिक स्तर पर मजबूत नहीं बनाया जाता तब तक राजनीतिक दल विशेष कर क्षेत्रीय दल एक समस्या के रूप में सामने आते रहेंगे। इस संबंध में डॉ. जे.पी. नेता, श्रीमती राजेश जैन, डॉ. हरिचन्द्र शर्मा के सुझावों से रोशनी प्राप्त की जा सकती है।

देश में क्षेत्रीयतावाद को रोकने की दिशा में उपाय सार्थक बन सकते हैं :

(1) सभी उप सांस्कृतिक क्षेत्रों में संतुलित आर्थिक विकास की प्रभावी नीति पर अमल किया जाये। (2) सभी क्षेत्रों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जायें, ताकि उनमें अनावश्यक ईर्ष्या और असंतोष न फैले। (3) यह सुनिश्चित किया जाये कि नियोजन का लाभ पिछड़े और गरीब तबके के साथ–साथ सामान्य जन को अधिकाधिक मिले और कुछ ही हाथों तथा कुछ ही क्षेत्रों में धन का संकेन्द्रन न हो। (4) भाषाई विवादों के समाधान हेतु सभी क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्रदान कर दी जाये। (5) हिन्दी भाषा प्रचार और विस्तार ऐसे किया जाये कि विभिन्न क्षेत्रीय समूह स्वतः ही इसे सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर लें। (6) केन्द्रीय मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्रों को संतुलित प्रतिनिधित्व हो, ताकि क्षेत्रीय पक्षपातपूर्ण नीतियों का खंडन हो सके। (7) अंतर्राज्य नदी विवादों को शीघ्र अतिशीघ्र हल किया जाये। राष्ट्र जल

नीति का निर्माण हो। (8) क्षेत्रीयवाद तथा सांप्रदायिकता से जुड़े राजनीतिक दलों का बहिष्कार किया जाये। (9) शिक्षा में भारतीयता का समावेश हो। (10) देश के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक आदान–प्रदान हो। (11) सभी को राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से सोचना के लिए मजबूर किया जाये।[5]

भारत में दिन–प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या और क्षेत्रवाद दो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। आबादी का असंतुलन क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे रहा है। कोई भी राजनीतिक दल की सरकार भारत के समस्त बेरोजगार युवाओं को नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने में असफल है, परन्तु भारत के सभी राज्यों की जनसंख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है, जिससे लोगों में यह धारणा प्रबल हो रही है कि नौकरी और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय राजनीति को प्रबल बनाना जरूरी है, ताकि स्थानीय राजनीतिक दल केन्द्रीय सरकर पर दबाव बनाकर उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर और सुविधाएं प्राप्त कर सकें। केन्द्र में किसी भी दल की सरकार हो सकती है, परन्तु उसे राष्ट्रीय हितों को सामने रखकर नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में क्षेत्रीय समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। भारत के कुछ राज्य अधिक पिछड़ेपन का शिकार हं। सरकार यदि उनकी ओर ध्यान देती है तो अन्य राज्यो के क्षेत्रीय दलों को यह अहसास होता है कि उनकी अनदेखी की जा रही है, जिससे समाज में अविश्वास और आकोश फैलता है और उस क्षेत्र की जनता में केन्द्रीय सरकार के प्रति निष्ठा में कमी आती है। क्षेत्रीय दल केवल अपने क्षत्री की समस्याओं की ओर ध्यान देते हैं, परन्तु वह इस सच्चाई को स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं कि किसी अन्य राज्य के लोग उनसे ज्यादा परेशान हाल हैं। उनकी जरूरतों को पूरा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

राज्य की जनसंख्या के अनुसार ही उस राज्य को राष्ट्रीय सरकार की ओर से सहायता दी जाती है, परन्तु रोजगार के अवसर सभी राज्यों के लिए एक समान होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि आम लोगों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर कैसे पैदा किया जाए? प्राकृतिक संपदा का उपयोग भी एक सीमा तक ही किया जा सकता है, परन्तु बढ़ती आबादी का दानव भी किसी भी योजना को असफल बनाने में सक्षम है। उद्योग स्थापित करने के लिए कच्चा माल भी जरूरी है। यदि किसी अन्य राज्य से लोहा, कोयला, बिजली आदि की किसी अन्य राज्य को निर्यात किया जाये तो उत्पादन मूल्य में बढ़ोत्तरी बढ़ जाती है, जिसस व्यापारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्षेत्रीय दल उपरोक्त विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं, वह केवल अपना जनाधार बनाये रखना चाहते हैं।

एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि क्षेत्रीय दल राज्य सत्ता प्राप्त करने के पश्चात, प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त बनाने की अपेक्षा केवल अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की आर्थिक सहायता की ओर ध्यान देते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता शीघ्रातिशीघ्र धन अर्जित करने में सफल हो जाते हैं। जिससे भ्रष्टाचार को आश्रय मिलता है और वास्तविक समस्याएं अपने मूल रूप में ज्यों की त्यों बनी रहती हैं।

किसी भी प्रकार का विकास चाहे वह क्षेत्रीय हो अथवा राष्ट्रीय आधार पर किया जाये, दोनों के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक समन्वय अत्यंत आवश्यक है। यदि राजनीतिक कार्यकर्ता अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक नहीं हैं तो विकास का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। क्षेत्रीय दल हों अथवा केन्द्रीय राजनीतिक दल दोनों को राजनीतिक स्वार्थ अथवा कार्यकर्ताओं के निजी स्वार्थ को त्याग कर विधि द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। राजनीति को व्यवसाय के रूप में परिणित करने का परिणाम यह हुआ है कि आज क्षेत्रीय दलों की बाढ़ सी आ गई है और वह दलगत स्वार्थ की राजनीति के माध्यम से आम जनता और देश की वास्तविक समस्याओं के प्रति उदासीनता प्रकट करते है, जिसने देश के विकास का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। इस समस्या को समाप्त करने के लिए केवल कानूनी व्यवस्था ही काफी नहीं है, बल्कि लोगों का नैतिक और चारित्रिक विकास का होना भी जरूरी है, क्योंकि दौलत और सत्ता की लालसा इंसान को गलत कार्यों की ओर प्रेरित करती है।

---
[5] डॉ. जे.पी. नेमा, डॉ. श्रीमती राजेश जैन, डॉ. हरीशचन्द्र शर्मा भारत में राज्यों की राजनीति पृष्ठ 354

क्षेत्रीय दलों के विकास में संप्रदायों की बढ़ती जनसंख्या ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विभिन्न संप्रदायों के व्यक्ति अपनी ही जाति के लोगों को महत्व देकर विधानसभा और संसद में पहुंचाने की इच्छा रखते है, जिससे योग व्यक्तियों का राजनीति में प्रवेश करना कठिन हो जाता है और अयोगय व्यक्तियों की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। क्षेत्रीयता के कारण जातिवाद और सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य को प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

संदर्भ :

[1] डॉ (श्रीमती) रजनी जैन, डालचंद जैन, भारतीय राजनीति के नये आयाम पृष्ठ 181.182
[2] नंदलाल राजनीत विज्ञान पृष्ठ 535
[3] डॉ. वीरकेश्वर प्रसाद सिंह भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाए पृष्ठ 299.300
[4] डॉ. रजनी तिवारी, भारत में दलीय व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र, पृष्ठ 91
[5] डॉ. जे.पी. नेमा, डॉ. श्रीमती राजेश जैन, डॉ. हरीशचन्द्र शर्मा भारत में राज्यों की राजनीति पृष्ठ 354

रघुवंश महाकाव्य में राजधर्म

डॉ. कोमल प्रसाद झारिया
एम.ए.,एम.फिल., पी.एच.डी. (संस्कृत साहित्य) जबलपुर (म0प्र0)

भूमिका :-'रघुवंशम् महाकाव्य राजधर्म का दर्पण हैं, 'विश्वशांन्ति का संदेश है' यह अतिशयोक्ति नहीं है। रघुवंश कार महाकवि कालिदास राजधर्म के व्यापक आदर्श की प्रतिष्ठा के प्रयास से अनुप्रमाणित होकर इक्ष्वाकु–वंशी भूपालों की महीमसी परम्परा की गौरव पूर्ण पूर्व कवियों की वर्णन प्रतिभा से अभिभूत है। रघुवंशी सम्राटों की प्रशस्ति का गान परम गम्भीर उत्तरदायित्व है, या रघुवंषियों को जानना साधारण दृष्टि व्यापार का काम नहीं है। अतः रघुवंश महाकाव्य में राजधर्म विषय वस्तु पर षोध पत्रिका सम्पादन हेतु यही कहूँगा कि दृ

''क्व सूर्य प्रभावों वंषः चाल्पविशया मतिः।

तितीर्शुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्।।

''रघुवंषम् महाकाव्य. 1–2 ।।

शोध पत्र : भारतिय चिन्तन धारा में राजा–प्रजा का सम्बन्ध राज्यहित रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ सास्ंकृतिक एकता की अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती रही है। प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास में अनेक राज्य तथा राज्याधिकारों के वर्णन के साथ स्थापना का सार्वकालिक विवेचना एवं दिग्दर्शन प्राप्त होता है। राष्ट्र की अभिवृद्धि के लिए राजा तथा राज्य सहायकों के मन्त्र, भाव, चित्त, प्रयत्न और हृदय समान होना चाहिए। ऋशि की कामना है–

''समानो मन्त्रः समितिः समानी स्मानं मनः सहचित्तमेशां।

समानं मन्त्रमभिन्त्रये वः स्मानेन वो हविशा जुहोमि।।

स्मानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।

स्मानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ।।''

ऋक् – 10/191/3–4 ।।

इस समानता के मूल में है– सार्वभौम धर्म। धर्म जीवन में परिव्याप्त है। अथर्ववेद में धर्म को राष्ट्र का बल माना गया है और उसे ईष्वर रूप में देखा गया है–''ऋतुं सत्यं तपो राश्ट्रं श्रमो धर्मष्च कर्म च।

भूतं भविष्यदुच्छिश्टे वीर्यं लक्ष्मीर्बलं बले।।'' अथर्ववेद.–11/7/17।।

हमारे आर्श महाकाव्य में भी लोक कल्याण को स्वर्ग से ऊँचा स्थान प्राप्त है। राज्यलोलुपता सच्चे धर्मवीरों के लिए मन से भी सोचने की वस्तु नहीं है। अतः रामदर्शनाभिलाशी भरत का अभिप्राय जानकर निशादराज कहते हैं –

धन्यस्तवं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले।

प्रयलादागतं राज्यं यस्तवंत्यक्तुमिहेच्छसि।। रामायण – 2/85/12।।

इसीलिए भगवान् श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं–''यद्यदाचरति श्रेश्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।

स यत्प्रमाणं कुरूते लोकस्तदनुवर्तते।।'' श्रीमद्भागवत् गीता –3/21।।

अतः तत्वज्ञान कृश्ण से सूर्य, सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु तथा इक्ष्वाकु से समस्त राजर्शियों ने पाया। विशुद्ध राजवंष में उत्पन्न होकर रघुवंशियों ने राजधर्म का मार्ग प्रशस्त किया है। वर्तमान समय में हो रहे राजनैतिक उलट–फेर को सार्वजनिक, सार्वकालिक तथा सार्वभौमिक हित की ओर प्रेरित करना समय के साथ अश्वमेघ यज्ञों की परम्परा में विषाल भारत भूमि में समान राजधर्म की प्रतिष्ठापना भी व्यंजित होती है। भारतीय साहित्य में धर्म राज्य की माँग है। रघुवंशम् का इतिवृत्त राजा, प्रजा तथा राज्य के शिव स्वरूप का परिचायक है। राजनेताओं का ध्येय जन–गण–मनाभिराम हेतु प्रकृति रंजनात्मक हो तो भारतीय गणतन्त्र उत्तरोत्तर उज्ज्वल स्वरूप प्राप्त करता जाएगा। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' राजनैतिक विचार धारा का विनम्र पुनरोद्घाटन इस शोध पत्रिका सम्पादन का प्रतिपाद्य विषय हैं।

उन्नीस सग्रों में आबद्ध रघुवंशम् में सर्वत्र राजधर्म की व्याख्या अनुप्रमाणित है। प्रथम सर्ग में पृथ्वी पति दिलीप का मंत्रियों के लिए राज्य व्यवस्था की देखरेख का भार सौंपना मंत्रियों के महत्व का प्रतिपादक है। द्वितीय सर्ग के अन्तिम श्लोक में सर्गोपसंहार सार में राजा–प्रजा संबन्ध सहित राज्य धारण वा स्वस्थ परम्परा का निर्वाह है–

''पुरन्दरश्रीः परमुत्पताकं प्रविष्य पौरैरभिनन्घमानः।

भुजे भुजड्गेन्द्रसमानसारे भूयः स भूमेर्धुरमाससञ्ज।।'' रघुवंश महा. –2/74।।

तृतिय सर्ग में राजा प्रशासन तथा अष्वमेघ यज्ञ का वर्णन है।

चतुर्थ सर्ग में दिग्विजयोपरान्त अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन साम्राज्य निर्माण का विस्तृत मंच है। पञ्चम सर्ग में दानी रघु के महादान तथा कुमार अज का विदर्भगमन वर्णित है। षष्ठ सर्ग में भेद–विग्रह के लिए विपक्षियों की तैयारीं का विवेचन एवं विभिन्न राज्याधिकारियों की राज्य व्यवस्था का परिचायक भी है। सप्तम् सर्ग में भेद–विग्रह नीति का अज द्वारा समुचित उत्तर वर्णित है। अष्टम् सर्ग में दशरथ जन्म तथा सुशासन के लिए प्रियाशोक के शामन की आवश्यकता का वर्णन किया गया है। नवम् सर्ग में प्रचण्ड शासक दषरथ के मृगया कर्म का वर्णन है। दसवें सर्ग में देवताओं तथा पृथ्वी के हितकारी विष्णु का अंशों सहित अवतार से राजा दशरथ सुशोभित होते हैं–

''सुरगज इव दन्तैर्भग्नदैत्यासिधारैर्नय इव पणबन्धव्यक्तयोगैरूपायैः।

हरिरिव युगदीर्घैर्दोर्भिरंषैस्तदीयेः पतिरवनिपतीनां तैश्र्चकाषे चतुर्भिः।।''रघु.10/86।।

ग्यारहवाँ सर्ग में विश्वामित्र के साथ राम को भेजने से दशरथ जनकराज के सम्बन्धी बनकर अयोध्या को प्रसन्न करते हैं। बारहवाँ सर्ग में श्रीराम द्वारा वन राज्य में शांति स्थापना तथा (सुग्रीव–विभीषण) दो मित्र राजाओं की स्थापना सहित अयोध्या के लिए प्रस्थान वर्णन है। तेरहवें सर्ग में दक्षिणी राज्य–प्रान्त भागों की कुशलता का विमान–यात्रा पूर्ण वर्णन है। चौदहवें सर्ग में राम राज्यारोहण, सुषासन तथा प्रजा के हितमन्तव्य (अपवाद) की अनुगति में सीता परित्याग का वर्णन किया गया है। पन्द्रहवाँ सर्ग पृथ्वी में शांति स्थापना रूप प्रयोजन सिद्धि के उपरान्त विश्णु का लोकाश्रय रूप स्वरूप प्रवश वर्णित है। सोलहवाँ सर्ग कुष द्वारा अयोध्या का पुनरूद्वार तथा दो भिन्न कुलों के लोक रंजक सम्बन्ध का स्थापक है। सत्रहवें सर्ग में नाग कन्या कुमुद्यती से उत्पन्न कुश नन्दन अतिथि के राज्य संचालन का राजनैतिक परिचित्रण किया गया है। अठारहवें सर्ग में निषध, जल, नभ, पुण्डरीक, क्षेमधन्वा, देवानीक, अहीनगु, पारिमात्र, शिव, उन्नाभ, वज्रणाम, षड्खण, व्यशिताश्र्व, किश्र्वमह, हिरण्यनाभ, कौसल्य, ब्रम्हिष्ठ, पुत्र, पुश्य, ध्रुवसंधि तथा सुदर्शन की सुराज व्यवस्था का वर्णन है। उन्नीसवाँ सर्ग में अग्नि वर्णन का मानसिक–शारीरिक दोश जन्य महारोग से अंत तथा मंत्रियों द्वारा ही राज्य व्यवस्था में सहयोग पूर्वक गुप्त मंत्रणा युक्त वर्णन किया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण रघुवंशम् राजधर्म के महानायकों का समग धरातल मंत्र में किया गया उपदेशकारी मंचन है।

राजा, धर्म तथा राजधर्म की राष्ट्रहित में समर्पित राजनीति का हमारे राष्ट्र के मनीशियों द्वारा उद्गामन किया जाता रहा है। मनुश्यों में राजा प्रधान होता हैं। इस संसार में राजा के नहीं होने पर बलवानों के भय से लोग इधर–उधर भागने लगते हैं। इसी कारण ईश्वर द्वारा राजा की सृष्टि की गई–

''अराज के हिलोकेअस्मिन् सर्वगे विद्रुते भयात्।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्प्रभुः।।'' मनुस्मृति–7/3।।

अतः ब्रम्हा, विष्णु, महादेव, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरूण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चन्द्रमा तथा इनक अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा करने में समर्थ हैं वे सभी राजा के षरीर में निवास करते हैं। पृथ्वी पतियों में अद्यावतरित मनु कहते हैं –

''यस्मादेशां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः।

तस्मादभिवत्येश सर्वभूतानि तेजसा।।''

महा. शांति.–7/13/21–22।।

इस प्रकार राजा अपने पराकम से सभी प्राणियों पर शासन करने वाला होता है। अतः महाराज प्रभु को भूमि का पिता कहा गया है। तभी तो

उस सर्वभूत धारिणी को ''पृथिवी'' नाम मिला। प्रजापति मनु ने राजा के सात गुण बताये हैं उन्हीं के अनुसार उसे माता–पिता, गुरू, रक्षक, अग्नि, कुबेर, और यम की उपमा दी है। अतः राजा के लिए आवष्यक है कि–
''गृध्रदृष्टि बकालीनः श्रवचेष्टः सिंहविकमः।

अनुद्विग्नः काकषक्डी. भुजड्.ग चरित चरेत्।। महा. शांति.–114/103।।

'धर्म' शब्द 'धृ' धातु से बना है जिसका अर्थ है–धारण करना जो तत्व समग्र विश्व के जीवन का धारक है, जिसके बिना लोक स्थिति असंभव हो जिससे सब कुछ संयमित सुव्यवस्थित एवं सुसंचालित हो वह धर्म है। महाभारत में है–

''धारणाद् धर्म मित्याहुधर्मो धारमति प्रजा।

यत्स्याद् धारणसयुक्तं स धर्म इति कथ्यते।।'' महाभारत।।

धर्म के व्यवहारिक लक्षण–''धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः।

धीर्विध्न सत्यमकोधो दशकं धर्म लक्षणं।।'' मनुस्मृति–6/98।।

अतः धर्म सार्वभौम वस्तु है। धर्म भूमि है जिस पर नाना पथ हैं। मार्ग बनते–मिटते रहते हैं। भूमि के बनने या नष्ट होने का अर्थ है प्रलय। धारण करने वाले का नाम धर्म है। धर्म नित्य है, सत्य है, धर्म सनातन है, धर्म ही जीवन की गति है, इसके बिना यह निष्प्राण है, निरर्थक है। जितने जीवन सम्बंधी गुण सांसारिक स्वरूपों से संबन्ध रखते हैं, धर्म के दिव्यसूत्र से संयुक्त हैं। इसी तारतम्य में अथवा अधिपूरक रूप में पृथ्वीसूक्त का वचन है–

''सत्यं बृह्दतमुग्रं दीक्षातपों ब्रम्हयज्ञः पृथ्वि धारयन्ति।

सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरूंलोक पृथिवी न कृणोतु।।'' अथर्ववेद–12/1/1।।

राजाओं से राजधर्म के द्वारा पुत्र की भाँति पालित होने वाले भारत के सम्पूर्ण प्राणी निर्भय विचरते हैं, इसमें संषय नहीं है। सब धर्मो को सभी अवस्थाओ में राजधर्म के भीतर ही समाविष्ट हुआ समझो। भीष्म कहते हैं–

''सर्वे धर्मा राज्य धर्म प्रधानाः सर्वे वर्णाः पाल्यमाना भवन्ति।

सर्वस्त्यागो राजधर्मेशु राजंस्त्यागं धर्म चाहुरग्र्यं पुराणम्।।

सर्वे त्यागा राजधर्मेशु दृष्टाः सर्वा दीक्षा राजधर्मेशु चोक्ताः।

सर्वा विद्या राजधर्मेशु युक्ताः सर्वेलोका राजधर्मे प्रविष्टाः।।'' महा.षा. 63/27, 29।।

मान्धाता से इन्द्र कहत हैं– राजन् आदिदेव भगवान् विष्णु में तो पहले राजधर्म ही प्रकट हुआ है। अन्य सभी धर्म उसी के अंग हैं और उसके बाद प्रकट हुए हैं। राजधर्म एक नौका के समान है। वह नौका धर्म रूपी समुद्र में स्थित है। सत्वगुण ही उस नौका का संचालन करने वाला बल (कर्णधार) है, धर्मशास्त्र ही उसे बाँधने वाली रस्सी है, त्याग रूपी वायु का सहारा पाकर वह मार्ग पर शीघ्रता पूर्वक चलती है, वह नाव ही राजा को संसार समुद्र से पार कर देगी–

''धर्मे स्थिता सत्ववीर्या धर्म सेतुवटारका।

त्यागवाताध्वजा शीघ्रा नौस्तंसंतारयिश्यति।।''

महा.शा.–66/37।।

अतः महाकवि कालिदास कृत काव्य कर्म के फलोदय की आवश्यकता आ पड़ी है वर्तमान की राजनैतिक गतिविधियों मे संलग्न राजनेताओं द्वारा रघुवंशम् के आदर्षो पर व्यवहारवाही आचार आत्मसात करना परमापेक्षित है। रघुवंशम् में वर्णित रामधर्म 'विश्वशांति' का संदेश है। प्रजा हितैशी राज्य व्यवस्था की स्थापना का द्योतक है। वर्तमान में साम्राज्यवाद का समापन कर संयुक्त राश्ट्र जैसे महासंघ द्वारा विश्वशान्ति का जो उपाय अपनाया गया ह उसको मैत्रीपूर्ण सम्बंधों द्वारा शक्ति सञ्चय कर राजनैतिक अशांति के कारणों तथा तदर्प उत्तरदायी देशों के राजनायिकों वा अपराधियों को स्वस्थ राजधर्मानुयायो बनाने का उपाय ज्ञान हेतु रघुवंशम् राष्ट्र सीमातीत परिधि में पठनीय, अध्ययनीय, अध्यायनीय, अनुशीलनीय तथा आचरणीय है। प्रजा के लिए विनय, रक्षा एवं भरण–पोषण के लिए प्रजातन्त्र वाले देशों में वागडोर जनता के हाथों में है। जल–थल–नभ से जीवन सुखमय बनाने वाले साधनों की उपलब्धि

के लिए वैज्ञानिक चमत्कार दिनानुदिन प्रयत्नशील तथा प्रगतिशील हैं। अनेकशः जनकल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रहीं हैं। इन सभी प्रत्यक्ष–परोक्ष व्यक्ति तथा समाजगत नीतियों से भृष्टाचार की चादर हटाना प्रजातन्त्र में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ''मा विद्विशामहे'' की भावना आर्थिक सामाजिक समानता की आधारशिला है। अतः सह नौ अपितु प्रणाली से राष्ट्रीय उत्थान के लिए अग्रसर होने हतु रघुकार व्यक्त राजधर्म का परिशीलन सबल राष्ट्रहितकारी साधन है। इस प्रकार रघुवंशम् में विश्व–शांति, जन कल्याणकारी, कार्य, स्वस्थ एवं जनसेवी संसद व्यवस्था, कर्त्तव्योन्मुखी नागरिक निर्माण, सुराज नीति, त्यागी भावना से अनुप्रणोत राज नेता सीमोल्लंघन रहित राष्ट्र की भौगोलिक व्यवस्था, बेरोजगारी निवारक योजना, नारी शक्ति की पहचान सत्यपरामर्श, पर्यावरणिक चेतना, स्वतंत्रता, पारिस्थितिक संतुलन, धन संग्रह का महत्व व उद्देश्य, सेना व्यवस्था का सुरक्षाकारी स्वरूप, न्याय का मोह रहित पालन इत्यादि सामयिक प्रसंग के विश्वकल्याणकारी स्वरूप का वर्णन किया गया है।

संदर्भ–ग्रंथ :

1. रघुवंशम् महाकाव्य, महाकवि कालिदास, गीता प्रेस गोरखपुर
2. ऋग्वेद, डॉ. हरिदत्त शास्त्री, गीता प्रेस गोरखपुर
3. अथर्ववेद, पं. विश्वनाथ शास्त्री, गीता प्रेस गोरखपुर
4. वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि, गीता प्रेस गोरखपुर
5. श्रीमद्भागवत गीता, व्यास, गीता प्रेस गोरखपुर
6. मनु स्मृति, आचार्य मनु, चौखम्बाविद्या भवन वाराणसी,
7. महाभारत शान्ति पर्व, श्री पाद दामोदर सातवलेंकर, गीताप्रेस गोरखपुर
8. श्री विष्णु पुराण , श्री मुनी लाल गुप्त, गीताप्रेस गोरखपुर

सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में कबीर के योग– चिंतन की सहभागिता

डॉ. मनीष कुमार झारिया
डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, (म.प्र.)

व्यक्ति समाज की इकाई है और समाज उसका समष्टि रूप। वह समाज में ही रहकर मूल्यों की पहिचान करता है तथा जीवन के विभिन्न तौर–तरीकों को सीखता है। इसलिए व्यक्ति के द्वारा समाज की और समाज के द्वारा व्यक्ति की पहिचान होती है। यदि व्यक्ति समाज का अंग है तो उसे सामाजिक मूल्यों से अलक भी नहीं किया जा सकता। किन्तु आज स्थिति यह है कि व्यक्ति समाज से केवल अपनी ही हित साधना की पूर्ति करना चाहता है, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व की ओर उसका कोई ध्यान नहीं जाता। जबकि सामाजिक दायित्वों को पूरा किये बिना आत्महित की पूर्ति कभी सार्थक नहीं हो सकती। दीर्घकालीन शान्ति एवं संतुष्टि प्रदान करने वाले आत्महित की सिद्धि प्राप्त करने के लिए सामाजिक मूल्यों का अभ्युत्थान आवश्यक है। सच्चा आत्महित वही है, जिसमें दूसरों की हित–साधना भी निहित हो तथा बिना किसी भेदभाव के मानवीय सौहाद्रता की दृष्टि हो।

कबीर में विभिन्न सामाजिक कुरीतियों एवं बुराइयों का विरोध करते हुए मानव जीवन के धरातल पर समता एवं सौहार्द्रता की पवित्र भागीरथी प्रवाहित करके लोक–जीवन की समस्त कल्पमषताओं का प्रक्षालन किया। उनके योग–चिंतन के परिप्रेक्ष्य में आज की सामाजिक विसंगतियों पर विचार करते हुए ऊँच–नीच, जाति–पाँति, छुआ–छूत एवं सांप्रदायिक मतभेदों को दूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि सभी मनुष्य एक ही वीर्य से उत्पन्न हुए है। सब समान रूप से मल मूत्र का त्याग करते हैं। सबकी एक ही त्वचा है तथा सभी एक ही ज्योति स्वरूप ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं तो फिर ब्राह्मण और शूद्र का अंतर कैसा?[1] मानव की यह भेद दृष्टि सामाजिक मूल्यों का हनन करती है, जिसके कारण मानवीय संबंधों का समुचित विकास नहीं हो पाता। परब्रह्म एक ही निर्माणकारी उपादान तत्वों को ग्रहण करके सारी सृष्टि की रचना करता है तथा वही एकमात्र सबमें सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है।[2] यदि ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व की उच्चता का दंभ है, तो उसने अन्य प्राणियों के समान ही मातृ–गर्भ से क्यों जन्म लिया, अन्य मार्ग से वह क्यों नहीं आया? अगर तुर्क को अपने तुर्क होने की श्रेष्ठता का गर्व है, तो वह मातृ–गर्भ के अंदर से ही खतना कराकर क्यों नहीं पैदा हुआ?[3] अतः जन्म के आधार पर ऊँच–नीच का अंतर पूर्णतया निराधार है। यदि ऊँचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊँचे हो जाये तो फिर जीवन में कर्म की प्रधानता को क्यों महत्व दिया जाता ? व्यक्ति अपने सत्कर्मों से ही श्रेष्ठ और महान बनता है, उच्च कुल मं जन्म लेने से नहीं।[4]

कबीर का मानना है कि धन–वैभव के प्रभुत्व और ऐश्वर्य–भोग की सीमा का लंघन होने पर भी समाज में वर्ग–भेद उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में एक वर्ग सुखी और सम्पन्न रहता है तो दूसरा वर्ग दुःखी और विपन्न। सुख–वैभव से सम्पन्न व्यक्ति दूसरों के प्रति सद्व्यवहार करके उन्हें पीड़ा देते हैं। समाज का यह वर्ग वैषम्य सामाजिक मूल्यों के विकास में बाधक है। कबीर का कहना है कि लोग धन के अंहकार में आकंठ डूब जाने पर भगवान को भी भूल जाते हैं तथा नंगा होकर नाचने भी लगते हैं। मरणोपरांत आत्मा के साथ कुछ भी नहीं जाता। सब कुछ यही का यही धरा रह जाता है।[5] धन–सम्पदा सब कुछ नश्वर है। धनी और निर्धन सभी एक परम पिता की संतान होने के कारण मूलतः भाई–भाई ही है। यह ईश्वर की लीला है कि कोई धनी है तो कोई निर्धन। इस बात पर कोई भरोसा नहीं कि जो आज धनी है वह कल भी धनी रहेगा। निर्धन तो वह है, जिसके हृदय में राम की भक्ति नहीं है।[6] अतः प्रत्येक मानव को निष्काम एवं निर्लोभ पूर्वक जीवन बिताते हुए सबके साथ सहानुभूति और सद्भावना का बर्ताव करना चाहिए। कबीर ने अपने काव्य में पारिवारिक संबंधां का निरूपण करते हुए सामाजिक मूल्यों के निर्माण का आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होंने आत्मत्व के भावनात्मक वर्णन के द्वारा एक पतिव्रता सुहागिन नारी का जो सच्चा रूप प्रस्तुत

किया है, वह सामाजिक मूल्यों के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है।

'' जो पै पतिव्रता ह्वे नारी, कैसे ही रहो सो पियहिं पियारी।

तन मन जीवन सौंपि सरीरा, ताहि सुहागिन कहै कबीरा।।

कबीर ने एक माता की अपने पुत्र के प्रति प्रवाढ़ क्षमता और क्षमाभाव को प्रदर्शित करके उसके निःस्वार्थ चरित्र की उज्जवल झाँकी भी प्रस्तुत की है। पुत्र कितने भी अपराध क्यों न करता रहे, किन्तु माँ उन्हें स्मरण नहीं रखती । यहाँ तक कि वह उसके केश–कर्षण और पादाघात को भी क्षमाभाव से सहन करके उसे अपनी ममता और स्नेह की शीतल छाँव प्रदान करती है–

''सुत अपराध करै दिनकेते, जननी के चित रहै न तेते।

कर गहि केस करै जो घाता, तऊ न हेत उतारै माता।।''[7]

इस प्रकार सामाजिक मूल्यों पर आधारित एवं समस्त भेदभावों से रहित स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए कबीर के योग–चिंतन का अनुसरण नितांत आवश्यक है। इस प्रकार के वाद–प्रतिवाद से ऊपर उठकर प्राणिमात्र के प्रति करूणा, सौहार्द्रता और समरसता का भाव रखते हुए जो कार्य करता है, वही अपने जीवन में सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा कर सकता है। ऐसे ही कर्मशील ज्ञानी साधक को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है।[8] वह उस परब्रह्य के दिव्य दर्शन पाकर धन्य हो जाता है तथा उसके द्वारा निर्मित समाज चंद ही दिनों में समस्त सफलताओं के उच्चतम शिखरों को छूने लगता है।

संदर्भ–

1. ''एक बूंद एकै मूल मूतर, एक चाम एक गूदा। एक जोति थै सब उतपनां, कौन बांम्हन कौन सूदा।। '' क.ग. (सटीक)', पृ. 323
2. ''एकै पवन एक ही पानी, एक जोति संसारा। एक ही खाक घड़े सब भांडे, एक ही सिरजनहारा। जैसे बाढ़ो काष्ट की काटै, अगिनि न काटै कोई। सब घटित अंतरित तू ही व्यापक, घरै सरूपै सोई।। '' 'क.ग्र.', पृ–322
3. ''ऊँचे कुल क्या जनमियां, जे करणी ऊंच न होई। सोवल सकल सुरै भर्या, साधु निद्यां सोइ। '' 'वही', पृ.–196
4. ''धन के गरब राम नहीं जाना, नांगा ह्वै जंम्ळा पै गुदराना। कहु कबीर चेतहु रे भाई, हंस गया कछु संगि न जाई।। ''– 'वहीं', पृ.120
5. ''निर्धन सरधन दोनों भाई। प्रभु की कला न मेटी जाई।। कहि कबीर निर्धन है सोई। जाकै हिरदै राम न होई।। '' 'वही', – पृ. 302
6. ''क.ग्र. (सटीक)'', पृ.367
7. ''क.ग्र. (सटीक)'', पृ.353

आजादी की लड़ाई में मध्यप्रांत के प्रमुख आदिवासी जननायक

निकिता सिंह
सीकर (राजस्थान)

प्रस्तावना : स्वतंत्रता के लिए मध्य प्रान्त की जनजातियों द्वारा संचालित संघर्ष अपनी तरह का एक अनूठा संघर्ष था जो कि आंदोलनकर्ताओं के बलिदानों की प्रेरक गाथाओं, देश भक्ति की पावन परंपराओं, साहस ओर त्याग की अनेकों उपलब्धियों से परिपूर्ण था। किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप या अपने अनुसार जीवन जीने के लिए बाध्य करना आंदोलन का कारण होता है।

मध्यप्रांत का गढ़ामंडला राज्य जो कई वर्षों पहले से अपने राज्य की सुरक्षा करने वाले वीरों के कारण इतिहास में जाना जाता है, यहाँ का राजा संग्राम सिंह गौड था, शंकर शाह इसी यशस्वी और प्रतापी गौड राजघराने का वंशज था। इसके पुरखों ने इसी अंचल (गोंडवाना) में लगभग डेढ़ हजार साल तक शासन किया था।[1]

भारत में अंग्रेज अपनी जड़े मजबूत करने में लगे थे, वे किसी राज्य को हड़पने के लिए कोई भी कदम उठा सकते थे। उनके अधिकारी कर्मचारी जनता पर अत्याचार करते उनके साथ दुर्व्यवहार करते, इन्हीं के परिणाम स्वरूप 1857 ई. का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सामने आया, जिसकी क्रांति की ज्वाला में पूरा देश झुलस गया। आजादी के दीवाने शहर गाँव फौजी छावनी और खलिहानों से अंग्रेजी साम्राज्यवाद का खात्मा करने के लिए उठ खड़े हुए। नर्मदा घाटी पूरी तरह से इस आग की लपेट में थी।

अतः जबलपुर क्षेत्र में विद्रोह का झंडा उठाया गढ़ामंडला राज्य के अंतिम चिराग और वीरांगना रानी दुर्गावती के वंशज, गोंड राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह ने। समूचे उत्तर भारत में विद्रोह की चिनगारी, रोटी और कमल के माध्यम से, एक छावनी से दूसरी छावनी और एक शहर से दूसरे शहर तक फैलती जा रही थी तभी जबलपुर की 52वीं रेजीमेंट के भारतीय सिपाहियों की भी हलचल शुरू हुई।

सर ग्राण्ट के अनुसार सर स्लीमन को गौंड राजवंशावली उस वाजपेयी परिवार द्वारा मिली जो परंपरागत तौर पर सदियों से गोंडवाना के गौड शासकों के यहाँ प्रधानमंत्री होते आये थे। गौड़ राजाओं द्वारा यहाँ 1423 वर्षो तक राज्य किया गया।[2]

1857 ई. की क्रांति के समय राजा शंकर शाह पेंशनर था, उसके पास तीन गाँवों की जागीर थी वह जबलपुर के पास पुरवा में ही रहता था, जबलपुर की 52वीं रेजीमेंट के ही कई सिपाही उसक घर पर उससे मिलने के लिए जाया करते थे।[3]

मई सन् 1857 ई. में क्रांति का शंखनाद हुआ, उसकी आग महाकौशल, बुंदेलखण्ड में भी फैल चुकी थी। जबलपुर गजेटियर के अनुसार अगस्त में जबलपुर में अशांति बढ़ती जा रही थी। वहाँ पर यूरोपीय तोपचियों के साथ चलनशील टुकड़ी के आने पर वहाँ के कुछ सैनिकों ने इसका विरोध भी किया, सितम्बर माह के प्रारंभ में ही इस बात के प्रमाण आ गये थे, कि कुछ सैनिकों और ठाकुर विद्रोहात्मक कार्यवाही की योजनाएँ बना रहे है, उनमें अंतिम गौड़ राजा शांकरशाह भी जो अब अपने राज्य व अधिकारों से वंचित हो चुका है लेकिन उसे आज भी राजवंश की प्रतिष्ठा व नेतृत्व प्राप्त है।[4]

14 सितम्बर 1858 ई. को लेफ्टिनेंट क्लार्क ने लेफ्टिनेंट बालबिन से मिलकर 20 घुड़सवारों की एक पार्टी तथा 20 सवार अपने साथ लिए और राजा शंकर शाह के भवन की ओर चल पड़े वहाँ पहुँच भवन को घेर लिया।[5] उस समय वहाँ शंकर शाह उनका पुत्र रघुनाथ शाह के अलावा 13 साथी ओर भी थे लेफ्टिनेंट ने सबको गिरफ्तार कर जेल में डाल लिया।

शंकर शाह के मकान की तलाशी ली गई, तलाशी में कई दस्तावेज पाये गये। उनमें से प्रमुख कागज का टुकड़ा था, जिसमें राजा ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने तथा अपने राज्य को वापिस स्थापित करने के लिए अपने अराध्य

देवता से सहायता करने की प्रार्थना की थी, वह इस प्रकार थी –

मूँद मुख डंडिन को चुगलन को चबाई खाई

खूंद दौड़ दुष्टन को शत्रुन संहारिका।[6]

अस्काईन ने उस कविता का अनुवाद अंग्रेजी में कराया, 52वीं रेजीमेंट के सिपाहियों ने गिरफ्तारी के अगले दिन कैद बंदियों को छुड़ाने का प्रयत्न किया, इस प्रक्रिया में गोलियाँ चलाई गई तथा एक मकान को आग लगा दी गई। अतः अधिकारियों ने इनके प्रयासों को असफल करने के लिए अनेकों उपाय किये, उन सिपाहियों पर मुकदमा चलाया गया जिन्होंने कंपनी राज के खिलाफ षड़यंत्र किया था। इसकी जाँच के लिए एक आयोग गठित किया गया जिसमें एक डिप्टी कमिश्नर और ब्रिटिश अधिकारी शामिल थे तथा इन कैदियों को राजद्रोही ठहराया गया, शंकर शाह तथा पुत्र रघुनाथ शाह को 18 सितम्बर 1857 ई. को तोप से उड़ा दिया गया।[7]

सुधीर सक्सेना जी ने अपनी पुस्तक 'मध्यप्रदेश में आजादी की लड़ाई और आदिवासी' में लिखा है – 'हिम सदृश श्वेत बालो वाले वृद्ध पुरूष ने अंत समय तक अपने गौरव को आँच नहीं आने दी। ये सारी कार्यवाही सार्वजनिक रूप से की गई, जिसमें और कई लोगों को यह दृश्य देखने के लिए बुलाया गया था। रानी ने इनके अधजले अवशेषों को एकत्रित करवाया एवं यूरोपीय अधिकारियों ने अपने तृप्त प्रतिशोध की मुस्कुराहट के साथ यह सारा दृश्य देखा।[8]

मध्यप्रांत में जनजातियाँ शुरू से ही शोषण के खिलाफ विद्रोह करती आ रही है। 1857 ई. की क्रांति के बाद मध्यप्रांत के छोटा नागपुर में बिरसा मुण्डा विद्रोह महत्वपूर्ण है। तथाकथित सभ्य परदेशी से आदिवासी जब–जब मिला हर बार उसका शोषण ही हुआ है, सामंत, राजा, जमींदार, जागीदार, छोटे–मोटे अधिकारी, व्यवसायी, व्यापारी, साहूकार अथवा राजनेता इन सभी ने जनजातियों को धुन के समान धीरे–धीरे खोखला कर दिया, जनजातियों की शोषित परिस्थितियों ने ही अपने इनको इन शोषणों के खिलाफ शास्त्र उठाने के लिए मजबूर किया।

बिरसा मुण्डा विद्रोह 1899 – 1900 ई.

बिरसा मुण्डा दरअसल मुण्डा विद्रोह था मुण्डा जनजाति रांची के दक्षिण पूर्वी और सिंह भूम के सटे हुए भागों में निवास करती है, इनकी भाषा मुण्डारी, भाषा परिवार की एक बोली है। पहले ग्राम के मुखिया को मुण्डा कहा जाता था।9

जो वाद में जातिवाचक बन गया, मुण्डा भाषा परिवार की जातियों का विभाजन होता गया। कैमूर पहाड़ियों में अंतिम विभाजन हुआ, मुण्डा ओर संताल अलग हो गये, मुण्डा छोटा नागपुर में रूके। शांति और एकांतप्रिय इस जाति ने यहाँ के इन घनघोर जंगल को अपने लिए ठीक समझा, जंगल काट खेती योग्य जमीन तैयार की जमीन का मालिक जंगल काटने वाला होता था। ऐसे जमीन मालिक 'खुंटकट्टीदार' या 'भूईहर' कहलाने लगे। जब बाहरी आक्रमण हुआ और राजा पर दबाव बढ़ा उसके परिणामस्वरूप लोगों पर कर बढ़ने लगा जिसे वसूलने हेतु जमीरदार प्रथा का चलन शुरू हुआ तथा जमींदारी प्रथा की शुरूआत हो गई।[10] ब्रिटिश सरकार के पैर जमने के साथ ही गैर जनजातियों का आगमन तेज हुआ, जमींदार जागीरदारों को सैनिक, असैनिक सेवाओं के बदले पुरस्कार रूप में गाँव के पट्टे दिये जाते थे। इस विद्रोह के तीन उद्देश्य थे – आर्थिक – अपनी जमीन पर कब्जा करना। राजनीतिक – अंग्रेजो के राज को खत्म कर मुण्डा राज कायम करना। धार्मिक – ईसाई धर्म का विरोध करना और ईसाई बने असंतुष्ट मुण्डो का नया धर्म स्थापित करना।

मुण्डा विद्रोह का नेता बिरसा मुण्डा था। सुगना मुण्डा के पुत्र बिरसा का जन्म 15 नवम्बर, 1875 ई. के दिन उलीहातू नामक गांव में हुआ था।[11] इनका परिवार बहुत निर्धन था, बिरसा के पिता सुगना और उसके छोटे भाई ने बंबा ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। ईसाई बनने के बाद बिरसा का नाम दाउद मुंडा पड़ा, बिरसा का परिवार उलगुलान तक चलकंद में रहा।[12] सरदारों द्वारा किये भूमि सम्बन्धी आंदोलन से उनका मन परिवर्तित हुआ, और वे अपने पुराने धर्म में वापस आ गए तथा इन ईसाई मिशनरियों के विरोध में उठ खड़े हुए।

1894–95 ई. में बिरसा पैगम्बर के रूप में सामने आये, धीरे–धीरे बिरसा रोग दूर करने

वाला चमत्कार दिखाने वाला एक उपदेशक पैगम्बर हो गया। अगस्त नवम्बर 1895 में उपदेश सुनने वालो की संख्या तेजी से बढ़ी, आंदोलन मेँ सरदारों ने प्रवेश किया 6 अगस्त, 1895 के दिन चौकीदार ने खबर दी बिरसा ने घोषणा की है कि – सरकार खत्म हो गई है। इस पर प्रधान कांस्टेबल को चलकंद भेजा गया अधिकारी ने बिरसा को चेतवानी दी की वह भीड़ इकट्ठा न किया करें।[13]

सरदारों ने बिरसा की आज्ञा के बिना ही हथियार इकट्ठे करना शुरू कर दिया। 24 अगस्त, 1895 ई के दिन बिरसा घर पर सो रहा था तभी ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया ओर दो साल की सजा सुनाई गई।[14] रानी विक्टोरिया के शासन के 60 वर्ष पर मनाये जाने वाले महोत्सव पर 30 नवम्बर 1897 ई. में उसे रिहा किया। इसके बाद वह अपने आंदोलन का संगठन करने में जुट गया।[15] रिहाई के बाद बिरसा ने पैतृक स्थानों की यात्रा की। उन्हें वह पवित्र जल भी मिला जिससे हमेशा विजय हासिल कर सकते थे।[16]

बिरसा ने सभाएँ की, डोम्बारी को केन्द्र बनाया, यहीं मुण्डाओं की एक विशाल सभा का 1898 ई. में आयोजन किया।[17] यही मुण्डा सरदारों ने अपने नेता से कहा कानून की लम्बी लड़ाई से वे थक जाएगे इसलिए विद्रोह करना उचित है। 1899 में डोम्बारी में दूसरी बैठक हुई जहाँ बिरसा ने कहा हम लोग धनुष बाण आदि कुल्हाड़ी बनाना शुरू करें, क्योंकि हम ज्यादा पीड़ित है। अपने उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के लिए 24 दिसम्बर, 1899 ई. का दिन निर्धारित किया।

योजनानुसार क्रिसमस के दिन कार्यवाही शुरू की जिसमें तीर बरसाये गये, विद्रोहियों की कार्यवाहियों का क्षेत्र काफी व्यापक था इसमें सिंह भूम जिले के चक्रधरपुर थाने ओर रांची जिले के खूंटी, कर्रा, तोरपा, तमाड़ और बसिया थाने के अंतर्गत आने वाले पूरे क्षेत्र में विद्रोह की अग्नि धधक उठी।[19] पुलिस टुकड़ियाँ तैनात की गई और बिरसा की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू की गई। क्रिसमस के दो दिन बाद ही बिरसा ने सरकार के साथ सीधे संघर्ष की घोषणा कर दी अब आंदोलन का धार्मिक रूप परिवर्तित हुआ ये पूरी तरह रानीतिक हो गया।[20]

25 दिसम्बर 1899 से ही विद्रोही बड़ी संख्या में सईल रकब पहुँचने लगे वे अपने साथ पूरा परिवार लाये थे ब्रिटिश अधिकारी भी वहाँ पहुँचने लगे और उन्होंने पास ही अपना घेरा डाला डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड ने दुभाषियों के जरिए उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा तो विद्रोहियों ने गालियाँ देना शुरू कर दिया। बिरसार को भी सरकार के हाथ सौपनें से मना कर दिया। फौरबेल और स्ट्रीट फील्ड वापिस आ आ गये पीछे से मला करने की योजना बनाई। 9 जनवरी 1900 ई. पुलिस दन ने योजनानुसार कार्य किया गोलियाँ बरसाना शुरू किया विद्रोही जंगलों की तरफ भागने लगे। ब्रिटिश अधिकारियों ने बताया पहाड़ी पर केवल चार व्यक्ति मरे 3 घायल हुए। पहाड़ी के पीछे तीन औरतों की लाशे और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल मिला। इस अभियान में पुलिस दल का कोई व्यक्ति ना मरा ना घायल हुआ।[21] जबकि मुण्डा अधिक संख्या में मारे गये। मुण्डा सरदार व बिरसा अनुयायी गिरफ्तार किये गये।

इस आंदोलन के दो प्रमुख सरदार डोंका और माझिया मुण्डा थे जिन्होंने 28 जनवरी को अन्य 32 आंदोलनकारियों के साथ सामूहिक आत्मसर्मपण किया।[22] ब्रिटिश सरकार लगातार बिरसा का पीछा कर रही थी। बिरसा ने अपने अंतिम दिन पोराहाट की उच्च भूमि पर जगह–जगह बिताए। रोगोटो में बिरसा अनुयायियों की आखिरी बैठक हुई, जिसके लिए तैयारी बड़ी जल्दबाजी में की गई थी।[23] ब्रिटिश सरकार ने 500 रूपये का ईनाम घोषित कर रखा था। पास के गांव मानमारू और जेरीकेल के 7 आदमी लालच में आकर बिरसा की खोज में लगे। 13 मार्च 1900 ई. के दिन सेंतरा के पश्चिम स्थित जंगल में जब बिरसा गहरी नींद सो रहे थे तो उन्हें पकड़ लिया और बंदगांव में कैम्प डाले डिप्टी कमिश्नर के सुपुर्द कर दिया।[24]

मानव शास्त्री प्रो. सच्चिदानंद ने लिखा है – बिरसा आंदोलन मुण्डाओं में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, अंसतोष का स्वरूप था। दमन व अत्याचार के बीच व परेशानी से त्रस्त मुण्डाओं ने बिरसा में सिद्ध पुरूष व रक्षक का गुण देखा यह आंदोलन इतना प्रखर था कि शीघ्र ही छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई।[25] बिरसा एक महान देश भक्त था उन्होंने आदिवासियों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ

एकजुट किया और धर्मान्तरण का विरोध कर भारतीय संस्कृति की रक्षा की। ये धमान्तरण शोषण अन्याय के विरूद्ध सशस्त्र क्रांति का संचालन करने वाले महान नायक है।

अतः जनजातियों ने अपने अधिकारों के लिए एवं अन्याय के विरोध में व्यापक रूप में शास्त्र उठाये अंग्रेजों के विरूद्ध सशस्त्र संघर्ष किया और एक लम्बे समय तक अंग्रेजी शासन की नींव हिला कर रख दी थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सक्सेना सुधीर, म.प्र. में आजादी की लड़ाई और आदिवासी, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, 1999, पृष्ठ – 111
2. वही, पृष्ठ – 112, 113
3. पत्रिका म.प्र. संदेश, स्वाधीनता आंदोलन विशेषांक, प्रकाशन शाखा जनसंपर्क संचालनालय भोपाल, अंक–3, वर्ष 1987, पृ. अ–4
4. सक्सेना सुधीर, पूर्वोक्त, पृष्ठ – 113
5. श्रीवास्तव भगवान दास, 1857 ई. के स्वीधीनता आंदोलन में म.प्र. के आदिवासियों का योगदान, शांति प्रकाशन, भोपाल, 1993, पृष्ठ – 41
6. सक्सेना सुधीर पूर्वोक्त, पृष्ठ – 111
7. सक्सेना सुधीर पूर्वोक्त, पृष्ठ – 114
8. वही, पृष्ठ – 114
9. टोप्पो इग्नासिया, झारखण्ड उलगुलान के महानायक बिरसा मुण्डा, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 2002, पृष्ठ – 19
10. वही, पृष्ठ – 25
11. उपाध्याय विजय शंकर, भारत की जनजातीय संस्कृति, म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, सन् 2004 पृष्ठ – 109
12. सिंह सुरेश कुमार, बिरसा मुण्डा ओर उनका आंदोलन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2001, पृष्ठ – 58
13. सिंह सुरेश, पूर्वोक्त, पृष्ठ – 82–83
14. सिंह अयोध्या, भारत का मुक्ति संग्राम, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 1992, पृष्ठ 428
15. श्रीवास्तव ए.आर.एन. जनजातिय संस्कृति, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2002, पृष्ठ – 88
16. टोप्पो इग्नासिया, पूर्वोक्त, पृष्ठ – 88–89
17. वही, पृष्ठ – 91
18. सिंह सुरेश पूर्वोक्त, पृष्ठ – 114–115
19. वही, पृष्ठ – 124
20. वही, पृष्ठ – 127
21. टोप्पो इग्नासिया पूर्वोक्त पृष्ठ – 120
22. वही, पृष्ठ – 131
23. सिंह सुरेश पूर्वोक्त पृष्ठ – 157
24. टोप्पो इग्नासिया, पूर्वोक्त पृष्ठ – 132–133
25. श्रीवास्तव ए.आर.एन. पूर्वोक्त, पृष्ठ – 89

सहकारी आंदोलन व महिलाएं

डॉ. ममता ए. त्रिपाठी
सहायक प्राध्यापक – अर्थशास्त्र, श्री उमिया कन्या महाविद्यालय, इन्दौर

सहकारी आंदोलन व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक एवं लिंग, जाति, आदि के आधार पर भेदभाव का प्रबल विरोधी रहा है। सहकारिता की एक आंदोलन के रूप में सफलता तभी संभव थी जब इस दुनिया की आधी आबादी अर्थात् महिलाओं का इसे समर्थन प्राप्त हो। किसी देश या देशों में चलने वाले किसी भी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी इस बात पर निर्भर करती है, कि किसी देश विशेष के विशिष्ट काल में महिलाओं की सामाजिक – आर्थिक स्थिति कैसी है ? फिर भी हमें यह देखना होगा कि सहकारी आंदोलन में महिलाओं की स्थिति क्या थी और इनमें क्या परिवर्तन आया है ?

आधुनिक सहकारी आंदोलन की प्रथम सहकारी समिति, जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, सन् 1844 में इंग्लैण्ड के राकडेल नामक कस्बे में स्थापित हुई थी। इसके 28 संस्थापकों, जिनको हम रॉकडेल पायोनियर्स के नाम से जानते है, में मात्र एक महिला शामिल थी।[1] मगर सन् 1860–51 में 6 उपभोक्ता भण्डारों व व्यक्तिगत सदस्यों के संयुक्त प्रयास के रूप में को–ऑपरेटिव्ह कार्न मिल की स्थापना हुई तो इसके व्यक्तिगत सदस्यों में 5 महिलाएं भी शामिल थी।[2] फिर भी टाडलेन स्टोर्स की स्थापना के तीस वर्ष पश्चात् तक महिलाऐं स्टोर की गतिविधि में बहुत कम भाग लेती थी। संचालक मण्डल, केन्द्रीय समिति व अन्य स्थानों पर, भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों में पुरूष ही होते थे।

इस शताब्दी के नवम् दशक में महिलाओं ने वे कार्य जो वे पहले नहीं करती थी, करना आरम्भ किया। यद्यपि ब्रिटेन में पृथक महिला सहकारी समितियों का उल्लेख किसी पुस्तक में मुझे दृष्टिगत नहीं हुआ फिर भी मातृसत्तात्मकता को मान्यता देने वाले, मगर व्यवहार में रूढ़ीवादी, इंग्लैण्ड के सहकारी आंदोलन में आगे चलकर महिला नेतृत्व भी उभरकर सामने आया। ब्रिटेन के सहकारी आंदोलन के मुखपत्र 'को–ऑपरेटिव्ह न्यूज' के सम्पादक सेम्युअल बेगफोर्ड ने अपनी पत्रिका में 'वूमन्स कॉर्नर' के नाम से एक स्तम्भ प्रारम्भ किया। इसकी सम्पादक ने प्रथम अंक में ही महिलाओं से अपील की कि महिलाओं को को–ऑपरेटिव्ह स्टोर्स से सामान क्रय करने से अधिक कुछ करना चाहिये। इसी वर्ष 1883 लंदन में संपन्न कांग्रेस में 'वूमन गिल्ड' (Women League for the spread of Cooperation) की स्थापना की गई, जिसने महिलाओं को सामाजिक कार्यो विशेषतः सहकारी आंदोलन में भागीदारी करने हेतु प्रेरित करने का कार्य किया।

पुरूष प्रधान समाज की मानसिकता के चलते इसके संचालन में प्राथमिक समय में कठिनाई आई। मगर धीमे–धीमे इसने प्रगति की, इसकी कई शाखाऐं प्रारम्भ हुई व महिला नेतृत्व उभरने लगा। सन् 1885 में श्रीमती लिवरसन अपनी सोसायटी की शिक्षा समिति की सदस्य चुनी गई। सन् 1889 में कुमारी मार्गरेट डेंविस वुमन लीग की सेक्रेटरी बनी जो एक रचनाधर्मी महिला थी और उनका नाम सहकारी आंदोलन के इतिहास में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उसने महिलाओं से कहा कि वे केवल पुरूष नेताओं का अनुसरण नहीं करें वरन् जहां जरूरत हो स्वयं पहल कर नेतृत्व करें। इंग्लैण्ड की कुछ सहकारी समितियों में एक परिवार से एक ही व्यक्ति को सदस्य बनाया जाता था और वह निश्चित ही घर का मुखिया पुरूष होता था। मारगेट ने यह मांग उठाई कि पति–पत्नि दोनों को ही सदस्य बनाया जाना चाहिये। कु. मारगेट सही मायने में इंग्लेण्ड के सहकारी आंदोलन की प्रथम राष्ट्रीय स्तर की नेता थी जो सन् 1922 में को–ऑपरेटिव्ह यूनियन कार्यक्रम की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी।[3]

सन् 1893 में श्रीमती लावर्सन व 1894 में कु. केथरीन बेब को–ऑपरेटिव्ह यूनियन की केन्द्रीय कमेटी में सदस्य चयनित किया गया। सन् 1904 में जब भारत में सहकारी आंदोलन का विधिवत जन्म हो रहा था उस समय इंग्लेण्ड के सहकारी आंदोलन की सर्वोच्च संस्था को–ऑपरेटिव्ह यूनियन के अध्यक्ष पद पर एक महिला, कुमारी स्पूनर आसीन थी तथा विभिन्न संस्थाओं में बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी कार्यरत थी। स्कॉटलेण्ड की सहकारी संस्थाओं की सदस्याओं ने ईस्वी 1892 में एक ऐसा ही गिल्ड स्थापित किया। हॉलेण्ड में भी महिला नेतृत्व को विकसित करने हेतु वुमन्स गिल्ड की स्थापना हुई थी मगर सन् 1934 में इसे भंग कर दिया गया। 1935 में न्यूजिलेण्ड में महिलाओं हेतु वुमन्स

इंस्टीट्यूट का गठन हुआ व वहां की कृषक को–ऑपरेटिव्ह यूनियन में महिलाओं का पृथक विभाग स्थापित हुआ।[4] मगर सी.आर.फे. की मान्यता है कि इस समय तक सहकारी आंदोलन में महिलाओं की जवाबदारी केवल सांस्कृतिक–शैक्षणिक कार्यक्रमों तक ही सीमित थी, व्यावसायिक कार्य पुरूष ही करते थे।

इस प्रकार हम देखते है कि 20वीं सदी के प्रारम्भ में सहकारी आंदोलन के जन्मदाता देश में भी आंदोलन में महिला की भागीदारी सीमित ही थी।

आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सहकारिताओं का कोई पृथक संगठन तो नहीं है, मगर आय.सी.ओ. के अंतर्गत एक वुमन कमेटी कार्यरत है, जिसका पृथक संविधान व सदस्यता है।[5] प्रति चार वर्षो में इसका सम्मेलन आय.सी.ओ. के सम्मेलन के साथ ही होता है, जिसें 120 देशों की महिला कार्यकर्ता भाग लेती है। अनेक देशों में भी महिलाओं के सहकारी संगठन स्थापित हो चुके है।

भारतीय सहकारी आंदोलन व महिलाएं

भारतीय सहकारी आंदोलन के पुरोधाओं ने बहुत पहले ही इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि अगर भारतीय सहकारी आंदोलन को सफल होना है तो उसमें महिलाओं की व्यापक भागीदारी पैदा करना होगी। 'द ऑल इंडिया को–ऑपरेटिव्य इंस्टीट्युट एसोसिएशन' की सन् 1935 में पटना में हुई बैठक में यह चिंता व्यक्त की गई थी कि वर्तमान में सहकारी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। इस संबंध में दो प्रस्ताव स्वीकृत किये गये थे। प्रथम प्रस्ताव में कहा गया था कि महिलाओं में सहकारी आंदोलन का विस्तार आज की परम आवश्यकता है। अतः विभिन्न प्रान्तों की सरकारों से निवेदन है कि वे अपने यहां महिला संगठनों की नियुक्ति करें, जो इस कार्य के साथ ही महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का भी कार्य करें। दूसरे प्रस्ताव में सहकारी क्षेत्र की महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अलग प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ करने की मांग की गई थी।[6]

इसी मध्य पंजाब व उसका अनुसरण करते हुए अन्य राज्यों में महिलाओं की पृथक सहकारी समितियां भी बनना प्रारम्भ हुई। समय–समय पर विभिन्न प्रयास भी होते रहे कि समग्र सहकारी आंदोलन में महिलाऐं सक्रिय भूमिका अदा करें। स्वतंत्रता पश्चात् इन प्रयासों में काफी वृद्धि हुई। मार्च 1965 में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने महिला व सहकारिता पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयेाजन किया था। इस सम्मेलन में सहकारी आंदोलन में न्यून भागीदारी के कारणों की समीक्षा करते हुए सुझाव दिया था कि प्रत्येक राज्य में महिला सहकारी समितियों के कार्यक्रमों को तीव्र करने हेतु पायलेट परियोजनाएं प्रारम्भ की जाना चाहिये, महिलाओं को उन गतिविधियों में शामिल करने के लिए सघन प्रयत्न करना चाहिये जो उपभोक्ता के संरक्षण के लिए आवश्यक है।[7]

दुर्भाग्यवश देश व प्रदेश में सहकारी आंदोलन की जो सांख्यिकी या अन्य साहित्य उपलब्ध होता है उनमें इस तथ्य का पृथक या विशिष्ट उल्लेख नहीं होता है कि देश में कार्य कर रही सहकारी समितियों की कुल सदस्यता में, उनके संचालक मंडल या पदाधिकारियों में कितनी महिलाऐं है। अतः यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि देश की सहकारी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी कितनी और किस प्रकार की है तथा इसमें कितना सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन हो रहा है ? मगर अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी उनकी जनसंख्या के अनुपात में नगण्य ही है और वे अपेक्षित स्तर को प्राप्त नहीं कर पाई है।

स्वतंत्र महिला सहकारी आंदोलन

यद्यपि सहकारी आंदोलन देश में विधिवत् रूप से ईस्वी 1904 से प्रारम्भ हुआ था और सहकारी समितियों की सदस्यता में, नगण्य ही सही, महिलाओं की भागीदारी थी, मगर महिलाओं की स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं का गठन 22 वर्ष पश्चात् प्रारम्भ हुआ जब ईस्वी 1926 में पंजाब में देश की प्रथम महिला सहकारी समिति बनी।[8] वर्ष 1930 तक इनकी संख्या 146 हो गई थी। इन समितियों में बहुसंख्य समितियां बचत व साख का कार्य करती थी। इसी दशक में तत्कालीन राज्यों उत्तरप्रदेश, त्रावणकोर, कोचीन, मैसूर आदि में भी महिलाओं की समितियां अस्तित्व में आई। इनकी सफलता की सराहना करते हुए 'ऑल इण्डिया को ऑप. इंस्टीट्युट एसोसिएशन' की स्टेंडिंग कमेटी की 1935 में पटना में हुई बैठक में यह प्रस्ताव किया गया कि सहकारी आंदोलन का विस्तार महिलाओं में किये जाने की नितांत आवश्यकता है। अतः विभिन्न प्रान्तों व राज्यों से निवेदन है कि इस कार्य को करने के लिए महिला संगठकों की नियुक्ति करें व सहकारी महिला कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करें।[9]

जून 1958 में सर्वाधिक महिला सहकारी समितियां, 613 पंजाब में थी। इनमें मुख्यतः बचत संस्थाएं 380 व औद्योगिक संस्थाएं 157 थी। मद्रास में महिला सहकारिताएं विशेष रूप से उद्योग के क्षेत्र में थी व यहां की 13 संस्थाओं ने मिलकर अपनी एक केन्द्रीय सहकारी समिति का भी गठन किया था। यहां की 39 महिलाओं ने एक दुग्ध समिति का गठन दिसम्बर 1956 में किया था। आन्ध्रप्रदेश में 36 महिला सहकारी समितियां संचालित थी। बॉम्बे राज्य में इन समितियों ने अपना विकास व विस्तार दोनों किया। जून 1958 में वहां 67 संस्थाएं कार्यरत थी। जिनकी सदस्यताएं लगभग 8500 थी। इस वर्ष इन्होंने 6 लाख रूपये के माल का निर्माण किया। पूणे शहर की एक महिला सहकारी समिति माचिस का कारखाना चला रही थी तो दूसरी रेडियो ट्रांसफॉर्मर का उत्पादन कर रही थी। कल्याण यंत्रम सहकारी कारखाना किरकी ऑटो मोबाईल व डीजल इंजनों के लिए मेटल प्रेस्ड शैल बिअरिंग बनाता था। उ.प्र. में 146, उडीसा में 40, देहली में 80, मैसूर में 43, आन्ध्र में 36, केरल में 22, पश्चिम बंगाल में 21, राजस्थान में 19, त्रिपुरा में 21, बिहार में 8 व मध्यप्रदेश में 10 महिला सहकारी संस्थाऐं कार्यरत थी।

छठवें दशक के प्रारम्भ तक देश में महिला सहकारी आंदोलन ने अपना कुछ क्षेत्रीय विस्तार तो किया मगर उनकी प्रभावी उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी थी। इस समय तक प्रांतों का पुनर्गठन नहीं हुआ था व महिला सहकारी समितियों के बारे में समग्र जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। फिर भी एक संदर्भ[10] के अनुसार महिला सहकारी समितियों के गठन हेतु तत्कालीन राज्यों उडीसा, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, सौराष्ट्र, अजमेर, हैदराबाद व कुर्द में विशेष प्रयास कर महिलाओं को सहकारी आंदोलन से संयुक्त करने का प्रयास किया गया। उडीसा में इनको प्रबंधकीय अनुदान भी उपलब्ध कराया गया।

इस समय अर्थात् वर्ष 1951–52 में मद्रास राज्य में 63 महिला सहकारी समितियां कार्यरत थी तथा इनकी सदस्य संख्या 6379 थी। इनमें रेडीमेड वस्त्रों का निर्माण करने वाली गृह उद्योग समितियों की बहुलता थी। इन समितियों की देखभाल हेतु एक विशेष महिला अधिकारी की पदस्थी भी की गई थी। पंजाब में सिर्फ बचत व साख सहकारी समितियां ही गठित हुई। इनकी संख्या इस समय 241 व कुल सदस्यता 5530 थी। बॉम्बे राज्य में इनकी संख्या 96 थी जो विगत वर्षो की अपेक्षा कम थी। उत्तरप्रदेश में भी महिला सहकारी समितियां विशेषतः बचत व साख के क्षेत्र में ही काम कर रही थी। इनकी संख्या 125, सदस्यता 3007 व कार्यशील पूंजी 48000 रूपये थी। मैसूर राज्य में 40 समितियां थी, जो बुनाई, कढाई व सिलाई के क्षेत्र में कार्यरत थी। इनकी सदस्य संख्या 2618 व कार्यशील पूंजी 84000 रूपये थी। इसी वर्ष उडीसा व वेस्ट बंगाल में महिला समितियों का गठन प्रारम्भ हुआ। उडीसा की पांच सहकारी समितियों की सदस्यता 242 थी जबकि बंगाल में 10 समितियां गठित हुई। जो मुख्यतः गृह उद्योग में सहयोग करती है। मणिपुर में 4 समितियां ही बनी मगर ये बहुउद्देशीय थी व इनकी सदस्य संख्या 1356 थी। प्रत्येक समिति को राज्य शासन ने 2000 रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया था।

इस समय तक गठित महिला सहकारी समितियां विशेषतः शहरी क्षेत्र में ही सक्रिय थी। प्रति समिति सदस्यता, कार्यशील पूंजी व व्यवसाय अत्यधिक न्यून था। प्रशिक्षित व योग्यकर्मियों का अभाव था।

सातवें दशक के प्रारम्भ में इनकी स्थिति में कुछ उल्लेखनीय सुधार हुए। विशेषतः इनका विविधिकरण हुआ। हालांकि पंजाब अभी भी महिला सहकारी आंदोलन में अग्रणी बना रहा। वर्ष 1961–62 में पंजाब में इनकी संख्या बढकर न केवल 1073 हो गई वरन् बचत व साख के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी इनका प्रवेश हुआ। इस समय पंजाब में 735 बचत समितियां, 258 औद्योगिक, 58 गैर कृषि साख, 13 स्कूल सप्लाय, 5 वेलफेयर, 2 बाल बचत, 1–1 मुर्गी पालन व बहुउद्देशीय समितियां कार्यरत थी जिनकी कुल सदस्य संख्या 36000 व कार्यशील पूंजी 15 लाख से भी अधिक थी। समीपस्थ राज्य दिल्ली में इनकी संख्या 129 थी जो मुख्यतः बुनाई, सिलाई व कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन करती थी। इस समय महाराष्ट्र व उडीसा में 87, बिहार में 47, गुजरात में 46, मैसूर में 43, मध्यप्रदेश में 38, राजस्थान में 23 व हिमाचल प्रदेश में 6 समितियां थी।[11] मैसूर के कुर्द जिले की एक सहकारी समिति स्कूल का संचालन भी करती थी।

आठवें दशक के प्रारम्भ में महिलाओं ने अपने पृथक सहकारी बैंकों की स्थापना कर एक नये अध्याय की शुरूआत की। सहकारी महिला कार्यकर्ताओं का यह एक सनसनीखेज व रोमांचक कदम था जिसकी सफलता व असफलता के संबंध में कई कयास व अटकलें लगाई गई थी। 1971 के मध्य अक्टुबर में महाराष्ट्र के कपडा उत्पादक क्षेत्र इचंलकरजी में देश के प्रथम महिला बैंक इचलकरजी महिला नागरिक सहकारी बैंक ने अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया जिसका नेतृत्व

श्रीमती सरोजिनी खंजिरे कर रही थी। महिला बैंक प्रारम्भ करने का पहला प्रयत्न सांगली में डॉ. शालिनी ताई पाटिल व श्री वसंतदादा पाटिल की प्रेरणा से हुआ था। मगर इस श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक की स्थापना 21 दिसम्बर 1971 को हुई थी।[12]

नवम् दशक के प्रारम्भ में अर्थात् 31 मार्च 1981 को देश में व्याप्त महिला सहकारी समितियों का विस्तार हमें इंगित करता है कि इस समय तक देश के लगभग प्रत्येक राज्य में इन सहकारी समितियों का गठन हो चुका था। आन्ध्र में 17, आसान में 239, गुजरात में 80, हरियाणा में 13, हिमाचल में 167, कर्नाटक में 34, केरल में 3, मध्यप्रदेश में 27, मणिपुर में 407, मेघालय में 7, नागालैण्ड में 23, उडीसा में 11, पंजाब में 2000, पांडिचेरी में 3, राजस्थान में 57, तमिलनाडू में 19, त्रिपुरा में 17, उत्तर प्रदेश में 147, पश्चिम बंगाल में 147, व देहली में 87 सहकारी समितियां कार्यरत थी।[13] आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में महिला सहकारी समितियों के विकास हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना आरम्भ की गई, जिसके तहत राज्य सरकार के माध्यम से इन समितियों को अंशपूंजी हेतु अधिकतम 40000 रूपये की वित्तीय सहायता तथा कार्यशील पूंजी सहायता दी जाना निर्धारित किया गया। इसी योजना के अंतर्गत समिति के संचालन हेतु तकनीकी कर्मचारी अथवा प्रबंधकीय सहायता के रूप में अधिकतम 20000 रूप्ये समिति को दी जाना थी।

इस अवधि की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सहकारी संस्थाएं विभिन्न उद्देश्यों के लिए कार्य कर रही थी। इनमें जहां बचत सहकारी संस्थाएं थी वहीं बुनकर सहकारी समितियां, उपभोक्ता भण्डार, औद्योगिक सहकारी समितियां, डेयरी समितियां, बहुउद्देशीय समितियां व सहकारी सुपर बाजार भी सम्मिलित थे।

संदर्भ सूची :

1. के.पी. भटनागर – भारत व विदेश में सहकारिता – 35 – किशोर पब्लिशिंग हाउस, कानपुर – तृतीय संस्कार – 1965
2. अर्नाल्ड बोनर – द ब्रिटिश को–ऑपरेशन – 52 – प्रकाशक – को–ऑपरेटिव्ह यूनियन लिमिटेड, मेनचेस्टर – 1961
3. टी.डब्ल्यू. मर्सर – टूवर्ड कोऑप. कॉमनवेल्थ – 173 – द को–ऑपरेटिव प्रेस लिमिटेड, मेनचेस्टर – 1916
4. सी.आर.फे. – को–ऑपरेशन एट होम एण्ड अबोर्ड – 354 – स्टेप्लस प्रेस न्यूयार्क – द्वितीय संस्करण – 1948
5. Enhancing Women Participation in Cooperative Activities - Reports and Papers [4. pub] - ICA Regional Office, New Delhi
6. द इण्डियन को–ऑपरेटिव्ह रिव्यू भाग – संख्या 4 – 34–35 – प्रकाशक – द ऑल इंडिया को–ऑपरेटिव्ह इंस्टीट्युट एसोसिएशन – सन् 1935।
7. डा.टी.एन. हजेला – सहकारिता : सिद्धांत व व्यवहार – 653 – प्रकाशक – राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।
8. बशीर अहमद खान – को–ऑपरेशन एण्ड वूमन। इण्डियन कोऑप. रिव्यू – जनवरी 1935 – द ऑल इण्डिया को–ऑपरेटिव इंस्टीट्युट एसोसिएशन।
9. द इण्डियन को–ऑप. रिव्यू – वॉल्यूम – 1 नं. 4 – 1935।
10. Review of the Cooperative Movement in India - 1950-52 | 161-163 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
11. Review of the Cooperative Movement in India - 1960-62 | 142-143 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
12. डॉ. पुष्पांजली कोठी – सहकारी महाराष्ट्र, 31 – प्रकाशक – महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्या. पुणे – मार्च 1995।
13. पृष्ठाधार सामग्री, भारतीय सहकारी महासम्मेलन अप्रेल 1982, 25–26 – भारतीय राष्ट्रीय सहकार संघ, नई देहली।

शानी के साहित्य में धार्मिक समन्वय

डॉ. परवीन बानो खॉन

अनेकानेक अनुयायी इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग यदा–कदा लड़ने झगड़ने के उपरांत भी आपस में तालमेल बैठाकर जीवन व्यतीत करते हैं। यही अनेकता में एकता हमारे भारत देश की विशेषता है। हमारे देश रूपी बाग में अनेक धर्मों ने फूलों की तरह खिल कर इसकी शोभा बढ़ाई है। चूंकि अंग्रेजों ने अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु हमारे देश के लोगों को हिन्दू और मुसलमान में बांटने का प्रयास किया, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे किंतु कालान्तर में हमारी सद्भावना के आगे उनकी नीति प्रभावी नहीं कर सकी। ताराचंद के अनुसार ''जो मुसलमान भारत आये उन्होंने भारत को अपना घर बना लिया। वे हिन्दू लोगों से घिरे रहते थे और उनके साथ एक निरंतर चलने वाली शत्रुता असंभव थी। आपसी संपर्क से आपसी समझ बनी। जिन बहुत से लोगों ने अपना धर्मं बदल दिया था वे उनसे बहुत कम भिन्न थे। ...हिन्दू और मुस्लिम पड़ोसियों के समान रहने के लिए कोई तरीका तलाशने के लिए तैयार हो गए।''[2]

यद्यपि सभी धर्मों की मूल आत्मा एक ही है समस्त धर्म ईश्वर भक्ति, नैतिकता , प्रेम, स्नेह, कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, मानवता, सच्चाई आदि के समर्थक है । भारतीयों में विद्यमान समन्वयवादी भावना, विश्व बंधुत्व, धार्मिक साहिष्णुता आदि ने प्रारंभ से ही एकता के भाव उत्पन्न किये हैं।

धर्म की प्रमुख मान्यता एकात समन्वय एवं सहयोग है। स्वतंत्रता उपरांत भारत ने स्वयं को एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करते हुए सभी लोगों के धर्मो को एक समान आदर तथा मान्यता प्रदान की है, सभी को अपने–अपने धर्मों का प्रचार –प्रसार करने का अधिकार भी दिया है। धार्मिक एकता, सद्भाव हमारी विशेषता है जो शानी की लेखनी में भी प्रतिबिंबित है। इनके साहित्य में सभी धर्म के लोगों के बीच दया, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति एवं सहयोग की झलक मिलती है । क्योंकि ''धर्म का मूल लक्ष्य मनुष्य के अनुभूति और आचरण के स्तर पर निरंतर संस्कारों के अतिरिक्त और क्या है।''[3]

शानी के साहित्य में धर्मों के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव से कहीं अधिक प्रखरता के साथ समन्वय उभर कर आता है। क्योंकि उनका उद्देश्य तनाव की व्यंजना नहीं समन्वय की गुहार है। जो भीतर बाहर कहानी में स्पष्ट होती है कि ''मजहब इंसान को इंसानियत की सीख देता है''[4], इसी समन्वय का प्रसार ही शानी का मुख्य उद्देश्य है जो उनके साहित्य में प्रतिबिंबित होता है।

एकता की भावना –

भारत में भिन्न धर्मों के लोग सामान्यतः मिल–जुल कर रहते हैं, जब तक परिस्थितियाँ विषम न हो जायें। सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के यहां आते – जाते है, सुख–दुःख बांटते हैं, आवश्यकता पड़ने पर काम आते हैं। शानी के साहित्य में बहुत से ऐसे पात्र है जिनके मध्य धर्म किसी भी तरह की दीवार खड़ी करने में असमर्थ है जैसे 'काला जल' में बब्बन के पिता और त्रिवेदी काका 'युद्ध' और 'जनाजा' कहानी में रिजवी और शंकरदत्त 'चौथी सत्ता' कहानी में इकबाल और सचदेवा बिरादरी कहानी में कथानायक और त्रिवेदी आदि।

ये सामंजस्य या एकता हमारे समाज का एक सुंदर पक्ष है जिसे शानी ने बहुत ही कुशलता से उकेरा है। इस यथार्थ को हम स्वयं जीते है और महसूस करते हैं। शानी की कुछ कहानियों में मुस्लिम संस्कृति तो है किंतु 'एक लड़की की डायरी' में नामों के अतिरिक्त धर्म कहीं भी मायने नहीं रखता। शानी के साहित्य में धार्मिक एकता सर्वत्र दिखाई देती है। 'अपनी –अपनी सीमाओं' में एक ठाकुर एवं मुस्लिम परिवारों की घनिष्ठता के बीच धर्म कहीं भी आड़े नहीं आता जिसे शानी इन शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं ''आज भी मेरे लिए निर्णय करना कठिन है कि उस ठाकुर परिवार से (यक–ब–यक) हमारा घरोबा कैसे हो गया और वह भी उस सीमा तक जहाँ पहुँच कर खाना–पान, रहन–सहन सब एक हो, सिर्फ बिस्तर भर अलग–अलग हो जाये...... .....किंतु यदि पास–पास रहना ही सब कुछ होता है तो भूपेन्द्र को अपनी बायी ओर के पंजाबी जोड़े से और हमें अपने सजातीय रहमान साहब से अधिक निकट होना चाहिए था।''[5]

यहां शानी स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपसी मेलजोल प्रेम व्यवहार समान धर्म का मोहताज नहीं विभिन्न धर्म के लोगों में भी मेल एकता होती है इसी प्रकार 'एक हमाम में सब नंगे' कहानी में भी कॉलेज से निकाले गए कई धर्मों के अध्यापक मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। यहां शानी स्पष्ट करते हैं जीवन का संघर्ष सभी धर्म के लोगों को करना पड़ता है। अतः समाज में सहते हुए एक दूसरे का साथ देना स्वाभाविक है।

चौथी सत्ता कहानी में समाज में भिन्न धर्मों के लोगों का आपसी गुँथाव दृष्टिगोचर होता है ''...........…फिर एरोड्रम, ईदगाह, लाल ईंटों का ऊँचा गिरजा घर, सफेद चूने की दो–दो मस्जिदें, कई – कई मंदिर और ....''[6]

एकता की भावना ही है जो ''तीन पेड़, दो छाँव कहानी'' में हिन्दू राम चरण की माँ को मुस्लिम बदरू की दुकान देखने के लिए प्रेरित करती है जब बदरू की बेटी अमीना की तबीयत खराब हो जाती है। इसी प्रकार गीले सूखे आँचल में मुस्लिम पड़ोसी के साथ मालती अपनी दुःख तकलीफों को कहकर बाँटती है यहाँ मालती न हिन्दू है न कथा नायिका मुस्लिम, यहाँ वे सिर्फ औरतें हैं जो एक दूसरे का दुःख दर्द बाँट रही हैं।

धर्म से बढ़कर राष्ट्र –प्रेम –

एक तरफ शानी ने हिन्दू मुस्लिम के सूत्र न बंध पाने और संस्कृतियों से जुड़ी विसंगतियों को पैने और संवेदनशील ढंग से चित्रांकित किया है। जहाँ लोग धर्म के नाम पर मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए अन्य धर्म की आलोचना करते हैं वहीं मोहसिन जैसे पात्रों का भी उल्लेख है । जिसके विषय में डॉ. रमाकान्त राय लिखते हैं '– ''वह साझी संस्कृति की मशाल लेकर चलने वाला चरित्र है ।''[7] जो एक धर्म से परे होकर सभी धर्मों को समान समझकर निःस्वार्थ भाव से अपना कार्य करते हैं ''मोहसिन जो कि अपने धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में भी छिटका–छिटका सा शमिल होता है वही मोहसिन नायडू द्वारा देश हित में कराए जा रहे ''श्रीमद्भागवतगीता'' के प्रवचन कार्यक्रम में इतनी सक्रियता से भाग लेता है क्योंकि उसके लिए राष्ट्र हित प्रमुख है। और हिन्दू धर्म का यह कार्यक्रम किसी एक धर्म या जाति विशेष के लिए नहीं अपितु उस क्षेत्र के जन मानस को जाग्रत कर स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी होने का संदेश देने के लिए था । नायडू कहता है कि ''तुमने यदि इसे केवल धार्मिक काम समझा तो भूल करोगें, यह मैं पहले ही बताए देता हूँ। यह आयोजन तो एक बहाना है, खास मकसद तो यह है कि ऐसा कोई विद्वान आकर यहां के मुर्दों को जगाए ....।''[8]

मोहसिन की राष्ट्र भक्ति नायडू के सानिध्य में प्रखर हुई थी वह अपने भविष्य की चिंता न करते हुए कुछ साथियों को तैयार कर अंग्रेजों के झंडे यूनियन जैक को सलामी देने से मना कर देता है तथा हेडमास्टर द्वारा मार खाने के बाद यूनियन जैक को एक रात लैम्प पोस्ट सहित जलो देता है। जिससे स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति की ललक हिन्दू –मुस्लिम दोनों के मन में समान थी। किंतु अंग्रेजों की फूट डालने की नीति के कारण भारत की आजादी के साथ जुड़ी देश विभाजन की कथा बड़ी व्यथा भरी है। इस दौरान मुस्लिम विरोधी उन्माद को शानी ने अपनी लेखनी में बहुत हल्के से कुरेदा है। पिछड़े मुसलमानों को उनकी सोच बदलने और सम्प्रदाय के दायरे से ऊपर उठाने की नसीहत देतीं नासिरा शर्मा लिखती हैं ''...बदली सोच वाले मुसलमानों ने मुख्य धारा में न केवल अपनी जगह बना ली है, बल्कि वे राष्ट्र का गौरव भी बन चुके हैं।''[9]

इन्हीं सांप्रदायिक और विभाजन से जुड़ी त्रासदियों के बीच मुसलमानों का अपनी मातृभूमि के प्रति आदर और लगाव का अनेक स्थानों पर शानी ने उल्लेख किया है। बब्बन के पिता से जब उनके ऑफिस में भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने को लेकर पूछताछ होती है तो वे इंकार कर देते है। बब्बन के पिता हिन्दुस्तान में रह गए। उन सारे मुसलमानों का प्रतीक हैं जो कि खुद को भारतीय समाज का अविभाज्य अंग मानते हैं। इतना ही नहीं ''कुछ हमदर्दों ने दबी जबान से समझाया तो बोले कि मारना–काटना होगा तो यही मर – कट जायेंगे, बुढ़ापे में मिट्टी खराब करने कहाँ जाएँ ?''[10] यह अपनी मिट्टी अपने देश से प्रेम ही है जो व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से जुड़े रहने को बाध्य करता है। तभी तो अपनी जन्मभूमि से प्रेम करने वाले मुस्लिम अनेक कष्ट सहते हुए भी बंटवारे में पाकिस्तान जाने से मना कर देते हैं। विचारणीय तथ्य यह है कि उनके हृदय में देश प्रेम कितना प्रबल होगा कि वे विभाजन के अलगाव की असहय पीड़ा सह कर भी अपने देश में ही रहना चाहते। यहां रहकर उन्हें मरना कटना स्वीकार है परंतु अन्य स्वधर्मी देश की मिट्टी में जीवित रहना नहीं।

अपने देश में रहकर अलगाव झेलना जब मोहसिन के लिए असंभव हो जाता है तो पाकिस्तान उसके मानस में स्वप्न दीप की तरह उभरता है। जो तनाव का विषय है, किंतु शानी इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए तुरंत उसकी कल्पना को यथार्थता का दर्पण दिखाते हुए बब्बन के शब्दों में कहते हैं – ''चलो अच्छा है, जाना ही चाहते हो तो, अभी न सही, फूफी को दफन करके चले जाना। लेकिन पाकिस्तान पहुँचने के बाद भी अगर तुम्हें लगा कि ठगे गए हो, तो फिर कहाँ जाओंगे – अरब या ईरान ?''[11]

यहाँ शानी ने पाकिस्तान के विषय में मुस्लिमों के यथार्थ परक विचारों का उद्घाटन किया है। स्पष्ट है कि भारतीय मुसलमानों की संवेदना पाकिस्तान की ओर नहीं भारत की ओर है। उनके लिए पाकिस्तान पराया राष्ट्र है तब उसके प्रति निष्ठा का प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दू मुस्लिम साझा संस्कृति –

भारतीय समाज से यदि मुस्लिम योगदान को निकाल दिया जाए तो देश सांस्कृतिक रूप से आधा हो जाएगा। साझा संस्कृति का एक प्रमुख तत्व है – 'हिंदू – मुस्लिम, सद्भाव' तथा भारतीय संस्कृति में हिन्दू –मुस्लिम संस्कृतियों का एक दूसरे में घुल मिल जाना । आत्मसातीकरण की इसी विशेषता के साथ भारतीय संस्कृति की आत्मा का निर्माण हुआ है । साझा संस्कृति की अवधारणा का यह केन्द्रीय बिन्दु है। हिन्दू –मुस्लिम साझा संस्कृति के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए ताराचंद लिखते हैं ''...एक नयी संस्कृति के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ जो न पूरी तरह हिन्दू थी न शुद्ध रूप से मुस्लिम। यह वास्तव में हिन्दू मुस्लिम संस्कृति थी। सिर्फ हिन्दू धर्म हिन्दू कला, हिन्दू कला, हिन्दू साहित्य, और हिन्दू विज्ञान ने ही मुस्लिम तत्वों को आत्मसात किया। बल्कि हिन्दू संस्कृति की आत्मा और हिन्दू मस्तिष्क के चिंतन भी बदल गए और उधर मुस्लिमों के जीवन के हर पहलू में भी बदलाव आया।''[12]

शानी के उपन्यास 'काला जल' में फूफी और बब्बन की माँ का साड़ी – ब्लाउज पहनना तथा अनेक स्थानों पर हिन्दू स्त्रियों का सलवार कमीज पहनना । तथा विवाह की अनेक रस्मों का आदान–प्रदान उनकी साझा संस्कृति का ही उदाहरण है। हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों ही संस्कृतियों में ''मासूम बाबा'' जैसे झूठे मक्कार आदमी के लिए स्थान सुरक्षित रहता है –भले बाद में पश्चाताप करना पड़े। इसी प्रकार की अनेक समानताएँ मिलकर साझा संस्कृति को पूर्णता प्रदान करती हैं।

कुल मिलाकर हिन्दू – मुस्लिम के साथ–साथ भिन्न संस्कृतियों का घालमेल एक नवीन भारतीय संस्कृति का सृजन करता है जिसे साझा संस्कृति के नाम से जाना जा सकता है। उनका आपस में व्यवहार, खान–पान, रहन–सहन, सोच–विचार इतना घुल मिल गया है कि भिन्न धर्मों की संस्कृति को अलग–अलग पहचानना कठिन है।

काला–जल में शानी ने स्वतंत्रता पूर्व हिन्दू मुस्लिम के साझा रिश्तों को बड़ी ही बारीकी से व्यक्त किया है। कस्बे में त्रिवेदी काका, ठाकुर साहब, श्रीवास्तव और बब्बन के पिता की मित्र मंडली पूरे कस्बे में मशहूर थी जिसकी याद आज तक सब करते हैं। इतने अलग –अलग धर्मों के मान्यताओं को मानने वाले लोग भी किस तरह खुशहाली से, मिल–जुलकर, प्यार मेल और दोस्ताना रिश्तों का संबंध रखते हैं। शानी ने इसका चित्रण बब्बन के घर के बाहर वाली बैठक में आज भी वह तस्वीर टंगी है जिसमें बब्बन के अब्बा के साथ त्रिवेदी काका, ठाकुर साहब, श्रीवास्तव लगबघ एक तरह के – काला कोट, सफेद कमीज, धोती, और मोजे जूते में बैठे हुए हैं । यहां शानी ने कितने सटीक ढंग से हिन्दू मुस्लिम सद्भाव तथा संस्कृति में उनकी भिन्न–भिन्न मान्यताओं के घुल–मिल जाने का चित्र खींचा है। '' 'काला जल' में साझी संस्कृति के अंकन के लिए मुहर्रम का प्रसंग भी लिया गया है । मुहर्रम में एक बारह–तेरह साल का लड़का सवारी उठाता है और हाल आने पर अरबी की आयतें साफ–साफ पढ़ता है । यह ताज्जुब करने वाली स्थिति होती है लेकिन यह भी सच है कि मुहर्रम हिन्दुओं के लिए भी एक पवित्र त्यौहार की तरह होता है । इस प्रकार यह उत्सव भारतीयता की पहचान बन गया है ।''[१३]

इसी प्रकार मिर्जा से विवाह करके मुस्लिम हुई बिट्टी रौताइन उर्फ बी दरोगन ने धर्म परिवर्तन करने के बाद भी लक्ष्मी जी का चित्र जेवरों के संदूक के पल्ले में अंत तक चिपकाए रही तथा तुलसी के पौधे पर प्रतिदिन बिना नहाये पानी चढ़ाती रही ।

हिन्दू – मुस्लिम मैत्री –

विभिन्न धर्मों के लोगों में गहराते मैत्री के रिश्तों को ध्यान में रख कर नासिरा शर्मा लिखती हैं –''अक्सर ज़िन्दगी में कुछ रिश्ते इतने अहम हो जाते हैं कि उनको जीने के लुत्फ़ में, इंसान धर्म,जात–पाँत, काला–गोरा, भाषा वर्ग सब कुछ भूल जाता है। याद रह जाता है, उस इंसान का चेहरा,

आवाज़ और आँखें, जो उसके दिल व दिमाग की कैफियत का बयान करते हैं।''[14]

शानी के साहित्य में जितनी तीखी कचोट धार्मिक अलगांव से उत्पन्न होती है। उतना ही गहरा सामंजस्य भी उपस्थित होता है । शानी के अधिकांश मित्र पात्र हिन्दू – मुस्लिम है। उनकी मित्रता वैचारिक समानता पर आधारित है। जो मानवीय मूल्यों की समर्थक है। शानी ने समाज के इस सकारात्मक पक्ष को अनेक स्थानों पर चित्रित किया है ।

निजी जीवन के समान शानी के साहित्य में भी मित्रों की महती भूमिका रही है । उनकी कहानियों के सभी मित्र प्रायः भिन्न धर्मों के ही हैं जो अपने मित्र का हर परिस्थिति में सहयोग करते हैं । उनकी घनिष्ठता को देखते हुए मित्र के सहधर्मी, मित्र पर ही व्यंग्य करते दिखाई देते है । 'जनाजा' कहानी में दफ्तर के सहकर्मी रिजवी को छोड़ शंकरदत्त को ही लक्ष्य बनाते हैं।

शानी को कथाओं में मित्रता का स्थान सबसे ऊँचा है । सांप्रदायिक वैमनस्य की स्थिति जब समाज में निर्मित हो जाती है तब भी ये मित्र हिंदू या मुसलमान न होकर मित्र ही रहते हैं । 'युद्ध' कहानी में पाकिस्तान से युद्ध के दिनों में चूंकि देश में सांप्रदायिक अलगाव की बयार चली थी किंतु शंकरदत्त ने न रिजवी के घर जाना छोड़ा न रिजवी ने उनसे अपनी समस्याएं बांटना ।

यहां तक कि ब्लैक आउट के लिए आए स्वयं सेवी लड़कों द्वारा रिजवी पर पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप लगाकर हाथापाई करने पर भी रिजवी के मन में शंकरदत्त के लिए कभी भी अलगाव की भावना उत्पन्न नहीं हुई । यह बात उसके मन में कभी नहीं आई कि शंकरदत्त भी हिन्दू हैं ।

इसी प्रकार 'बिरादरी' कहानी के कथानायक का घनिष्ठ मित्र त्रिवेदी है। 'काला जल' में बब्बन के पिता त्रिवेदी काका, ठाकुर साहब और श्रीवास्तव घनिष्ठ मित्र थे। जिनकी मित्रता समय के साथ और गहराती चली गई । त्रिवेदी काका, बब्बन के पिता के हर दुःख में साथ दिखाई दिये चाहे पारिवारिक कलह हो या गबन की प्रताड़ना या पुस्तैनी घर का विक्रय।

शानी की अनेक कहानियों में बाल्यावस्था से ही मित्रता का प्रारंभ देखने को मिलता है 'देश निकाला' कहानी में कथानायक का लंगोटिया यार रंजन है जिसकी मित्रता गांव से होती हुई महानगर दिल्ली तक पहुँचती है।

पड़ोसियों में घनिष्ठता

समाज में व्यक्ति के सुख–दुःख का प्रथम सहयोगी पड़ोसी होता है, चाहे किसी भी धर्म का हो । ईष्या, घृणा, अलगाव आदि भावनाओं को निरस्त करते हुए शानी मानवीय मूल्यों की स्थापना करते हैं । वे संकेत करते है सौहाद्र सुखकर हैं, अलगाव निरर्थक । शानी अपनी कथाओं में भिन्न धर्मों के पड़ोसियों की घनिष्ठता का चित्र खींचते हुए लिखते हैं –''ठाकुर दंपत्ति के साथ चाय भले चूक जाए , रात का खाना बराबर होता । समय होते ही उनके यहां का खाना या तो हमारे दस्तख्यान पर उठ आता अथवा हमारा खाना उनके यहां, और प्रायः सब लोग इकट्ठे खाते तथा देर तक जरूरी गैर जरूरी बातों पर कहकहे लगाते ।''[15]

यहाँ पर मुस्लिम कथानायक के अपने पड़ोसी ठाकुर जी से पारिवारिक संबंध जितने घनिष्ठ हैं । दो भाइयों के मध्य इतनी घनिष्ठता नहीं दिखाई देती । इन पड़ोसियों के मध्य धर्म की खाई कहीं भी नहीं दिखाई देती। यह सामंजस्य व्यक्ति के जीवन को सरल और सुखमय बना देता है ।

ऐसे ही एक पड़ोसी हैं शकरदत्त जो जनाजा कहानी में वसीम रिजवी के पड़ोस में रहते हैं और रोज शाम को रिजवी के घर बैठकर अपना समय गुजारते हैं। चूँकि वे रिजवी से बड़ी आयु के हैं । रिजवी की मृत्यु के बाद उन्हें नींद ही नहीं आती यहाँ तक कि जब वे अपने जवान बेटे का अंतिम संस्कार करके आए थे तब भी इतने विचलित नहीं थे जितने रिजवी की मृत्यु पर ।

पड़ोसियों से मधुर संबंधों के मध्य न धर्म आड़े आता है न आयु तभी तो 'युद्ध' कहानी में बड़ी अवस्था के शंकरदत्त प्रतिदिन रिजवी के यहां आते हैं तो रिजवी का बेटा अप्पू उनके गले में अपनी बाहों का गजरा डालकर स्वागत करता है जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है । क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती ।

शानी के साहित्य में पड़ोसियों से सौहार्द्र के सटीक उदाहरण देखने को मिलते हैं जो पढ़े – लिखे लोगों के साथ निर्धन और अशिक्षित लोगों को भी जोड़े रखता है। 'तीन पेड़ दो छॉव' कहानी में सब्जी बेचने वाले बदरू के पास दुकान लगाने वाली रामचरण की माँ हिन्दू होकर भी बदरू की पीड़ा समझती है जबकि

जलालुद्दीन शरीफ आदि नहीं । बदरू की बेटी की बीमारी में बदरू की दुकान भी वही संभालती है । जबकि बदरू के सहधर्मी उसकी हंसी उड़ाते है । 'गीले सूखे आँचल' में मालती अपनी मुस्लिम पड़ोसिन से सहयोग प्राप्त करती है ।

मानवीय मूल्य जीवन, समाज एवं राष्ट्र को आनंद प्रदान करते हैं यह संदेश शानी की कहानियों में प्रत्येक स्थल पर ध्वनित होता है ।

धार्मिक अलगाव की व्यर्थता –

शानी के साहित्य में अलगाव के दुष्परिणामों को सशक्त शब्दों में व्यक्त किया गया है । अलगाव चाहे किसी भी प्रकार का हो समाज के लिए घातक ही होता है । यह सिद्ध होता है 'जनाजा' कहानी में रिजवी की असमय मृत्यु और 'युद्ध' कहानी में पिता के साथ हाथापाई के बाद अप्पू की भयभीत आँखे देखकर ।

दो भिन्न धर्मों के मध्य तनाव स्वाभाविक है किंतु उसे निरर्थक सिद्ध करते हुए वे सामंजस्य को स्थापित करते हैं । इसका प्रमाण है 'युद्ध' कहानी में बालक अप्पू के उत्सुकता भरे प्रश्नों की श्रृंखला जो 'अपने अंकल' शंकरदत्त के सामने प्रस्तुत होती है जिसके कुछ प्रश्न के उत्तर शंकरदत्त के पास भी नहीं होते । ''एक छुट्टी के दिन रिजवी की बैठक में रिजवी शंकरदत्त के साथ बैठे थे । ये पाकिस्तान से युद्ध के दिन थे देश में सांप्रदायिकता की लहर आई थी। ''अप्पू बहार अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था । अचानक जाने क्या हुआ कि खेल छोड़कर वह सीधे पापा के पास आ पहुँचा था और फिर गोली दागने जैसा उसका वह सवाल था ।

''पापा, हम हिंदू हैं कि मुसलमान ?''

''क्यों ?'' बेतरह चौकते हुए भी रिजवी ने उसे टालना चाहा था, ''बाहर खेलो बेटे ! हमें बात करने दो।''

''नहीं पहले बताइए, ''अप्पू मचल गया था, ''हम हिन्दू हैं कि मुसलमान ?''

''लेकिन क्यों ?''

''बताइए ''

''अच्छा मुसलमान ।''

''अल्ला मियाँ कहाँ रहते हैं पाप ? ऊपर आसमान में न?''

''हाँ''

''और भगवान?''

''वे भी वहीं ।''

''वहीं ?'' कहते हुए अप्पू की आँखों में एक बहुत गहरा प्रश्न तैर रहा था । वह और आगे सवाल न पूछे, इसलिए डरकर रिजवी ने कहा, ''जाओ बाहर खेलो ....'' पर अप्पू कोई अगला सवाल पूछने के लिए उतावला था और वे दोनों (शंकरदत्त रिवजी) जान बचाने के लिए ....रिजवी ने निगाह बचाने के लिए दालान की तरफ देखा ।

दालान में टंगे आइने पर बैठी एक गौरइया हमेशा की तरह अपनी परछाई पर चोंच मार रही थी।''[16]

यहाँ शानी अप्पू के अनकहे प्रश्नों का उत्तर गैरेया के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए सांप्रदायिकता की भावना को अर्थहीन तथा घातक सिद्ध करते हैं ।

यथार्थ भी यही है कि धर्म को लेकर होने वाले अलगाव से उत्पन्न संघर्ष से आहत होना गौरेया का आइने में चोंच मारने के अतिरिक्त कुछ नहीं। अलगांव को मिटाने की व्यग्रता और कटिबद्धता शानी की कहानियों में स्पष्ट झलकती है। 'युद्ध' कहानी में रिजवी का मुस्लिमों की 'राष्ट्रीयता' की शपथ दिलाने वाली अपील पर हस्ताक्षर न करने का कारण हैं , कि रिजवी धार्मिक अलगाव को औचित्यहीन मानता है। उसका कहना है कि जब हिन्दुओं को अपनी राष्ट्र भक्ति का सबूत नहीं देना होता, तब अपने ही देश में मुझे भी इसकी आवश्यकता नहीं है।

धर्म के आधार पर समाज में उत्पन्न अलगाव की व्यर्थता का संदेश देती शानी की कहानियाँ समाज को शक्ति का दुरूपयोग न कर सोहाद्र की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा देती हैं ।

संवेदनात्मक संबंध –

शानी भिन्न धर्मानुयायियों के मध्य सामंजस्य के अनेक पक्ष प्रस्तुत करते हैं । जिसमें से एक है मानवीय संवेदनाऐं जो मानव को मानव से ही नहीं

समस्त जीव जगत के साथ प्रकृति और पराभौतिक जगत से भी जोड़ती हैं ।

समाज में साथ रहने के कारण मनुष्यों का एक दूसरे से लगाव हो जाना स्वाभाविक है। एक दूसरे के सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होते शानी के पात्र धर्म से कहीं ऊपर उठकर देखने की क्षमता रखते हैं । 'जनाजा' कहानी में रिजवी अपने बीवी बच्चों को गांव जाने के लिए ट्रेन में बैठाकर आता है, तब एक मुस्लिम तांगे वाले से पचास पैसे को लेकर झिकझिक हो जाती है। ताँगे वाला अभी जा भी नहीं पाता कि घर के अंदर दिल का दौरा पड़ने से रिजवी की मृत्यु हो जाती है । तब मोहल्ले के सारे पड़ोसी इकटठे होकर उसके बीबी बच्चों की गैर हाजिरी में जनाजे को उठाने की जुगत करते हैं । कोई बीवी बच्चों का वापस बुलाने के लिए स्टेशन दौड़ता है तो कोई कुरैशी के यहां दौड़ाया जाता है ।

रिजवी के जनाते को उठवाने के कुरैशी की टालमटोल पर जोशी खिन्न होकर कहता है –''अजी मारो गोली कुरैशी को ''सहसा जोशी ने तैश में आकर कहा, क्या साले कुरैशी के बिना रिवजी की लाश नहीं उठ सकती ? क्यों दत्त जी ?''[17] यहां पर शानी अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट करते हैं कि जोशी की संवेदना कुरैशी से अधिक है । वह अपने दैनिक कार्यों को छोड़ रिजवी के अंतिम संस्कार को प्रमुखता देते हुए चिंचित है । न कि कुरैशी की तरह अपने रविवारीय कार्यों में लगा है । जोशी की ही तरह सारा मोहल्ला अपने दैनिक क्रिया कलाप छोड़ वही उपस्थित है ''जोशी के तैश भरे शब्दों का जवाब शंकर दत्त देते हुए कहते हैं कि ''उठ क्यों नहीं सकती ।''..............''आप ही आगे आइए और उठाइए लाश को । ....भला इसमें मुझे या किसी को क्या एतराज हो सकता । हम लोग तो महज इसलिए झिझक रहे थे कि यह दूसरी बिरादरी का मामला है ।''[18] रिजवी के धर्म के प्रति सम्मान होने के कारण वे मस्जिद में खबर भेजते हैं । तथा यह याद करने की कोशिश करते हैं कि कालोनी में और कौन – कौन से मुसलमान घर हैं जिनके आने से रिजवी का क्रियाकर्म उसके अपने धर्म के अनुसार हो । धर्म का अलगांव अगर इतना ही प्रबल होता तो कालोनी के सारे गैर मुस्लिम पड़ोसी बिना खाए–पीए रिजवी के अंतिम संस्कार की चिंता न कर मुनिसपिलटी को खबर भेजे, कुरैशी की तरह अपने काम में लग जाते । लोगों के मन में दूसरो के धर्म का सम्मान आपसी सामंजस्य को दर्शाता है ।

धर्म जहाँ लोगों की संकीर्ण मानसिकता के कारण समाज में अलगाव का कारण बनता है वही सामंजस्य का श्रेय भी धर्म को जाता है । जो लोगों को आपसी सौहार्द्र की शिक्षा देता है । धर्म चाहे कोई भी हो सिखाता है कि दया, प्रेम, सहयोग, निश्छलता, सत्य, निष्ठा, करूणा आदि भाव जागृत कर उन्हें जीवन में उतारना ही जीवन की सफलता है । शानी की कहानियाँ मुख्यतः इसी प्रमाणिक सत्य को स्पष्ट करती हैं कि ''मजहब इंसान को इंसानियत की सीख देता है।''[19]

शानी की कहानियों में अनेक ऐसे पात्र हैं जिनकी संवेदना धर्म की परिधि से बाहर आकर समाज एवं व्यक्ति का कल्याण करती है । 'काला जल' उपन्यास के एक पात्र रज्जू मियाँ द्वारा एक छोटी अनाथ लड़की मालती को घर लाकर पालना उसकी संवेदनशीलता को ही दर्शाता है । यहां दया के बीच धर्म रोड़ा नहीं बनता क्योंकि दया धर्म का ही संदेश है। शानी अपनी कहानियों में संवेदनाओं को उभारकर धार्मिक एकता की ओर इशारा करते हैं । यही व्यंजना ''बिरादरी'' और ''गीले सूखे आँचल'' कहानी में भी दृष्टिगोचर होती है जब ''बिरादरी'' का त्रिवेदी एक बेरोजगार मुस्लिम लड़के को रोजगार दिलवाने का प्रयत्न करता है । वहीं 'गीले सूखे आँचल'' की मालती के प्रति काथा नायिका अनवर की पत्नि की पूरी संवेदना उमड़ पड़ती है जब वो उसकी यातना की अनकही कथा सुनती है।

संवेदना ने धर्म पर विजय पाई जब 'काला जल' में मुस्लिम दरोगा साहब एकाकी जीवन से घबराकर, एक रौताइन लड़की बिट्टी से ब्याह कर लेते हैं। और अनेक संघर्ष के बाद भी वे उसे नहीं छोड़ते जो बाद में बी दरोगन कहलाती है ।

समाज में भिन्न धर्मों के लोगों का साथ रहते हुए संवेदनाओं के स्तर पर बने घनिष्ठ संबंध जीवन को सरल बनाते हैं यही हमारे देश की विशेषता है वरन् संसार में तो ऐसे अनेक राष्ट्र हैं जो अलगाव की अग्नि से निरंतर झुलसते रहते हैं । समाज के स्वार्थी तत्व अलगाव को हथियार बनाकर समाज में विध्वंस की लहर उठाते अवश्य हैं किंतु कुछ समय पश्चात समाज पुनः अपने संवेदनशील स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । शानी की कहानियों में समाज के इसी यथार्थ स्वरूप का अंकन हुआ है ।

संदर्भ :

1. ''काला जल'', शानी
2. जाहांपनाह जंगल, शानी
3. सब एक जगह भाग – 1,2 शानी